राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सैंतीसवां दिवस संख्या 24

मंगलवार,
दिनांक 1 अप्रेल, 1969

विधान सभा की बैठक म.पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न। श्रीमती मदनकौर।

बाडमेर तहसील के ग्रामों में असाधारण मौतें

604. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत तीन माह में बाडमेर तहसील के खोखसर, खारडा, हीरा की ढाणी और सवाऊ पदमसिंह गांवों में असाधारण मौतें हो रही हैं ?

(2) क्या जिलाधीश बाडमेर को इसकी सूचना मिली है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या जिला प्रशासन ने इसकी रोकथाम हेतु कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां।

(2) जी हां। जिलाधीश को इसकी सूचना दिनांक 18-1-69 को प्राप्त हुई थी।

(3) जी हां। जिला प्रशासन ने सूचना प्राप्त होते ही तत्काल चिकित्सा आदि की उचित व्यवस्था की थी। कुओं में दवाई डलवा कर तथा प्रत्येक गांव में एक-एक ओग्जीलरी हेल्थ वर्कर को दवाइयां वितरण करने हेतु नियुक्त करके व्यवस्था कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त बीमारी की तत्काल सूचना देने की भी व्यवस्था कर दी गई है ताकि आवश्यकता पडने पर डाक्टर को गांव में तत्काल पहुंचाकर चिकित्सा व्यवस्था प्रारम्भ करदी जाय।

श्रीमती मदनकौर : क्या यह सही है कि मरने वालों को जो बीमारी हुई थी वह गांव के खारे और अस्वास्थ्यकर पानी की वजह से हुई ?

श्री गंगाराम चौधरी : सभी मामलों में यह सही नहीं है। चिकित्सा विभाग को जो जानकारी मिली है उसमें जो बीमारी बतायी गई है दस्त, पेट का रोग, निमोनिया आदि हैं।

श्रीमती मदनकौर : डाक्टर तो केवल एक ही जगह गये बाकी जगहों पर नहीं गये जिन गांवों में गये वहां डाक्टरों ने कहा है यह यहां के अस्वास्थ्यकर पानी की वजह से बीमारियां हैं ?

जिला प्रशासन द्वारा पानी सप्लाई किया जाना चाहिये अब आप पानी की व्यवस्था

Page No 2

(श्रीमती मदनकौर)
कब तक कर देंगे क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो बीमारी नहीं मिटेगी और लोगों का मरना बन्द नहीं होगा ।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, खोखसर में पानी का प्रबन्ध है ।

श्रीमती मदनकौर : कितना पानी भेजते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : एक टंकी रोजाना जिसमें 12,000 गैलन पानी होता है ।

श्रीमती मदन कौर : क्या चार हजार की जनसंख्या के लिये इतना पानी काफी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : बाकी लोग फैमीन केम्प पर लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था अलग से है ।

श्रीमती मदनकौर : क्या खोखसर में ही ये केज्युअलिटीज हुई हैं या अन्य गांवों में ?

श्री गंगाराम चौधरी : अन्य गांवों में पानी की सप्लाई की जा रही है ।

श्रीमती मदनकौर : 13-1-69 को यह सवाल पूछा था जिला प्रशासन को उस समय मालूम हो गया था आज मार्च खत्म हो चुका, अप्रेल आ गया अभी तक जिला प्रशासन पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकता, दुर्भाग्य की बात है ?

श्री गंगाराम चौधरी : पानी की सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है चिकित्सा विभाग द्वारा जिन जिन गांवों की सूची प्राप्त हुई है उनमें भी व्यवस्था कर दी जायगी ।

श्रीमती मदनकौर : कब तक ?

श्री गंगाराम चौधरी : जल्दी ही ।

श्रीमती मदनकौर : जल्दी कब तक ?

श्री गंगाराम चौधरी : चिकित्सा विभाग द्वारा इलाज करने के बाद किसी के भी मरने की शिकायत नहीं आई । पानी का जो कष्ट महसूस किया जा रहा है उसकी निस्बत शीघ्र कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न संख्या 605

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री देवीदत्त गाडिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनलाल मोदी ।

मकानों का मुआवजा

606. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का-थाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रायपुर बांध, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर में ढाणी भारूवली तन न्योरना के काश्तकारों के पक्के मकानात रिहायशी अवाप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों के कितने मकानात आये हैं और उन्हें कब अवाप्त किया गया था ?

(2) क्या इन मकानात का मुआवजा निश्चित हो गया है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं

(श्री मोहनलाल मोदी)
दिया गया है ? यदि हां, तो इसके विलम्ब का क्या कारण है और कौन अधिकारी इसका जिम्मेवार है ?

(4) क्या इस बांध म आये कुओं का मुआवजा तय हो गया ? यदि हां, तो अब तक क्यों अदा नहीं किया ? इस विलम्ब का कारण बताने की कृपा करें।

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी : आपकी जानकारी में शायद यह नहीं है रायपुर बांध जो बनाया गया है जिससे बहुत से किसानों के घर बरबाद हो गये जिनको अलग से बसना पडा है आपने उत्तर दिया है जी नहीं यह किस प्रकार ?

श्री जसराज : जहां तक ढाणी भारूवली तन बतायी ऐसी ढाणी कोई नहीं है। अलबत्ता भारूवली ढाणी जरूर है ?

श्री मोहनलाल मोदी : आपकी सूचना गलत है। मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं मेरा निर्वाचन क्षेत्र है मैं ढाणी का नाम अच्छी तरह बतला सकता हूं––

श्री जसराज : जो सूचना विभाग द्वारा दी गई वह मैंने बता दी फिर मैं आपने जो जानकारी दी है उसके अनुसार जानकारी कर लूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी : भारूवली ढाणी के मकानों के बारे में क्या रहा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : भारूवली ढाणी के कुछ मकानात डूब में आये थे उनको मुआवजा दे दिया। बुधवाली ढाणी के 13 मकानों को मुआवजा दे दिया गया। इसके अलावा जिनकी जमीन डूब में आती है उनके मुआवजे के लिये आवंटन अधिकारी को सूचित कर दिया है कि उसके लिये उचित कार्यवाही की जाय।

श्री मोहनलाल मोदी : जिन मकानात की जगह बंध बन गया है वे कितने अरसे से डूब में आये हुए हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक नाम के झगडे का सवाल है भारूवली ढाणी का नाम कहते हैं वह ढाणी इसी नाम से पुकारी जाती है उस ढाणी के अन्तर्गत रायपुर बान्ध बनाया गया वह एफ. टी. एल. 646 से 651 फीट तक ले जाने का है। अभी तक वह 646 तक पहुंचा है भारूवली ढाणी का कोई मकान डूब में नहीं आया है। जब 646 से 651 तक बढायेंगे। ऊंचाई बढाने से पहले जिन गांव वालों के मकान डूब में आ सकते हैं उनको मुआवजा उससे पूर्व दे दिया जायगा। जोधावाली ढाणी के लिये जैसा बताया गया है मुआवजा दिया जा चुका है। एक गांव का बाकी है जिसके लिये सेक्शन 5 के तहत नोटिस जारी हो चुका है। उसके बाद की कार्यवाही के लिये रिमाइन्डर आदि दिये गये हैं इसको भी जल्दी एक्सपीडाइट करवाया जायगा।

Page No 4

प्रश्न संख्या 607

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री देवीलाल सराडा (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा।

कोटडा तहसील में अकाल

608. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (गोगुन्दा सु.): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटडा तहसील में अकाल से कितनी जन संख्या प्रभावित है तथा उसमें आदिवासी कितने हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि कोटडा तहसील में रिलीफ वर्क हो रहा है ? यदि हां, तो अकाल पीडितों के गुजारे की क्या व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो 1968-69 में कहां 2 कितना कितना काम चालू कराया गया, उनमें कब कब, कितने कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया तथा चालू हुए कामों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये व कितने काम वर्तमान में चालू हैं एवं उनमें प्रतिदिन कितने कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस तहसील में राहत कार्य बहुत दूर दूर चालू किये गये जिसमें आदिवासियों को कठिनाई का सामना करना पड रहा है ?

उप मंत्री, अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी) : कोटडा तहसील में 55,200 व्यक्ति प्रभावित हैं। जिसमें से आदिवासी जन संख्या लगभग 95 प्रतिशत है।

(2) जी नहीं। कोटडा तहसील में सहायता कार्य चल रहा है। चालू सहायता कार्यों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। ये सभी कार्य वर्तमान में चालू हैं इन पर 2,830 व्यक्ति काम कर रहे हैं।

(3) जी नहीं। सहायता कार्य आवश्यकतानुसार आवश्यक स्थान पर खोले गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

प्रश्न संख्या 609

श्री उपाध्यक्ष: श्री हंसराज आर्य (प्रश्न सं. 610 अनपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मदनसिंह (प्रश्न सं. 611 अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (प्रश्न सं. 621 अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह (प्रश्न सं. 613 अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल जैतारण (प्रश्न सं. 614 अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी (अनपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण लसाडिया।

वाणिज्य कर विभाग में नियुक्त सरकारी वकील को सुविधायें

615. **श्री जयनारायण** (लसाडिया): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वाणिज्य कर विभाग में नियुक्त सरकारी वकील को एक सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, दो लेखक एवं एक चपरासी की सुविधा और दी गई है एवं टेलीफोन की सुविधा भी दी गई है ?

(श्री जमनारायण लखाडिया)

(2) क्या उपरोक्त सरकारी वकील पहले आबकारी विभाग की भी पैरवी करते थे ?

(3) क्या यह आबकारी विभाग के विरुद्ध उन्हीं के द्वारा सरकार की ओर से पेश किये गये मुकदमों में पैरवी करते हैं ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने कभी कोई ऐतराज किया है ?

(4) क्या यह सच है कि उपरोक्त सरकारी वकील को सप्ताह में केवल दो दिन की राजस्व मंडल में पैरवी करनी पडती है और बाकी दिनों में वह अपनी निजी वकालत करता है ?

(5) क्या यह सच है कि उपरोक्त दो दिनों में भी उपरोक्त सरकारी वकील अपने निजी मुकदमें में भी राजस्व मंडल में पैरवी करते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) :
(1) वाणिज्यिक कर विभाग सरकारी वकील को केवल एक कनिष्ठ लिपिक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिया गया है ।

(2) जब तक आबकारी व कर विभाग एक थे तब तक अर्थात् 30 जून, 1964 तक संयुक्त आबकारी व कर विभाग में दो सरकारी वकील थे जिनमें से एक यह थे ।

(3) जी नहीं ।

(4) राजस्व मंडल द्वारा कर विभाग के केसेज सुनने के लिये मंडल की सुविधानुसार सप्ताह में दो दिन नियत किये गये हैं । इनके अतिरिक्त भी यदि किसी दिन कर विभाग के केसेज लिये जाते हैं तो सरकारी वकील उस दिन भी उपस्थित होते हैं । बाकी समय में अपनी निजी वकालत करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(5) यदि समय उपलब्ध हो तो उन दो दिनों में भी निजी वकालत करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

प्रश्न संख्या 616

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल । (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूराम (अनपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीसिंह (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

लूनी नदी पर बांध

620. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाडमेर) क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान प्रान्त में लूणी नदी किन किन जिलों में उनके कितने कितने क्षेत्र में बह कर कच्छ की खाडी में गिरती है ।

(2) लूणी नदी पर किन किन स्थानों पर बांध बनाये हुए हैं ? और उनसे कितनी भूमि सिंचित होती हैं ? विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांधों के निर्माण से बाडमेर एवं जालौर जिलों में लूणी नदी का पानी बह कर आना रुक गया है जिससे काफी क्षेत्र को क्षति पहुंची है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) लूणी नदी अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाडमेर और जालौर जिलों में लगभग क्रमश: 16, 20, 72, 18, 128, 48 मील के क्षेत्र में से बहते हुए कच्छ की खाडी में गिरती है।

(2) संलग्न सूची में विस्तृत वर्णन अंकित है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस बांध के निर्माण से सिवाना, बालोतरा, गुढा, सांचोर और जोधपुर क्षेत्र के कुओं का पानी खारा हो गया है और पानी की कमी भी हो गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय सदस्य के दिमाग में शायद यह है कि लूणी नदी पर बान्ध जगह जगह पहले बन्धे थे और बाद में और बांधे गये हैं इस वजह से जालौर, बाडमेर में कुओं का पानी कम होने का अन्देशा है और इससे खारा भी होने का अन्देशा है। तो यह बात उनकी सही नहीं है। इसके लिये मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कैचमेन्ट एरिया 12,960 वर्ग मील है इसमें से जो कुछ इस वक्त तक हारनेस किया जा चुका है वह 6,800 वर्ग मील है। इसका मतलब यह है कि आधा पानी अभी हारनेस किया हुआ है। बाकी सारा ही पानी बहता हुआ कच्छ की खाडी में जाता है।

माननीय सदस्य को याद होगा कि सन् 67 की साल में जब भयंकर बाढ आई थी तो इस नदी में समदडी के पास बना पुल टूट गया था और काफी परेशानी हुई थी। तो इस तरह की शंका करना कि पानी कम हो जावेगा या हो गया है निर्मूल है। क्वान्टिटी आफ वाटर भी 283 सी.एफ.क्यू. पानी सारे कैचमेन्ट का है तो बाकी का उसमें अभी अवेशेष है। इसको देखते हुए छोटी मोटी योजना और भी ले लें तब भी पानी की कमी नहीं आती है और वह पानी जावेगा बहेगा नार्मल रेन्स में। अकाल में और सूखा पड जावे वह बात अलग है। साथ ही यह भी ध्यान में है कि इस तरह के तालाबों की संख्या अधिक न बढ जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्षजी, जो यह फरमाया गया वह तो पिछले साल का कह रहे हैं, पिछली साल जिस तरह से पानी आया उससे तो अच्छे अच्छे बांध टूट जा सकते हैं। आप तो एवरेज की बात करें। पिछले पांच सालों में पिछली साल जैसा पानी कितनी बार आया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो नहीं है, पर नार्मल रेन होती है तो कच्छ की खाडी में पानी जाता है। तो वह नीचे से निकल कर ही वहां पहुंचे ऐसा नहीं है। बह कर ही जाता है। फिर बहुत सी ट्रिब्यूटरी हैं सात, आठ, नौ-दस के करीब। ट्रिब्यूटरीज रास्ते में गिरती

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रहती है और इसका पानी इसमें गिर कर यह कच्छ की खाडी में जाता है। तो ओवर आल पानी की क्षमता जो है और जो यूटीलाइज्ड वाटर है दोनों को ले लें तो एवरेज रेनफाल में जो कैचमेन्ट का पानी है उसके अनुसार मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि वहां पहुंचते पहुंचते पानी सूख जाता है और इसकी वजह से ही नदी रुक जावेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पांच साल पहले का जो रेनफाल है वहां से लेकर पांच-सात साल का एवरेज लें तो पहले छोटे छोटे बान्ध नहीं थे तो टाइमली कितने नाले आते थे और कितने में इनन्डेशन होता था। और अब कितने बान्ध बन गये हैं जो छोटी मोटी नालियों को रोक लेते हैं तो आज पानी की भयंकर समस्या उपस्थित हो गई है जो इन जिलों में इनके बनने से पहले नहीं थीं। इसको आप कैसे इन्कार कर सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने जो फरमाया तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही और सारी परिस्थितियों पर सारे पहलुओं से सोच विचार करने के बाद ही योजनाएं हाथ में ली जाती हैं, और आगे भी इसी तरह सोच समझ कर ली जावेंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या जालौर में आपकी बैठक हुई थी तो उसमें निर्णय हुआ था कि इस नदी में पडने वाले नालों पर अब कोई बान्ध नहीं बनेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कृपया जानकारी करने की कोशिश करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जानकारी करूंगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन: आइन्दा अब नया बान्ध इस पर नहीं बनेगा ऐसा आप कह सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कैटेगेरिकली कहने की स्थिति में तो नहीं हू कि अब कोई बान्ध भी नहीं बनेगा या एनीकट भी नहीं बनेगा। पर जैसा मैंने निवेदन किया है कि सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही योजनाओं को हाथ में लिया जावेगा। कैटेगेरिकली मैं नहीं कह सकता कि एक भी नहीं लेंगे, या एक भी एनीकट नहीं बनावेंगे, यह कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या यह एग्जामिन कर लिया गया है कि पिछले साल में लूणी नदी पर बान्ध बन्धने से क्या नुकसान हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह एग्जामिन करा लिया गया है कि इसके कैचमेन्ट एरिया में कितना पानी है और टोटल कितना हारनेस हो चुका है और अब कितना बाकी है। कितने स्क्वेयर मील का केचमेन्ट है और कितने स्क्वेयर मील का हारनैस कर लिया गया है और कितने स्क्वेयर माइल फ्री है और इसके आधार पर हमारी यह मान्यता है कि सब जगह पानी पहुंचना चाहिये और पहुंचाता भी है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या सरकार ने यह जानकारी की है कि बालोतरा में नदी में पानी नहीं आने के कारण वहां के कुओं का पानी खारा हो गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बालोतरा में बाढ आई, प्रोटेक्शन बान्ध बनाने की योजना बनाई है। फिर पानी के नहीं आने से वहां कुओं का पानी खारा हो गया यह समझ में बात आई नहीं। पर अगर आप इनसिस्ट करते हैं तो मालूम करा लेंगे कि पानी खारा हो गया है क्या और हो गया है तो क्यों, क्या कारण है इसका।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): तो क्या माननीय सदस्य झूंठ बोल रहे हैं। खारा हो गया है आपको यह मालूम होना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: तो यह जानकारी करा लेंगे कि इसका कारण क्या है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इसमें विशेषज्ञों की राय ली जावे। साधारण नागरिकों के कहने से काम नहीं चलेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक्सपर्टों की राय ली जावे यही हमारी मान्यता है। हमारा भी यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढा (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 621

श्री रघुनाथ विश्नोई।

तहसील सांचोर में पम्पिग सैटों के लिये ऋण

622. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि अकाल सहायता विभाग द्वारा 3 लाख रुपया पंपिंग सैट्स ऋण तहसील सांचौर के काश्तकारों के लिए मन्जूर किया गया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उस ऋण की जानकारी तहसील सांचौर एवं पचायत समिति सांचौर में नहीं पहुंची है ? अगर हां, तो क्यों, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि वह ऋण 31-3-69 के पहिले वितरण करना था ? अगर हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि वह ऋण 31-3-69 के बाद लेप्स हो जावेगा एवं काश्तकारों को राहत नहीं मिलेगी ? अगर हां, तो सरकार 31-3-69 के पहिले वितरण की क्या व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं, तो वह ऋण कब तक वितरण किया जा सकेगा ?

(5) उक्त ऋण किस प्रणाली से वितरित किया जावेगा ?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां, अकाल सहायता विभाग द्वारा 3 लाख रुपया पम्पिग सैटों के लिए ऋण तहसील सांचोर के नेड क्षेत्र के लिए दिनांक 30-12-68 को मन्जूर किया गया था।

(2) जी नहीं। इस ऋण की जानकारी तहसील सांचोर को थी, पंचायत समिति को जानकारी देना आवश्यक नहीं था।

(3) यह ऋण वित्तीय वर्ष 68-69 के अन्त तक वितरित कर देने का विचार था। किन्तु इसके सम्बन्ध में पहले जिलाधीश द्वारा

Page No 9

(उप मंत्री, अकाल सहायता)
कुछ स्पष्टीकरण चाहे जाने एवं बाद में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय ले लिये जाने के कारण कि ऐसे समस्त ऋण पंचायत समितियों के अभिकरण से बटवाया जाय, इसका वितरण नहीं किया गया ।

(4) जी नहीं। यह ऋण इस वित्तीय वर्ष में लेप्स नहीं होगा । और काश्तकारों को यह ऋण यथा सम्भव शीघ्र वितरित कर दिया जावेगा ।

(5) यह ऋण अब पंचायत समितियों के अभिकरण से वितरित किया जावेगा ।

श्री **रघुनाथ विश्नोई:** स्पष्टीकरण कब मांगा था कलेक्टर ने ?

श्री **गंगाराम चौधरी:** पहले जनवरी में मांगा गया था। इसके बाद और कुछ जानकारी उनको दी गई थी । और फिर से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की । इसके बाद निर्णय ले लिया गया कि यह ऋण पंचायत समितियों के अभिकरण के द्वारा दिया जावेगा । इसलिए यह उनको ट्रान्सफर कर दिया गया है ।

श्री **रघुनाथ विश्नोई:** रेवेन्यू एजेन्सी से बांटने में क्या डिफिकल्टी है? और ट्रान्सफर कब तक हो गया या हो जावेगा ? क्या परिस्थिति है आज ?

अकाल सहायता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): डिफिकल्टी कुछ नहीं थी । हमने बताया तकाबी रूलस के मार्फत ही इस ऋण का भी वितरण करा दिया जावे । इस पर फिर स्पष्टीकरण मांगा कि ऐसे नियम उनके पास नहीं हैं, तो हमने बता दिया कि रेवेन्यू रूलस पार्ट वन वाल्यूम में हैं। उसे वे देख लें और फिर वितरण करें । फिर यह रेफेरेन्स कर दिया कि कमेटी बनाऊ या तहसीलदार को ही दे दूं ।

इन दी मीनवाइल यह डिसीजन हो गया कि रेवेन्यू एजेन्सी के मार्फत इसका वितरण नहीं करके पंचायत समितियों के मार्फत कराया जाय और इसलिए बी डी अकाउन्ट में ट्रान्सफर कर दिया जाना चाहिए । यह तीन लाख सांचोर तहसील को मिला है । लोगों ने कुए खोद लिये हैं, आगे पैसा नहीं था, कि वे पम्पिग सैट लगा सकें। इसलिये स्पेशल केस के तौर पर यह ऋण दिया गया है । यह अमाउन्ट लैप्स नहीं हुआ है और पंचायत समितियों को यह ट्रान्सफर कर दिया गया है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री हरजीराम,
प्र. सं. 623
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये) ।
प्रश्न सं. 624
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)
प्रश्न सं. 625 श्री केदार नाथ (अनुपस्थित (कृपया आगे देखिये) ।

श्री मांवरमल । प्रश्न संख्या 625 ।
श्री **विशम्भर नाथ जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया है ।

श्री **उपाध्यक्ष:** अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 626
श्री लाभ चन्द वैद ।
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

Page No 10

प्रश्न सं. 627

श्री देवीलाल बुरासिया।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा: प्रश्न संख्या 628।

ग्राम मांडवला (तहसील जालौर) में विकास के लिए भू-खण्ड

628. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम मांडवला, तहसील जालौर में सार्वजनिक विकास के कार्य के लिये जिलाधीश, जालौर ने कुछ भू-खण्ड आबादी से परिवर्तन कर पंचायत को दिया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि यह भू-खण्ड वहां के सात भांबियान के कब्जे में करीब 40 साल से था तथा उस पर उनकी झोंपडियां व कुण्डे बने हुए थे ? तथा जागीरदार द्वारा खेतसिंह नामक एक व्यक्ति को बेचे जाने पर भांबियान ने खेतसिंह को कीमत अदा कर भू-खण्ड पुनः खरीद लिया था ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिलाधीश, जालौर ने बिना जांच पडताल किये ही यह भू-खण्ड पंचायत को दे दिया ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस मामले का भांबियान को मालूम होने पर उन्होंने सम्बन्धित मन्त्री महोदय को इत्तिला दी थी जिस पर स्थगन आदेश भेज दिया गया था पर जिलाधीश ने जबर्दस्ती उनके झोंपडे गिरवा दिये ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि दिनांक 22-8-68 को जिलाधीश, एस. डी. ओ. तहसीलदार, पटवारी भांबियान के वकील इन्द्रलाल शर्मा आदि ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया व भांबियान को बदले में दूसरे भू-खण्ड 1250 (33) वर्ग गज फ्री देने का आश्वासन दिया ?

(6) क्या यह सत्य है कि वह भू-खण्ड नहीं देने पर उप-मन्त्री महोदय ने शीघ्र ही भूमि देने के आदेश दिनांक 28-9-68 को दिये पर जिलाधीश अभी भी वे भू-खण्ड नहीं दे रहे हैं और भांबियान को उल्टा धमका रहे हैं।

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी एकत्रित नहीं हो सकी है, इसलिये निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा: इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अब तो स्थगित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 629

श्री शम्भूराम पटेल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री पी. के. चौधरी

पंचायतों के चुनाव

637. **श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा):** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान पंचायत एवं पंचायत समितियों के टर्म कब समाप्त हो रहे हैं ?

(श्री पी.के. चौधरी)

(2) पंचायत एवं पंचायत समितियों के चुनाव कब तक होंगे ?

(3) पंचायतों की मतदाता सूचियों के रिविजन कब तक किये जाने की सम्भावना है?

(4) पंचायत समिति रीआर्गेनाइजेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगा?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) वर्तमान पंचायतों के कार्यकाल की अवधि 20-1-70 तथा पंचायत समितियों के कार्यकाल की अवधि 8-2-70 को समाप्त होगी।

(2) पंचायत एवं पंचायत समितियों चुनाव कराये जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने की कार्यवाही आम चुनाव कराये जाने के निर्णय के बाद ही की जावेगी।

(4) यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कमीशन रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगा। आशा है एक वर्ष के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत हो जावेगी।

श्री **पी. के. चौधरी** : उत्तर (2) में आपने बताया कि विचाराधीन है, तो कब तक करेंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री **पी. के. चौधरी** : वर्तमान पंचायतों और पंचायत समितियों के समय खत्म होने से पहले आप करायेंगे या नहीं ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जो टर्म है उसके कार्यकाल को आगे नहीं बढा सकते इसलिये उसके अन्दर ही करना पड़ेगा।

श्री **पी. के. चौधरी** : वह ही हम जानना चाहते हैं कि उनका जो एग्जिस्टिंग टर्म है वह पंचायतों के लिये 20-2-60 तक और पंचायत समितियों का 8-2-70 पर खत्म हो रहा है, तो इससे पहले आप चुनाव करा लेंगे ? यह फर्म कमिटमेंट चाहते हैं।

श्री **परसराम मदेरणा** : जो पावर्स हमको इस हाउस ने डेलीगेट कर रखे हैं उसके अनुसार हम एक साल तक एक्सटेन्शन कर सकते हैं, वे पावर्स तो हमारे पास है ही कानून के अनुसार। लेकिन इन पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे या नहीं यह विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में एक बिल भी सदन में आने वाला है, इसलिये पहले राज्य सरकार निर्णय नहीं लेगी।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : यह विचाराधीन का पीरियड कितना होता है ? कोई इसका ड्यूरेशन होता है या नहीं ?

श्री **परसराम मदेरणा** : कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। कोई प्रश्न ज्यादा टाइम लेता और कोई कम टाइम लेता है। यह इलेक्शन का मामला है और जब तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। यह पालिसी मैटर है।

प्रश्न संख्या 631

श्री **उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न, श्री नंदलाल।

प्रश्न संख्या 632

(अनुपस्थित) कृपया आगे देखिये)

Page No 12

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी**।

प्रश्न संख्या 632

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री **बनवारी लाल**।

प्रश्न संख्या 633

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री बीरबल।

राजस्थान नहर परियोजना में बेदखल काश्तकार

634. श्री **बीरबल** (संगरिया सु.) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना में भूमि आवंटित काश्तकारों को इसलिये भूमि से बेदखल किया गया है कि वे 15-10-55 के बाद के काश्तकार हैं जबकि ऐसा नहीं है और तहसीलदार व पटवारी उनको मालशुमारी व मरदुम शुमारी नहीं देते है ?

(2) कितने काश्तकारों को राजस्थान नहर परियोजना पर भूमि से बेदखल किया गया है ?

राज्य मन्त्री (श्री मनफूलसिंह) : (1) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(2) किसी भी भूमिहीन काश्तकार को भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। केवल एक राज्य कर्मचारी को किया है।

श्री **बीरबल** : उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि केवल एक आदमी को बेदखल किया है, हमारे गांव में ही कम से कम 300 परिवारों को बेदखल किया गया है।

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : ऐसा है, 15-10-55 से लेकर 1960 तक आरजी तौर से जमीन काश्त पर की गई थी। 18-1-61 को

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी आवाज सुनाई नहीं देती।

श्री **राम प्रसाद लड्ढा** : 18-1-61 से पुख्ता आवटन के रूल्स लागू हो गये हैं और उसके अन्तर्गत, उस आर्जी काश्त को, जो वह पहले से चला रहा था, उसको टर्मिनेट करते हैं और पुख्ता आवटन के लिये अगर वह कानून से हकदार है तो उसको पुख्ता आवटन किया जाता है। इसलिये टर्मीनेशन का नोटिस तो देना ही पड़ता है, उसके बाद ही पुख्ता आवटन की कार्यवाही हो सकती है। उनको बेदखल नहीं करते जब तक पुख्ता आवटन न हो जाये। तो यह टर्मीनेशन का नोटिस तो उनके हित में ही है, उसके बाद ही वे पुख्ता आवटन के लिये एलीजीबिल हो सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : राजस्थान कैनाल के बारे में एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट था, उसका जवाब भी साथ साथ दे दें तो अच्छा रहेगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : समय रहेगा तो लिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 635

श्री **कृष्ण कुमार गोयल**।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री **मजलिसखां**।

कस्बा गोपालगढ को बिजली

636. श्री **मजलिस खां** (कामां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि कस्बा सीकरी को भरतपुर से और कस्बा पहाडी को भाकडा से बिजली सप्लाई की गई है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि कस्बा गोपालगढ, कस्बा पहाडी से 4 मील और कस्बा सीकरी से 5 मील नगर पहाडी रोड पर ही लगता है, जिसकी आबादी 5 हजार है ? क्या यह भी सही है कि कस्बा गोपालगढ को बिजली सप्लाई करने के लिये सदन में बार बार प्रश्न उठाये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त कस्बों को कहां से और कब तक बिजली सप्लाई कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति कामां के ग्राम गढ अजान, ग्राम बिलंग और ग्राम कनवाडा को बिजली सप्लाई करने के लिये सर्वे भी करा लिया गया है ? क्या यह भी सही है कि धनाभाव के कारण उक्त स्कीम को स्थगित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या अब 132 के. वी. लाइन से भरतपुर को जोडने के साथ ही उक्त ग्रामों की स्वीकृत स्कीम को प्राथमिकता दी जा कर बिजली सप्लाई कर दी जावेगी ?

उपमन्त्री, विद्युत् (श्री खेत सिंह) : (1) जी हां, कस्बा गोपालगढ, जिसकी जन संख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 1947 है, अभी तक किसी योजना में स्वीकृत न होने के कारण विद्युतिकरण नहीं किया जा सका और न यही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस कस्बे का विद्युतिकरण कब तक हो सकेगा।

(2) जी हां। अभी तक निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न संख्या 637

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री राम प्रसाद बोहरा।

प्रश्न संख्या 638

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बृजवल्लभ बोहरा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 234

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सावरमल बासोतिया।

स्थगित प्रश्न

नवलगढ में बाढ से क्षति

446. श्री **सावरमल बासोतिया** (नवलगढ) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में नवलगढ कस्बे में पानी की भयकर बाढ आई थी ? यदि हां, तो इसमें कुल कितने घर डूबे और कितने मकान पूर्णरूप से तथा कितने मकान आंशिक रूप से नष्ट हुए ?

(2) इस बाढ से कुल कितना नुकसान आंका गया ?

(3) क्या यह सही है कि यह बाढ नवलगढ कस्बे में प्रथम बार आई ? यदि हां,

(श्री सांवरमल बासोतिया)
तो क्या राज्य सरकार को पता चला कि यह बाढ किधर से आई और पानी उद्‌गम स्थान से नवलगढ कस्बे के बीच कितने गांवों और ढाणियों को नुकसान पहुंचाता हुआ आया ?

(4) सरकार ने भविष्य में बाढ से इस क्षेत्र को बचाने के लिये क्या उपाय सोचा है ? क्या राज्य सरकार को पता है कि निकट भविष्य में ही पुनः वर्षा का समय आने वाला है और वही बाढ की हालत पुनः उत्पन्न हो सकती हैं ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार के सामने क्या रूपरेखा है ?

उप मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, यह सही है कि गत वर्षा में नवलगढ कस्बे में पानी की भयंकर बाढ आई थी। इसमें 2050 मकान पूर्णतया नष्ट हो गये तथा 796 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।

(2) इस बाढ से कुल नुकसान लगभग 45,38,600 रुपये का आंका गया।

(3) जी नहीं। यह बाढ नवलगढ कस्बे में दुबारा आई है। यह बाढ का पानी झाझड, धाय, बिरोल तथा परशरामपुरा की तरफ से नवलगढ को ढाणियों एवं कस्बे को नुकसान करते हुए आया।

(4) भविष्य में बाढ से इस क्षेत्र को बचाने के लिये बांध बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री सांवरमल बासोतिया : यह योजना कब तक चालू हो जायेगी और अगली बरसात से पहले समाप्त हो जायेगी या नहीं ?

अकाल सहायता मंत्री, (श्री परसराम मदेरणा) : यह योजना अब तक सिंचाई विभाग के विचाराधीन है और वे जब निर्णय ले लेंगे तो कार्य चालू किया जायेगा।

श्री सांवरमल बासोतिया : यह जो बांध बांधने की योजना है, वह बांध कहां बनाया जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : अब तक जो जिलाधीश का सुझाव आया था उसके अनुसार परसरामपुरा नदी को रोकने के लिये एक बांध अनारी जोशी पर और एक ग्राम फुलजाना में बनवाना था, ऐसा सुझाव था, लेकिन सिंचाई विभाग इस पर निर्णय देगा कि कहां पर बनाना उचित होगा।

श्री सांवरमल बासोतिया : परशरामपुरा नदी जो है वह कस्बे के साउथ में नहीं है और इसलिये आप बांध बनवाने के पहले इस मामले की पूरी जानकारी करवा दीजियेगा कि बाढ कहां से आती है।

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर ने कुछ भी सुझाव दिया, लेकिन यह मामला टेक्निकल डिपार्टमेन्ट को रेफर किया गया है। कलेक्टर का सुझाव कोई फाइनल नहीं है। टेक्निकल डिपार्टमेन्ट को यह देखना है कि कहां पर बांध बनवाना नवलगढ के लिये उचित होगा। आपने जो सुझाव दिया है उस पर भी विचार करेंगे और टेक्निकल डिपार्टमेन्ट से भी राय लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 492

Page No 15

(श्री अध्यक्ष)

श्री चुन्नीलाल जेलिया ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 499

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 524

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मूलचन्द डागा : एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट था ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : पौंग डेम के बारे में, राजस्थान कैनाल के संबध में ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 609

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : 609

पौंग बांध के पानी में राजस्थान का हिस्सा

609. श्री **हंसराज आर्य** (भादरा): **की अनुपस्थिति में श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) द्वारा पूछा गया :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पौंग बान्ध के बन जाने पर जो पानी बांध में जमा होगा उसमें राजस्थान का कितना मिलियन एकड हिस्सा है ?

(2) उस हिस्से में से गंग कैनाल को कितना भाखरा को कितना और राजस्थान कनाल में कितना हिस्सा रहेगा ?

(3) क्या इस कुल पानी का बंटवारा उपरोक्त नहरों के लिये अलग अलग निर्धारित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि किया गया है तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(4) पौंग बांध से राजस्थान के कोटे का पूरा पानी कब मिलने लग जायगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(1) पौंग बांध में जो पानी जमा होगा उसमें राजस्थान का हिस्सा 2.93 मिलियन एकड होगा ।

(2) पानी में गंग कैनाल, भाखरा व राजस्थान कैनाल का हिस्सा नहीं है लेकिन इन नहरों को कुल पानी में से कुछ पानी देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(3) जैसा प्रश्न दो के उत्तर में बताया गया है इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है । राजस्थान नहर परियोजना के लिये पानी की आवश्यकता का प्रश्न विचाराधीन है । इसका निर्णय हो जाने पर यदि पानी बचेगा तो उससे भाखरा एवं गंग कैनाल को दिया जा सकता है ।

(4) पौंग डेम का कार्य 1973-74 में पूरा होने की उम्मीद है । उसके बाद राजस्थान को कोटे का पानी पूरा मिलने लगेगा ।

श्री **सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 625 बहुत महत्वपूर्ण है । हरिजनों को खारा पानी पिलाया जा रहा है जिससे उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड रहा है । इसका उत्तर दे दिया जाय तो मंत्री महोदय को क्या एतराज है ।

Page No 16

श्री उपाध्यक्ष : 625 समाज कल्याण मंत्री।

हरिजन परिवारों के लिए पानी की व्यवस्था

625. श्री **रामनारायण चौधरी (मंडावा) की अनुपस्थिति में श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ) द्वारा पूछा गया :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के पास पंचायत समिति अलसीसर जिला झुंझुनूं से खारे पानी के गांवों में रहने वाले हरिजन परिवारों के पीने के पानी की तकलीफात की शिकायतें हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

(2) ऐसे कितने गांव हैं जिनके बारे में सरकार को जानकारी मिली है कि वहां की अनुसूचित जाति के लोग पानी के अभाव में तकलीफ में हैं ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विशम्भर नाथ जोशी) : (1) जी नहीं प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) झुंझुनूं जिले के चार गांवों में पीने के पानी के कुओं के लिये पंचायत समितियों द्वारा अनुदान स्वीकृत करने हेतु आवेदन-पत्र भेजे गये थे।

जिले में पीने के पानी की तकलीफ के संबंध में अन्य कोई जानकारी इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए !

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित-प्रश्नोत्तर

एक्सरे फोटो के उपयोग में आने वाला पेपर

605. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार को दिल के दौरे के रोगियों के दिल का फोटो एक्स-रे लेने के लिये ई.सी.जी. पेपर देश के बाहर के देशों से आयात करके मंगवाना पडता है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के अस्पतालों में ई. सी. जी. पेपर के अभाव में कई बार दिल के रोगियों के दिल का एक्सरे नहीं लिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर की एक फर्म मैसर्स गैडक्टस एन्ड एप्लाएन्सेज, 17. सी. Ind.Est. जयपुर 6 ने ई. सी. जी. पेपर जो स्वयं तैयार करती है सप्लाई करने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने सरकार को यह भी लिखा था कि बेंगलौर चंडीगढ एवं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ई. सी. जी. पेपर खरीद कर रही है और इन्होंने उक्त फर्म को इसके लिये मान्यता दी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

Page No 17

(चिकित्सा मन्त्री)

(2) इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) इस तरह की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

गीली लकडी की कटाई

607. श्री **देवी लाल** (सराडा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला उदयपुर रेन्ज फोरेस्ट नाका केवडा आदि जंगलों से गीली लकडियों की नाजायज कटाई कर चोरी द्वारा ट्रकें भरकर लाई जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर सिटी के डिप्टी रेन्जर की साजिश से यह कार्य किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो चुंगी नाका के पास चोरी की लकडी क्यों नहीं पकडी जाती है ?

(3) क्या चोरी की लकडी उदयपुर शहर के लकडी के स्टाल वालों के यहां बेची जाती है ? यदि हां, तो कितने स्टाल वालों के यहां जांच की गई और कितने केस बनाये गये ?

(4) क्या केवडा आदि के जंगल चोरी से काटे जाने के कारण सारे जंगल समाप्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो एक गश्त पार्टी क्यों नहीं बनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, कभी कभी ऐसा पाया गया है।

(2) जी नहीं, नाजायज तौर पर लकडी आने पर पकडी गई है एवं उनके केस बनाए गए हैं। सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीकर–डीडवाना विद्युत् लाईन

610. श्री **मदन सिंह** (दांता रामगढ) क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर से डीडवाना तक एक नई विद्युत् लाइन खींची जा रही है ? यदि हां, तो इस लाइन से किन किन ग्रामों में बिजली उपलब्ध करवाई जावेगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इसी विद्युत् लाइन को खूड में चंबल की विद्युत् लाइन जो कि दांता तक है से जोडा जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) दांतारामगढ क्षेत्र में कितने व्यक्तियों ने बिजली लेने की प्रार्थनाएं प्रस्तुत की हैं और सिक्योरिटी जमा करवाई है और उन्हें कब तक बिजली उपलब्ध करवा दी जावेगी ?

(विद्युत् मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, यह 33 के. वी. की लाइन है, जिसका लक्ष्य अधिकतर संबधित क्षत्र में विद्युत् प्रवाहित करना होता है और तत्पश्चात् शनैः शनैः ग्रामीण विद्युतिकरण होता है। अस्तु इस लाइन से ग्रामों के विद्युतिकरण का प्रश्न नहीं उठता। प्रारूप में इस परिवेक्षण प्रतिवेदन में केवल लोसल के विद्युतिकरण का प्रावधान रखा गया है।

(2) जी नहीं, अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) 8 व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र देकर सिक्योरिटी जमा कराई है। इन्हें निकट भविष्य में ही कनेक्शन दे दिए जायेंगे।

कोटा में फोरेस्ट प्रोजेक्ट आफिसर

611. श्री **दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा में फोरेस्ट प्रोजेक्ट आफिसर कौन है और इनका कार्य-क्षेत्र कहां कहां है तथा यह अधिकारी कोटा में कितने वर्षों से हैं?

(2) इस अधिकारी ने सन् 1968 में जयपुर तथा दिल्ली कितनी बार जीप द्वारा यात्रा की और कितने कितने दिन की तथा इस यात्रा में कितना मील मार्ग जीप ने तै किया तथा अनुमानित व्यय क्या हुआ ?

(3) फोरेस्ट प्रोजेक्ट आफिसर के कार्यालय में कितनी जीपें हैं और सन् 1968–69 में प्रत्येक जीप को किस किस अधिकारी ने कितना कितना उपयोग किया व अनुमानित व्यय क्या हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री नन्दन भार्गव हैं। इनका कार्य-क्षेत्र राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व कोटा बेराज के जल गृह क्षेत्र हैं। जो चित्तौडगढ, कोटा, बूंदी जिलों में पडता है। ये आफिसर नवम्बर, 63 से कोटा में कार्य कर रहे हैं।

(2) दिल्ली कोई यात्रा नहीं की, जयपुर यात्रा 15 बार की जिसमें कुल 13,503 कि. मी. जीप चली एवं आने-जाने के दिनों सहित कुल 94 दिन लगे। इन यात्राओं पर कुल 2,522.50 पै. व्यय हुआ।

(3) तीन जीपें हैं। वर्ष 1968-69 में जिन जिन अधिकारियों द्वारा जितना जितना इन जीपों को काम में लिया गया था जो व्यय हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांव चाडी में अकाल राहत कार्य

612. श्री **पृथ्वीसिंह चौहान** (बाली): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि गांव चाडी, तहसील फलोदी में अकाल राहत कार्य खोला गया था ? यदि हां, तो उसमें अधिकतर मजदूरों की संख्या क्या रही है ?

(श्री पृथ्वीसिंह चौहान)

(2) क्या यह राहत कार्य बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम चाडी तहसील फलोदी में राहत केम्प खोला गया था। इस में अधिकतम श्रमिक संख्या ९,००० थी।

(2) जी हां। यह कार्य दिनांक 28-2-69 को इसलिये बन्द कर दिया था कि चाडी केम्प क्वारी पर काम पूरा हो गया था और चोतीणा केम्प के पास मिट्टी का काम पूरा हो गया था, और आगे जहां मिट्टी का कार्य करना था, वहां श्रमिक नहीं जा रहे थे।

रायपुर समाज कल्याण विस्तार योजना

613. श्री **शंकर लाल** (जैतारण): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की रायपुर समाज कल्याण विस्तार योजना के संचालन हेतु कौन कौन सी समिति अथवा उप समिति कार्य कर रही हैं और उनके सदस्य कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) इन समितियों की चालू वर्ष व गत वर्ष में मीटिंग कब कब बुलाई गई और कुल कितनी मीटिंगें कोरम से हुईं ?

(3) क्या यह सही है कि समिति के सब सदस्यों को मीटिंग की इत्तिला नहीं भेजी जाती है इसलिये उपस्थिति कम रहती है ?

(4) क्या भविष्य में मीटिंग की इत्तिला पोस्टल सर्टीफिकेट द्वारा भेजी जाने की व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ?

(उत्तर स्थगित किया गया।)

सवाई मानसिंह अस्पताल में मशीनें

614. श्री **ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल में आर्टीफिशियल किडनी व इ.इ.जी. की मशीन है ?

(2) यदि हां, तो क्या ऐसी मशीनें दूसरे नम्बर के अस्पतालों में भी हैं ?

(3) यह कब खरीदी गई व इनकी क्या कीमत है ?

(4) क्या इन मशीनों को कभी काम में लिया गया ? अगर हां, तो कितने दफे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आर्टिफिशियल किडनी की सम्पूर्ण मशीन प्राप्त नहीं है। एक इ.इ.जी. मशीन यहां के न्यूरो सर्जरी वार्ड में है।

(2) जी नहीं।

(3) किडनी की मशीन के कुछ हिस्से प्राप्त हुए हैं जिनपर दिनांक 20-12-66 तक करीब 30,000— रु. व्यय हुआ है।

ई.ई.जी. मशीन मार्च, सन् 1968 में क्रय की गई थी जिस पर 77,512/—रु. व्यय हुआ है।

(चिकित्सा मन्त्री)

(4) किडनी की मशीन पूर्ण न होने के कारण उसको कार्य में लेने का प्रश्न नहीं आता है। ईई.जी. मशीन पर अभी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

अलवर सब-डिविजन में खरीदे गये सीमेन्ट के खाली कट्टे

616. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अलवर सब--डिवीजन के सहायक अभियन्ता सरदार अजीतसिंह ने स्थानीय ठेकेदार श्री किशन सिंहजी से खाली सीमेन्ट के कट्टे जून-जुलाई, 1967 में खरीद किये थे ? यदि हां, तो कितने कितने कट्टों का आर्डर कौन कौन सी तारीख में दिया गया था और किस रेट पर दिया गया था ?

(2) क्या इन कट्टों की खरीद के लिए कोई टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कौन सी तारीख को ? टेन्डर मांगने के पत्र अथवा नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। यह भी बतावें कि उक्त टेन्डर के नोटिस किस किस को भेजे गए थे ?

(3) क्या उक्त सप्लाई के लिए कोई टेण्डर प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो किस किस के और कौनसी तारीखों में ? टेण्डर देने वाली फर्म क्या क्या काम करती है ? कृपया टेण्डरों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त खरीद के लिए सहायक अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी ?

(5) क्या यह भी सही है कि इन कट्टों की अदायगी भी सहायक अभियन्ता द्वारा बिना अधिशासी अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति के कर दी गई है ?

(6) क्या यह सही है कि इसी वर्ष में इसी सब-डिवीजन में नीम का थाना में खाली सीमेन्ट के कट्टे लगभग 65 पैसे प्रति कट्टे के हिसाब से खरीद किए थे ?

(7) क्या यह सही है कि सरदार किशन सिंह ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए गए कट्टे स्टोर पर सप्लाई नहीं किए गए बल्कि मौके पर जहां उन्हें इस्तेमाल किया जाना था वहां सप्लाई किए गए ? यदि हां, तो इनकी तादाद ठीक होने की क्या गारन्टी रखी गई ?

(8) क्या यह सही है कि इस खरीद के बारे में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पास सहायक अभियन्ता श्री अजीत सिंह की सरदार किशन सिंह से सांठ गांठ करके अनुचित लाभ उठाने और राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ?

(9) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतें प्राप्त होने पर अधिशासी अभियन्ता, अलवर ने उक्त ठेकेदार को दस पैसे प्रति कट्टा वापिस जमा करने के लिए पत्र लिखा ताकि इस मामले को नियमित किया जा सके ?

Page No 21

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(10) क्या इस खरीद के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई जांच कराई है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

उत्तर

(1) जी हां। 1000 कट्टों का आर्डर दिनांक 1-7-67, 5000 कट्टों का आर्डर दिनांक 20-7-67, 5000 कट्टों का आर्डर दिनांक 24-8-67 और 0.78 पैसे प्रति कट्टा दिया।

(2) जी हां, तारीख 19-6-67 को टेन्डर मंगाने का पत्र जारी किया गया जिसमें दिनांक 23-6-67 को 11 बजे तक रेट देने को लिखा गया था जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी है। यह टेन्डर नोटिस निम्न को भेजा गया था। 1. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई अलवर 2. नोटिस बोर्ड 3. सहायक अभियन्ता कामां, 4. सहायक अभियन्ता नीम का थाना।

(3) जी हां, तारीख 23-6-67 तक।

(1) श्री किशन सिंह, (2) मैसर्स ईश्वर आटोमोबाइल्स अलवर, (3) मैसर्स ग्राजी ट्रेडर्स अलवर, (4) तिलवाड लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी। फर्म के काम करने की पूरी जानकारी इस विभाग को नहीं है इतना अवश्य है कि यह फर्म माल देने व ठेके का काम करती है। टेन्डर की डुप्लीकेट कापी सदन की मेज पर रख दी है।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

(7) कट्टे अलवर में अलग अलग अधिदर्शकों को सप्लाई किये गये और उन्होंने गिन कर अपने अपने रजिस्टरों में दर्ज किया।

(8) जी हां।

(9) उचित कार्यवाही नियमानुसार की गई और उस ही के अन्तर्गत एक पत्र श्री किशन सिंह को लिखा गया कि जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(10) जांच के लिए एस. ई. सिंचाई जयपुर को लिखा गया था उनकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अनुसूचित जनजाति के प्रार्थी

617. श्री नाथूराम (बागीडोरा सु.): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के नियोजन (एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज) कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर कितने अनसूचित जनजाति के प्रार्थी उपलब्ध हैं तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है? कार्यालयवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें तथा यह भी बताने की अनुकम्पा करें कि अन्य बाकी प्रार्थियों से उनका क्या क्या अनुपात है?

(श्री नाथूराम)

(2) जिला नियोजन कार्यालय बांसवाडा में 1968 में कितने अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति रजिस्टर्ड हुए तथा उनमें से कितनों को काम मिला एवं अन्य बाकी प्रार्थियों से उनका क्या अनुपात है ?

(3) जिला नियोजन कार्यालय बांसवाडा में 1968 में कुल कितने आदमियों को काम दिलवाया गया व किस किस व्यवसाय में तथा प्रत्येक व्यवसाय में कितने कितने आदिवासी थे ?

उत्तर

(1) राज्य के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 29-12-68 को 1827 अनुसूचित जनजाति के प्रार्थी उपलब्ध थे। उनमें से 530 मैट्रिक पास, 237 हायर सैकण्डरी पास, 41 स्नातक, 6 स्नातकोत्तर परीक्षा पास और 1013 मैट्रिक से कम योग्यता वाले तथा अनपढ थे।

वांछित कार्यालय सूची (परिशिष्ट अ) संलग्न है। अन्य प्रार्थियों के साथ उनका अनुपात निम्नलिखित है:—

शैक्षणिक स्तर	अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुपात
1. मिडिल पास व अनपढ	1013	42202	1:41
2. मैट्रिक पास ..	530	26731	1:49
3. हायर सैकेण्डरी पास इण्टरमिडियेट	237	15242	1:63
4. स्नातक	41	3767	1:91
5. स्नातकोतर	6	764	1:126
योग :–	1827	88706	1:48

(2) जिला नियोजन कार्यालय बांसवाडा में 1968 में कुल 252 प्रार्थी अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत हुए व 35 अनुसूचित जनजाति के प्रार्थियों को काम दिलवाया गया। अन्य प्रार्थियों के साथ उनका निम्नलिखित अनुपात है:—

पंजीकृत 1:8

नियोजित 1:3

(3) जिला नियोजन कार्यालय बांसवाडा द्वारा 1968 में कुल 303 व्यक्तियों को काम दिलवाया गया इनमें 35 आदिवासी थे। जिन जिन व्यवसायों में इनको काम दिलवाया गया उसके सम्बन्ध में सूचना संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

वन सम्पदा के विनाश के कारण छोटे नगरों में लकडी की कमी

618. श्री केशरीसिह (हिन्डोली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में वन सम्पदा का जो तेजी से विनाश हो

Page No 23

(श्री केशरीसिंह)

रहा है उसके कारण छोटे नगरों में उनकी आवश्यकता के अनुसार लकडी नहीं मिल पाती हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि छोटे नगरों में शव को जलाने योग्य भी लकडी नहीं मिल पाती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका लाखेरी ने जिलाधीश बून्दी तथा जिला वन अधिकारी को अनुरोध करने पर भी मुर्दों के जलाने की लकडी की कोई सुचारु व्यवस्था नहीं की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । आवश्यकतानुसार लकडी सभी स्थानों पर उपलब्ध हो जाती है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं, नगरपालिका लाखेरी की मांग पर मुर्दे जलाने हेतु लकडी की व्यवस्था करदी गई थी । उन्हें बून्दी स्थित ठेकेदार से लकडी प्राप्त करने की सलाह दे दी गई है, और उन्होंने लकडी भी प्राप्त करली है ।

तहसील बानसूर के कस्बों को बिजली

619. श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर कोटपूतली बिजली लाइन पर बानसूर तहसील के कस्बे हमीरपुर, हाजीपुर को मूमसेडा के काश्तकार बिजली लेने की करीब 5-6 साल से मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनको बिजली न देने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि हमीरपुर कस्बे में वाटर वर्क्स बिना बिजली के चालू नहीं हुआ है जो कि बिजली की लाइन इस कस्बे के बाहर से गई हुई है ?

(3) अगली साल अलवर जिले के किस किस गांव को बिजली देने का और किन किन स्थानों को नई लाइन से जोडने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां । स्वीकृत योजना में शामिल नहीं होने के कारण ।

(2) जी हां । ग्राम हमीरपुर में से 33 के. वी. की लाइन निकलती है ।

(3) अगले साल की योजना अभी तक बन कर स्वीकृत नहीं हुई है ।

अकालग्रस्त क्षेत्र के लिये ट्यूब वैल्स

621. श्री **बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने अकाल क्षत्र के पेय जल की समस्या के समाधान के लिए साठ ट्यूब वैल खोदने की स्वीकृति दी है ? अगर हां, तो किस जिले में कितने खोदे गये हैं और कितने खोदे जावेंगे ?

Page No 24

(श्री बालसिंह सीढा)

(2) क्या यह भी सही है कि जितने ट्यूब वैल खोदे गये हैं उन पर मशीनें नहीं लगी हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ ट्यूब वैल वाटर वर्क्स के अधीन है और कुछ कृषि विभाग के अधीन हैं ? अगर हां, तो किस विभाग के पास कौन कौन से ट्यूब वैल हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिये 60 ट्यूब वैल्स खोदने की स्वीकृति दी थी। उनमें से जो खोदे गये हैं एवं जो खोदे जायेंगे, उनकी जिलेवार सूची मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । जितने ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं, उनमें से 3 पर मशीन लगी हैं । शेष पर नहीं लगी है । उसका कारण यह है कि मशीनें, कुओं की गहराई, क्षमता आदि को देखने के बाद ही मंगवाई जाती हैं, जो कुछ समय पहले ही प्राप्त हुई हैं। अब उन्हें लगाने की व्यवस्था की जा रही हैं ।

(3) जी नहीं । इनमें से कोई भी ट्यूब वैल्स वाटर वर्क्स या कृषि विभाग के आधीन नहीं है । सभी ट्यूब वैल्स अभी राजस्थान भू-जल मण्डल के नियन्त्रण में हैं । इसलिये विभागवार सूची का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

लोकल फंड आडिट के प्रतिवेदनों की अनुपालना

623. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि लोकल फंड आडिट विभाग द्वारा की गई आडिट रिपोर्टों की अनुपालना निर्धारित समय में नहीं की जाती ? यदि हां, तो दिनों दिन बढती हुई इस प्रवृति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का निश्चय किया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लोकल फंड आडिट एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि निश्चित समय में आडिट रिपोर्ट की अनुपालना होनी चाहिये ? यदि हां, तो इसका उल्लघन करने पर क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है ?

(3) क्या मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये उक्त कानून में कोई सुधार किया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या ? और कब तक किया जायेगा ?

उत्तर

(1) हां । अनुपालना प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर नियन्त्रण अधिकारियों को लिखा जाता है ।

(2) हां । उल्लघन करने पर एक्ट की धारा 10 (3) के अन्तर्गत परीक्षक द्वारा सुझाव भेजने एवं हानि की वसूली करने तथा अधिभार अभियोग का प्रस्ताव नियन्त्रण अधिकारियों को भेजने का प्रावधान है ।

(3) हां । परीक्षक को नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में अनुपालना न कराने पर प्रशासनिक विभाग एव राज्य सरकार को सूचित करने सम्बन्धी नियमों में सुधार करना उचित प्रतीत होता है । यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

नगरपालिकाओं के चुनाव

624. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) :

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में इस समय कुल कितनी नगरपालिकाएं हैं जिनमें प्रशासक नियुक्त हैं और जिनके चुनाव होने बाकी हैं ?

(2) मई माह में होने वाले चुनावों को किन आधारों पर स्थगित किया गया ?

(3) इन नगरपालिकाओं के चुनाव कब तक कराये जावेंगे ?

उत्तर

(1) इस समय 71 नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त हैं और चुनाव होना बाकी है।

(2) प्रशासनिक कारणों से मई मास में होने वाले चुनावों को स्थगित किया गया।

(3) अब इन नगरपालिकाओं के चुनाव दिसम्बर, 1969 तक करा दिये जावेंगे।

रतनगढ अस्पताल में काटेज वार्ड का किराया

626. **श्री लाभ चन्द बेंद** (सुजानगढ):क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रतनगढ अस्पताल में काटेज वार्ड का किराया कब से बढाया गया ?

(2) क्या काटेज वार्ड में पहले से ज्यादा सुविधा का प्रबन्ध किया गया है ? अगर नहीं तो किराया बढाने का क्या कारण है ? क्या सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया है कि काटेज वार्डों की हालत बहुत ही खराब है और सब टूटी फुटी अवस्था में हैं ? अस्वच्छ हैं, किवाडों के शीशे नहीं हैं, रसोईघर में रोटी पकाने के लिये चूल्हे नहीं हैं ? बिजली के बल्ब नहीं हैं, साईड रूम में पखे भी नहीं हैं और लेट्रिन में गमले टूटे पडे हैं।

उत्तर

(1) दिनांक 3-3-1966 से।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश पत्र संख्या एफ 12 (8) एम. पी. एच.।65 दिनांक 28-3-66 से बढाया गया। मरम्मत एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

ग्राम सावर में दाईखाना

927. **श्री देवी लाल बुरासिया** (केकडी सु.): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वह सही है कि ग्राम सावर तहसील केकडी में ग्राम पंचायत व जन सहयोग से एक दाईखाने का निर्माण कराया गया था ?

(2) अगर हां, तो उसको बने हुए कितने साल हो गए हैं ?

(3) क्या वहां पर दाईखाना चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) सरकार उक्त दाईखाने को कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अवधि ज्ञात नहीं है, पर सरपंच महोदय ने दिनांक 21-5-68 को स्टाफ स्वीकृत करने के लिये लिखा था।

(3) जी नहीं। धनाभाव के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका।

(4) योजना मद में आर्थिक सुविधा होने पर ही विचार करना सम्भव होगा।

लालसोट में ट्रान्सफोरमर

629. श्री **शम्भूराम पटेल** (लालसोट सु.): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लालसोट में कितने ट्रान्सफारमर हैं व उनकी क्षमता क्या है? इस समय कितने अश्वशक्ति का भार ट्रान्सफारमर पर है?

(2) कितने अश्वशक्ति के प्रार्थना-पत्र पेंडिग हैं?

(3) मोजूदा ट्रान्सफारमर के स्थान पर यदि बडे लगाये जावें तो क्या खर्च होगा? और पेंडिग प्रार्थना-पत्रों से क्या आमदनी होगी? क्या सरकार को विदित है कि इस शिथिलता से मण्डल को धन हानि और उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार लालसोट में ट्रान्सफोरमर की क्षमता बढाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) लालसोट में दो ट्रांसफारमर हैं प्रत्येक की क्षमता 100 के. वी. है। एक ट्रांसफारमर पर 165.5 हार्स पावर का एवं दूसरे पर 131 हार्स पावर का लोड है।

(2) 195 अश्व शक्ति के।

(3) (i) बडे ट्रांसफारमर की क्षमता पर निर्भर है।

(ii) उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की मात्रा के उपयोग पर आय निर्भर है जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(iii) हो सकता है, किन्तु सारा कार्य एक साथ नहीं हो सकता है।

(iv) आगामी वर्ष में विचार किया जावेगा।

बिलासी प्रोजेक्ट, तहसील किशनगंज

631. श्री **नन्दलाल** (किशनगंज): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिलासी प्रोजेक्ट, तहसील किशनगंज का सर्वे हो चुका है? यदि हां, तो सर्वे किस साल हुआ?

(2) इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितनी धनराशि का अनुमान है?

(3) किन कारणों से यह प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हो रहा है?

उत्तर

(1) सर्वे 1962 में हुआ था परन्तु ज्यूलोजिकल इन्वेस्टीगेशन एण्ड सोयल सर्वे होना शेष है।

(2) अनुमानित लागत 62 लाख होगी।

Page No 27

(श्री सिंचाई मंत्री)

(3) अभी तखमीना बनाया जा रहा है।

चीनी वितरण में अनियमिततायें

632. **श्री प्रेम सिंह सिंघवी** (छबडा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला नागौर, ग्राम पातू कलां के नागरिकों ने गांव में चीनी के वितरण में घोटालों व अनियमितताओं के विषय में जिलाधीश व अन्य अधिकारियों के समक्ष शिकायतें की हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब व किस अधिकारी से जांच करवाई गई?

स्थगित किया गया।

धौलपुर से सेपऊ-केथरी तक बिजली की नई लाइन

633. **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की धौलपुर से सेपऊ-केथरी तक एक बिजली की नई लाइन डालने की योजना है, जिसका सर्वे हो चुका है?

(2) यदि हां, तो उससे कितने गांव प्रभावित होंगे?

(3) क्या सरकार उक्त लाइन सडक के किनारे किनारे डालकर बीच में आने वाले बडे बडे गांवों में बिजली पंहुचा कर वहां के कृषकों को लाभ पहुंचाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। सर्वे किया जा चुका है किन्तु परियोजना अभी तैयार नहीं की गई है।

(2) योजना बन जाने पर एवं स्वीकृत होने से पहले।

(3) निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

कोटा जिले में चेरिटी फंड के माध्यम से एकत्रित धन-राशि

635. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा ज़िले में अब तक चेरिटी फंड के माध्यम से कुल कितना रुपया इकट्ठा हुआ? वर्ष वार आंकडे देने का कष्ट करें।

(2) उक्त राशि में से कितना कितना अनुदान किस किस को कब कब दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि कई व्यक्तियों व सहकारी संस्थाओं में चेरिटी फंड की रकम बकाया है? अगर हां, तो कितनी कितनी किस किस में व उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) अनुदान के लिए किन किन के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं व उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) कोटा जिले में चेरिटी फंड के माध्यम से अब तक कुल 7,69,793.27

(श्री खाद्य मंत्री)

रुपया इकट्ठा हुआ है। वर्षवार आंकडे निम्न प्रकार हैं:—

	रुपये पैसे
31-3-64 तक	6,140.74
31-3-65 तक	2,68,167.40
31-3-66 तक	3,10,666.87
31-3-67 तक	1,11,353.86
31-3-68 तक	57,747.87
31-1-69 तक	15,716.53
योग ∴	7,69,793.27

(2) सूची संलग्न है।

(3) केवल होलसेल भण्डार कोटा व मार्केटिंग सोसाइटी, कोटा से चैरिटी फण्ड की निम्न रकम बकाया है:—

1. कोटा होलसेल भण्डार रु. 500.65पै.
2. मार्केटिंग सोसाईटी कोटा रु. 1157.35पै.

दोनों संस्थाओं को रकम जमा करवाने हेतु लिखा जा चुका है।

(4) जिन प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय किये जा चुके हैं उनकी विस्तृत सूची संलग्न है। जिन प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय किये जाने हैं उनकी भी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विकास पंचायत रटलाई द्वारा बेचे गये भू-खंड

637. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विकास पंचायत रटलाई, जिला झालावाड द्वारा सन् 67 व सन् 68 में हाट एरिया की आबादी भूमि के प्लाट बेचे गये हैं? कृपया सूची मय प्लाट नं. कीमत व खरीदार के नाम सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करियेगा।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्लॉट मुश्तहरी किये जाकर सरे आम नीलाम नहीं किये गये, ऐसी शिकायत ग्रामवासियों की जिलाधीश महोदय झालावाड को ता. 17-8-68 व पंचायत मन्त्री जी को ता. 12-9-68 को की गई थी? यदि हां, तो क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में हुई है?

(3) उक्त भूमि पंचायत की है अथवा रेवेन्यू विभाग की?

उत्तर

(1) केवल सन् 1967 में बेचे गये हैं। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधीश ने तहसीलदार को जांच के लिये आदेश दिये हैं।

(3) उक्त भूमि राजस्व विभाग की होना प्रतीत हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

कस्बा दीगोद को बिजली

638. श्री **बृज वल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दीगोद तहसील सुलतानपुर सीमआ और दीगोद वडे अच्छे कृषि एवं व्यापारिक कस्बे हैं?

(श्री बृजबल्लभ बोहरा)

(2) क्या यह सही है कि इतनी बडी बडी जन संख्या एवं महत्वपूर्ण ग्राम होते हुए इनमें बिजली नहीं दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि बिजली की लाइन इनके पास होकर गई है ?

(4) यदि हां, तो उपरोक्त कस्बों में सरकार बिजली लगाने का कब तक इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सम्भव है ।

(2) इन कस्बों को बिजली नहीं दी गई है ।

(3) कोटा बारां 33 के.वी. लाईन से दीगोद करीब पांच मील और सुलतानपुर करीब 11 मील दूर है । सीमआ नाम का ग्राम इस क्षेत्र में नहीं मिलता है ।

(4) स्वीकृत योजनाओं में शामिल नहीं होने के कारण निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

स्थगित प्रश्न

(11-3-69)

शराब के ठेकेदारों पर बकाया

234. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नवीनतम स्थिति के अनुसार शराब के ठेकेदारों में कुल कितनी बकाया निकलती है ? जिलेवार सूची मय नामों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) कितनी धनराशि बट्टे खाते डाली गई, उसका भी विवरण जिलेवार मय नाम सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) शराब के ठेकेदारों में गारन्टी सिस्टम की बकाया धनराशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित मुकर्जी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(4) उपरोक्त बकाया में से कितनी धनराशि बट्टे खाते डाली जा चुकी है, कितनी वसूली की जानी शेष है ।

उत्तर

(1) 31-3-68 को आबकारी विभाग की कुल बकाया रु. 67,80,941.01 थी । जिलेवार व नामवार सूची 'क' संलग्न है ।

(2) 1967-68 में कुल रुपये 73, 388.21 और 1-4-68 से 7-2-69 तक रुपये 19,76,146.29 का अपलेखन किया गया है । जिलेवार व नामवार सूची 'ख' व 'ग' संलग्न है ।

(3) मुकर्जी समिति की सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ।

(4) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में संलग्न सूची 'ख' और 'ग' में कुल अपलेखित की गई राशि अंकित की गई है जिसमें रुपये 17,61, 655.08 का अपलेखन मुकर्जी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किया गया है । जब तक मुकर्जी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार समस्त मामलों की जांच पूरी न हो जाय यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी राशि ठेकेदारों से वसूली योग्य रहेगी और कितनी का और अपलेखन करना होगा ।

(श्री आबकारी मंत्री)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(24-3-69)

चैक पोस्ट सवाई माधोपुर

492. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खन्डार सु.) : क्या वित्त, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिक्री-कर विभाग की ओर से कई स्थानों पर राज्य में चैक पोस्ट्स कायम की गई हैं? यदि हां, तो ऐसी चैक पोस्ट्स कायम किये जाने का क्या आधार है ?

(2) क्या बिक्री-कर विभाग की ओर से एक चैक पोस्ट सवाई माधोपुर स्टेशन पर भी कायम की गई है ? यदि हां, तो इससे राज्य सरकार को क्या लाभ है ?

(3) क्या इस चैक पोस्ट की ज्यादतियों की कई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इनमें क्या कर्यावाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। चैक पोस्ट कर की चोरी रोकने के लिए स्थापित की जाती है।

(2) जी हां। चैक पोस्ट सवाई माधोपुर से राज्य सरकार को वर्ष 67-68 में, 63,558) रु. की आय प्राप्त हुई है।

(3) इस चैक पोस्ट की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच की जाकर आवश्यक निदेश जारी कर दिये गये।

स्थगित प्रश्न

(24-3-69)

हरसोरा बांध की मरम्मत

499. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने सिचाई के लिये बांध बनाने व उनकी मरम्मत कराने के लिये पिछले पांच साल में कितना धन खर्च किया है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पिछले पांच साल में फ्लड-रिलीफ के लिये सरकार को भारत सरकार से कितना धन प्राप्त हुआ है और उसको किस प्रकार किस किस जिले में खर्च किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या अलवर जिले के हरसोरा बांध को बाढ से टूटे हुये करीब 6 साल हो गये हैं मगर अभी तक उसकी तामीर नहीं हुई है ? उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जो धन राशि व्यय की है वह सूची "अ" तथा "ब" में निर्दिष्ट है। चूंकि यह विभाग डिविजन में विभक्त है

(श्री सिंचाई मंत्री)

अतः सूचना डिविजन के अनुसार दी गई है।

(2) इस विभाग को इस प्रकार का केन्द्र से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) जी हां, फिर से बनाने का तखमीना सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(25-3-69)

अलवर जिले के गांवों में बिजली

524. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में कौन कौन से ऐसे गांव है जो राज्य सरकार की विद्युत् योजना की सूची में न होते हुए भी जिनमें बिजली दे दी गई है ? कृपया गांव का नाम मय तहसील सूची बना कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने जांच कराई है कि सैंक्शण्ड गांवों के मुकाबले इन गांवों में बिजली किन कारणों से और किन हालात में दी गई, इसके लिये कौन जिम्मेवार है ? क्या राज्य सरकार अथवा विद्युत् मंडल ने इस सम्बन्ध में किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इन गांवों का विद्युतिकरण हो जाने के बावजूद इनको इलेक्ट्रीफाइड गांवों की सूची में नहीं माना जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि अलवर जिले के कुछ ऐसे केसेज हैं जिन्हें कनेक्शन मंजूर हो चुके, सिक्योरिटी जमा हो गई लेकिन ग्राम तहसील रिकार्ड के अनुसार सक्शण्ड गांव न होने के कारण बिजली नहीं दी जा रही है ? ऐसे गांवों की सूची मय तादाद कनेक्शन जिनकी सिक्योरिटी जमा हो चुकी है, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि अलवर जिला परिषद् की मिटिंग में विद्युत् मंत्री ने इन किसानों को शीघ्र कनेक्शन दिलाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस आश्वासन की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है ?

उत्तर

(1) अब तक की प्राप्त सूचना के आधार पर बनाई गई, इस श्रेणी के ग्रामों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस सम्बन्ध में जांच करवाई जा रही है।

तत्कालीन सहायक अभियन्ता अलवर को सस्पेन्ड किया गया है।

(3) जी हां, ऐसी बस्तियों में केवल इलैक्ट्रिक सप्लाई लाईन को बढा कर कनेक्शन दिये है। नियमानुसार इनका विद्युत्करण नहीं हुआ है अस्तु इन्हें इले

Page No 32

(श्री विद्युत् मंत्री)
ट्रिफाइड गावों की सूची में नहीं माना गया है।

(4) जी हां, अभी तक की प्राप्त सूचना के आधार पर बनी हुई ऐसे गावों की सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) अलवर जिला परिषद् की मिटिंग में ऐसी अस्वीकृत बस्तियों को नियमित करने का आश्वासन दिया गया था जो 11 के. वी. प्रसारण लाईन से 1/2 मील की दूरी पर हो। इसके लिये प्रयत्न जारी हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय

450. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाडमेर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजना सन् 66-67 67-68 एवं 68-69 में अब तक जल समस्या के हल करने में जिलेवार कितनी राशि ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय हुई ? अलग अलग आंकडे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त समस्या के हल के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान रखा गया ह ? आंकडे भी सदन कि मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं तथा वर्ष 66-67, 67-68 एवं 68-69 की वार्षिक योजनाओं में नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर रु. 1600.25 लाख एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर रु. 922.49 लाख व्यय होने का अनुमान है जिसके वांच्छित आंकडे सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(2) राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। अतः वांछित आंकडे देना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

अकाल-काल में शराब से आय

451. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के जिन जिन जिलों में अकाल है उनमें देशी शराब से राज्य को 1967-68 में कितनी आय हुई और 1968-69 के दिसम्बर तक कितनी आय हुई ?

(2) भीषण अकाल कितने जिलों में है ?

(3) क्या जिन जिन जिलों में भीषण अकाल है उनमें गत वर्ष के मुकाबले शराब कम बिका है ?

उत्तर

(1) राज्य को देशी शराब से सन् 1967-68 में रुपये 6,64,19,058 व व 1968-69 के दिसम्बर तक रुपये 5,42, 85,017 की आय हुई जिसका जिलेवार मानचित्र संलग्न है। अकाल ग्रस्त जिलों की सूची अकाल सहायता विभाग से ही प्राप्त की जा सकती है।

Page No 33

(श्री आबकारी मंत्री)

(2) यह सूचना अकाल सहायता विभाग द्वारा ही दी जा सकती है।

(3) 1967-68 में दिसम्बर तक 35,34,381 व 1968-69 में दिसम्बर तक 34,98,622 एल. पी. लीटर्स देशी मदीरा की विक्री हुई है जिसका तुलनात्मक ज़िलेवार मानचित्र संलग्न है। किन किन जिलों में भीषण अकाल है यह आबकारी विभाग द्वारा बताना सम्भव नहीं है। यह सूचना भी अकाल सहायता विभाग द्वारा ही दी जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

राज्य बीमा विभाग, जयपुर में कनिष्ठ लेखकों की नियुक्तियां

452. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु.) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जनवरी 1968 से दिसम्बर 1968 तक राज्य बीमा विभाग, जयपुर में कितनी बार कनिष्ठ लेखकों की नियुक्तियां हुई और उनमें कितने लोगों की नियुक्तियां हुई ? कितने लोग साक्षात्कार के लिये आये ? एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज, जयपुर से कितने आये और जी. ए. डी. के द्वारा प्रार्थना-पत्र देने वाले कितने आये ? इनमें अनुसूचित जाति के लोग कितने थे ? कितने अनुसूचित जाति के लोग चुने गये।

उत्तर

जनवरी 1968 से दिसम्बर 1968 की अवधि में नियुक्तियां 6 बार की गई जिनमें 68 कनिष्ठ लिपिक नियुक्त किये गये। कुल 266 व्यक्ति जिनमें 230 व्यक्ति नियोजन विभाग (Employment Exchange) व 36 व्यक्ति अनुसूचित जाति के नियुक्ति विभाग के मार्फत साक्षात्कार के लिये आये। जिनमें से 16 अनुसूचित जाति के लोग चुने गये।

पैसेन्जर टैक्स की बकाया रकम

453. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालोर व सिरोही के मोटर मालिकों में पैसेन्जर टैक्स की रकम सन् 1956 से आज तक कितनी कितनी बकाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि मोटर मालिकों ने पैसेन्जर टैक्स की रकम समय पर नहीं जमा कराई इस कारण व्याज सहित उनसे वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जिला जालोर व सिरोही के मोटर मालिकों में राजस्थान यात्री एवं मालकर के वर्ष 1966-67 व 67-68 की कुल रु. 13,512.09 बकाया है सूची संलग्न है।

(2) राजस्थान यात्री एवं मालकर अधिनियम में बकाया राशि समय पर जमा न कराने पर ब्याज लगाने का प्रावधान नहीं है परन्तु ऐसी हालत में उक्त अधिनियम की धारा 6 (2) के अन्तर्गत लगाने का प्रावधान है जिसके तहत कार्यवाही की गई है ?

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

वाणिज्य विभाग के सरकारी वकील की जिम्मेदारियां

454. **श्री जयनारायण** (लसाडिया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सच है कि वाणिज्य-कर विभाग में नियुक्त सरकारी वकील आयुक्त महोदय के निकटतम सम्बन्धी हैं ?

(2) क्या वाणिज्य-कर विभाग के सरकारी वकील को आज से तीन चार वर्ष पूर्व डिप्टी कमिशनर अपील्स, एडीशनल कमिश्नर एवं राजस्व मंडल अजमेर में पैरवी करने जाना पडता था और विभाग की ओर से उनके अलावा उपरोक्त अदालतों में और कोई अन्य अधिकारी पैरवी नहीं करता था ?

(3) क्या यह सच है कि उपरोक्त सरकारी वकील अब केवल राजस्व मण्डल में ही पैरवी करने के लिये जिम्मेदार हैं और डिप्टी कमिश्नर अपील्स के यहां सहायक वाणिज्य-कर अधिकारियों की नियुक्ति पैरवी करने हेतु कर दी गई है और अतिरिक्त आयुक्त महोदय के समक्ष अजमेर के सहायक वाणिज्य-कर अधिकारी को यात्रा एवं माल कर की निगरानियों में सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु जयपुर जाना पडता है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त सरकारी वकील की जिम्मेदारियां पहले की अपेक्षा बहुत कम है ?

(5) यदि हां, तो क्या उनका मासिक वेतन पहले से दुगना कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु इनकी सरकारी वकील के रूप में नियुक्ति सन् 1951 में वर्तमान आयुक्त के आबकारी व कर विभाग के कर आयुक्त के पद पर नियुक्त होने से लगभग 11 वर्ष पहले हुई थी।

(2) जी हां। परन्तु डिप्टी कमिश्नर अपील के यहां सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी भी अपने केसेज की पैरवी के लिये जाते थे।

(3) जी नहीं। सरकारी वकील राजस्व मण्डल के अतिरिक्त, डिप्टी कमिश्नर अपील और अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष भी कुछ केसेज में पैरवी करते हैं। कुछ समय पहले कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण यात्रा एवं माल कर की निगरानियों को निपटाने के लिये अजमेर के सहायक वाणिज्यिक-कर अधिकारी को बुलाने का अस्थाई प्रबन्ध किया गया था परन्तु अब ऐसा नहीं है।

(4 जी नहीं।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम

455. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है कि लेखा लिपिक, लेखाकार की योग्यता-त्मक परीक्षा में दो बार ही बठ सकते हैं और आगामी होने वाली उपरोक्त परीक्षाओं में बैठने से वंचित रहेंगे? यदि हां, तो उनकी पदोन्नति के लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी?

(श्री रामसिंह कुडी)

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर सेवा नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति द्वारा व सीधी भर्ती द्वारा दोनों ही प्रकार से की जाती है ? यदि हां, तो लेखा लिपिकों को पदोन्नत करके लेखाकार के पद पर लगाने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या सरकार सारे सेवा नियमों में समानता लाने के लिये इस प्रश्न पर पुनः विचार कर के ऐसा प्रावधान करने का विचार रखती है कि लेखालिपिकों की पदोन्नति करके लखाकार नियुक्त किया जा सके ?

उत्तर

(1) जी हां। लेखालिपिकों का कोई पृथक संवर्ग नहीं है। सभी प्रकार के लिपिकों की पदोन्नति के लिये सम्बन्धित Ministerial Staff Rules में जो प्रावधान हैं वे लेखालिपिकों को भी लागू होते हैं।

(2) जी हां, किन्तु भिन्न भिन्न सेवाओं या संवर्गों की आवश्यकता या स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के प्रावधान किये जाते हैं लेखालिपिकों का कोई पृथक संवर्ग न होने से ऐसा प्रावधान करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) यह सेवा नियमों में एकरूपता लाने का प्रश्न नहीं है। वर्तमान नियमों में कोई रद्दोबदल करने का विचार नहीं है।

अल्प बचत अभियान के अन्तर्गत एकत्रित धनराशि

456. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सरकार ने अल्प-बचत अभियान के अन्तर्गत 1967-68 में कितनी राशि एकत्रित की ? इस धनराशि के एकत्रित करने में सरकारी गाडियों के पेट्रोल, अधिकारियों के यात्रा-भत्ते आदि पर कुल खर्च कितना हुआ ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

संलग्नित जिलेवार एवं प्रतिभूतियांवार तालिका के अनुसार:—

2,89,66,000 शुद्ध राशि।

(1) अल्प बचत निदेशालय

	यात्रा भत्ता	पैट्रोल
जयपुर	3,643.15	10,092.79
पाली	2,073.52	1,376.90
अजमेर	—	9,670.19
झुन्झुनूं	1,000.00	4,000.00
सीकर	—	466.00
चूरू	609.53	1,750.79

शेष जिलों में जो अधिकारी दौरे में गये उन्होंने अपने अन्य कार्य के अतिरिक्त अल्प बचत का कार्य भी किया जिस पर कोई व्यय नहीं आया।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

वर्ष 1968 तक दिये गये ऋण

457. श्री **केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डौली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने सन् 1968 तक किस किस वर्ष में कितना कितना ऋण

(श्री केशरीसिंह हाडा)
जारी किया और कितनी कितनी अवधि के लिये ?

(2) प्रत्येक ऋण के लिये कितनी रकम सूद रूप में दी गई ?

(3) प्राप्त शुदा ऋण की रकम किस कार्य में व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) सरकार मूल ऋण को लौटाने में अब तक कितनी सफल हुई है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना हेतु कृपया संलग्न तालिका का अवलोकन करें।

(2) समय समय पर ली गई ऋण राशि का उपयोग विकासीय योजनाओं के अर्थ प्रबन्धन तथा जागीरों के पुनग्रहण के कारण जागीरदारों को मुआवजे का भुगतान करने हेतु किया गया है।

(3) अब तक सन् 1956-57 में जारी किया गया केवल एक ऋण चालू वित्तीय वर्ष में देय हुआ था और इसलिये नियत तिथि अथवा इसके पश्चात् ऋण पत्रधारियों से इस सम्बन्ध में मांग आने पर भुगतान कर देने के लिए सम्बन्धित कोषाध्यक्षों तथा रिजर्व बैंक को अधिकृत कर दिया गया था।

(4) रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार सन् 1968 के अन्त तक इस ऋण के लगभग 99 प्रतिशत भाग का भुगतान हो चुका था।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

अभावग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने की घोषणा

458. **श्री पृथ्वी सिंह** (बाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अकाल अथवा अभावग्रस्त क्षेत्रों में हर पंचायत हैडक्वार्टर पर सस्ते अनाज की दुकान खोलने की घोषणा की है ?

(2) यदि हां, तो पाली जिले में कितने स्थानों पर दुकानें खुलवा दी गयी हैं और कितने स्थानों पर दुकानें नहीं खोली गयी हैं ? बाली तहसील की ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) आदिवासी क्षेत्रों में दुकान खुलवाने की क्या व्यवस्था है ?

स्थगित किया गया।

लाडनूं में गेहूं की बोरियों की चोरी

459. **श्री हरजी राम बुरडक** (लाडनूं) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसीलदार लाडनूं की सूचना के आधार पर एस. डी. ओ. डीडवाना ने जिलाधीश नागौर को यह रिपोर्ट की थी कि लाडनूं के सरकारी गोदाम में से गेहूं की कुछ बोरियां बिना किसी आदेश व बिना पैसे जमा हुए ही निकाल ली गई हैं ? यदि हां, तो कब और उस पर जिलाधीश नागौर ने क्या कार्यवाही की ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) क्या उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया था कि जितने गेहूं स्टाक रजिस्टर में अंकित हैं उतने गेहूं गोदाम में नहीं ह? यदि हां, तो कितने गेहूं कब बताये और उस पर क्या कायवाही की गई?

(3) जो गेहूं बिना किसी आदेश व बिना कीमत के जमा करवाये ही ले गये थे वो कौन थे और उन गेहूं का क्या किया गया? जो शोर्टेज बताई गई थी वह कितनी थी और उसके लिये किस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया?

(4) इस मामले में राज्य कोष को कितना नुकसान हुआ और इसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया?

उत्तर

(1) यह सही है कि नायब तहसीलदार की सूचना के आधार पर उस क्षेत्रीय अधिकारी डीडवाना ने जिलाधीश को इस आशय की रिपोर्ट दी थी कि लाडनूं के गोदामों में आयातित गेहूं के हिसाब में गडबडी है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश नागौर ने लेखाकार एवं प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, नागौर को जांच हेतु नियुक्त किया है। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

(2) जांच पूर्ण होने पर ही सही स्थिति का पता चल सकेगा।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पता चल सकेगा।

(4) जांच पूर्ण होने पर ही नुकसान का पता चल सकेगा।

पंचायतों के लिए ग्रुप सचिवों की योजना

460. **श्री हरजी राम बुरडक** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समितियों में पंचायत के लिये ग्रुप सचिवों की योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कब से किन किन पंचायत समितियों में? सूची सदन की मेज पर रखन की कृपा करें।

(2) क्या उक्त योजना को सारी पंचायतों में लागू करन का सरकार का इरादा है? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सत्य है कि गत सत्र में विधान सभा में विभाग के राज्य मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इस योजना को आगे चलाये जाने का विचार है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(4) भविष्य में इस योजना को चलाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना फिलहाल 65 पंचायत समितियों में 1 जुलाई, 67 से लागू की गई हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) राज्य सरकार के विचारधीन है।

(3) जी हां। अभी तक कोई अग्रिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(4) मामला अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Page No 38

(श्री पंचायत मंत्री)

(सूची-विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय की भेज दी गई)

पंचायत समिति डग में 'खाद' व 'बीज' की बकाया

461. **श्री झुझार सिंह** (रामगंज मंडी) क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति डग, जिला झालावाड में कितने सरपंचों के नाम "खाद-बीज" की बकाया निकाली हुई है, नाम व तादाद रकम अलग-अलग बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यह रकम किन-किन सालों की बकाया है?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति से खाद व बीज विलेज लेवल वर्कर्स द्वारा उठाया गया था व अधिकांशतः पंचायतों के हैडक्वार्टर्स पर वितरित नहीं किया जा कर गंगधार व डग पर ही उनके द्वारा वितरित किया गया था? यदि हां, तो सरपंचों को रकम की बकाया के लिये जुम्मेवार ठहराया जाना कहां तक उचित है?

(3) क्या खाद, बीज बांटने व इमारतें बनाने आदि के काम के लिये सरपंचों के बजाय सरकारी कर्मचरियां को जुम्मेवार बनाने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) खाद और बीज ग्राम पंचायतों में भेजा गया है और वहां से सरपंचों द्वारा क्षेत्र में वितरित किया गया इसलिये सरपंच बकाया के लिये जिम्मेदार हैं।

(3) खाद और बीज बांटने का काम अधिक से अधिक सरकारी समितियों द्वारा कराये जाने की नीति है। इमारतें बनान के काम की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों को सौंपने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

पंचायत समिति खंडार को पम्पिग सेट हेतु स्वीकृत धनराशि

462. **श्री चुन्नीलाल जैलिया** (खण्डार-सु.): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वष 1968–69 में पंचायत समिति खण्डार को पम्पिग सेट के लिये कोई धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कितनी?

(2) पंचायत समिति खण्डार ने उक्त धनराशि में से कितनी कितनी धनराशि किस किस काश्तकार को स्वीकृत की और किस तारीख को? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जिस काश्तकार को जो राशि स्वीकृत की गई वह काश्तकार को नहीं दी जाकर पम्पिग सेट बेचने वालों को सीधी राशि जरिये चैक दी गई? यदि हां, तो किस किस पम्पिग सेट्स के बेचने वाली एजेन्सियों को यह चैक दिये गये और प्रत्येक एजेन्सी को कितनी कितनी धनराशि दी गई?

(4) उक्त पंपिग सैट्स में से कौन कौन सी कम्पनियों के पंपिंग सैट्स सरकार से मान्यता प्राप्त हैं?

(5) क्या यह सही है कि राशि स्वीकृत हो जाने के पश्चात् जिस काश्तकार ने एजेन्सि

(श्री चुन्नीलाल जैलिया)
से पंपिग सैट्स स्वयं खरीद लिये और बिल समिति में लाकर दिये उन्हें यह स्वीकृत राशि विकास अधिकारी ने नहीं दी ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों के साथ ऐसा किया गया और क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) कृषि विभाग व सामुदायिक विकास की ऋण की बचत में से कुल 89,885 रु. की राशि पंपिंग सैट हेतु ऋण के रूप में दी गयी । सूची सदन की मेज पर रखी गयी हैं ।

(3) ऋण-कर्ता के अधिकार पत्र के अनुसार धनराशि पम्प बेचन वाली एजेन्सी को दी गयी । सीधे बैंक से निम्नांकित फर्म्स को धनराशि दी गयी:—

(1) महेश इन्जीनियरिंग कम्पनी सवाई माधोपुर रु. 22,085)

(2) कासलीवाल इलेक्ट्रिक स्टोर रु. 60,800)

(4) कूपर, अजीत एवं किर्लोस्कर ।

(5) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

सवाई माधोपुर में अकाल घोषित तहसीलें

463. **श्री चुन्नीलाल जैलिया** (खण्डार-सु.) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई माधोपुर की किन तहसीलों के कितने कितने ग्राम अकाल-ग्रस्त घोषित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन तहसीलों में क्या-क्या अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) श्रमिक न मिलने से अभी तक सहायता कार्य चालू नहीं हुए हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

नाजायज कब्जे के आरोप में जुर्माना

464. **श्री हजारीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लालगढ़, पंचायत समिति सुजानगढ़, जिला चूरू ने गांव के सार्वजनिक चौक में दुकान बनाकर नाजायज कब्जा करने के आरोप में श्री जबरदीन पर कभी जुर्माना व पैनल्टी किया था और इस नाजायज कब्जे को हटाने का फैसला किया था ? यदि हां, तो कब कितना रुपया जुर्माना किया तथा पैनल्टी कब तक के लिये कितने रुपये की गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त अतिक्रमण को अभी तक न तो हटाया गया और न जुर्माना व पैनल्टी ही वसूल की गई ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक उक्त अतिक्रमण हटाया जाकर जुर्माना व पैनल्टी वसूल कर लिया जावेगा ?

(पंचायत व विकास मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 28-12-65 को रु. 15)00 जुर्माना व एक रुपया रोजाना कब्जा नहीं हटावे तब तक के लिये पैनल्टी लेने का निर्णय पंचायत द्वारा किया गया।

(2) जी हां। कब्जा हटाने की कार्यवाही पंचायत में और जुर्माना व पैनल्टी वसूली के लिये उप-खण्ड अधिकारी, रतनगढ के यहां चल रही है।

भाखरा नहर क्षेत्र की भूमि

465 **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भाखरा नहर के क्षेत्र में कुल कितने एकड राजकीय भूमि थी जिसमें से कितनी भूमि बोली द्वारा नीलाम की गई और कितनी भूमि भूमिहीनों को अलाट की गई और कितने एकड अब खाली पडी हुई है? इसकी पूरी सूची अलग अलग आइटमवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भाखरा नहर क्षेत्र में कुल 4,22,624 एकड राजकीय भूमि थी जिसमें से 91,731 एकड भूमि बोली द्वारा नीलाम की गयी और 2,49,669 एकड भूमि भूमिहीनों को एलॉट की गयी और 72,610 एकड भूमि राज्य सरकार के प्रयोग में ली गयी है और अब 8,614 एकड भूमि शेष है।

तखतगढ नहर की नई शाखा विषयक स्थगन प्रस्ताव

466. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध की तखतगढ नहर की एक नई शाखा (आर. डी. 31500 से प्रारम्भ होने जारही थी) के विषय में (कुसमय खुदाई आदि विषय के संबंध में) ता. 6-9-68 को स्थगन प्रस्ताव विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपर्युक्त स्थगन प्रस्ताव को लेकर उपर्युक्त नई शाखा माइनर की खुदाई रोक दी गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि उपर्युक्त स्थगन प्रस्ताव में बीठिया माइनर (जिसको खुदवाने का ठेका दे दिया गया था) की खुदवाई बन्द करवाने आदि किसी बात का कोई जिक्र नहीं था ? तब फिर बीठिया माइनर का खुदवाना भी क्यों बन्द कर दिया गया था?

(4) क्या तखतगढ नहर की आर. डी. 31500 से खुदवाई जाने वाली माइनर को आर. डी. 28000 से खुदवाना (जब फसल खडी नहीं हो तब) प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ?

(5) बीठिया माइनर भी (जब फसल खडी नहीं हो तब) कब खुदावाई जानी प्रारम्भ की जायगी

उत्तर

1. जी हां।

2. उपरोक्त माइनर के खुदाई का काम प्रारम्भ होते ही स्थगन प्रस्ताव तथा

(श्री सिंचाई मंत्री)

अन्य कृषकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के फलस्वरूप कार्य बन्द कर दिया गया।

(3) बीठिया तथा तखतगढ राज का के बीच के भाग को ठीक प्रकार से सिंचित करने हेतु, तखतगढ तथा बीठिया माइनरों का प्रस्ताव किया गया था। उपरोक्त माइनरों के निर्माण के कारण चक बंदी परिवर्तन आवश्यक था। अतः दोनों माइनरों को साथ साथ ही खुदवाना आवश्यक है।

(4) जी नहीं। तखतगढ माइनर को आर. डी. 31500 से निकलाना ही उपयुक्त होगा उपरोक्त काम वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

(5) बीठिया माइनर का कार्य भी वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर तखतगढ माइनर के साथ साथ प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

उजाड नदी से सिंचाई के साधन उपलब्ध करने हेतु सर्वे

467. **श्रीमती शिव कुमारी** (खानपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नदी उजाड पर सिंघोला, तहसील खानपुर में बांध बांधे जाने से सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थान का सर्वे करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

फिलहाल इस स्थान के लिए सर्वेक्षण का कोई प्रोग्राम नहीं है।

तहसील टोडारायसिंह में जमीन की पिलाई

468. **श्री जगन्नाथ** (टोडारायसिंह):—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोरडी सागर बंध की नहरों से तहसील टोडारायसिंह में कितने रकबे की पिलाई होती है?

(2) गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष इस बान्ध में कितना पानी भरा व इस पानी से इन वर्षों में कितने कितने रकबे की तहसील टोडारायसिंह में एक बार या एक से अधिक बार पिलाई की गई?

(3) क्या इन वर्षों में नहरी रकबा भी बिना पानी रह गया? यदि हां, तो कितना, वर्षवार आंकडे बतावें?

(4) क्या नहरों से गत पांच वर्षों म पानी न दिये जाने पर भी ऐसे रकबे का लगान नहरी की दर से वसूल किया गया है?

(5) क्या टोरडी सागर के खाली रहने से सरकार का इसको भरने के लिये डाई नदी से कोई नहर लाने की योजना है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? और यदि है तो यह योजना कब तक शुरू की जा सकेगी?

(6) क्या इस बांध से खरेडा पंचायत और मोर भाटयान पंचायत को भी पानी दिया जाता है? यदि हां, तो संवत् 2024 में खरीफ व रबी में कितने रकबे की पिलाई हुई है और सं. 2025 में खरीफ और रबी में कितनी पिलाई हुई है?

Page No 42

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) 9500 एकड़ की।

(2) आंकड़े निम्न प्रकार हैं:––

सन्	आबपासी चालू परवर्ष का गेज	सिंचाई एकड़ में
1964-65	22-9"	220
65-66	12-0"	464
66-67	18-5"	3037
67-68	21-2"	6317
68-69	21-6"	6026

एक बार से अधिक पिलाई की गई है।

(3) जी हां, निम्न प्रकार हैं:––

सन्	सिंचित बिना रकबा
64-65	2280 एकड़
65-66	9036 "
66-67	6463 "
67-68	3183 "
68-69	3474 "

(4) लगान सेटलमेंट में निर्धारित दरों से वसूल किया जाता है।

(5) जी नहीं, आर्थिक व तकनीकी दृष्टि से योजना सम्भव नहीं।

(6) जो पिलाई की गई वह निम्न प्रकार है :––

	संवत् 2024		व 2025	
नाम पंचायत	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
खरेडा	4	433	21	41
मोरभाटियान	1	19	–	–

स्वास्तिक सीमेंट पाइप फैक्ट्री फालना

449. श्री **फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

स्वस्तिक सीमेंट पाइप फैक्ट्री, फालना (जिला पाली) से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, राइट केनाल डिवीजन नं. 1 चंबल प्रोजेक्ट कोटा (राज.) को दिसम्बर 24, 1968 को कोई पत्र मिला है? यदि हां, तो उस संबंध में क्या किया गया है अब तक?

उत्तर

जी हां, इस सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

सराडा तहसील के तालाबों का सर्वे

470. श्री **देवीलाल मीणा** (सराडा-सु.): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या जिला उदयपुर की तहसील सराडा में लटी आमली तालाब व डाया योजना रेला, पालोवड़ा, के ऊपर की सर्वे कब से प्रारम्भ की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त तालाब की सर्वे की जाकर तखमीना पूर्ण बन चुका है? यदि हां, तो तखमीना कुल कितनी लागत का बनाया जा चुका है?

(3) क्या राज्य सरकार ने लटी आमली तालाब का कार्य चालू कराने की स्वीकृति कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सन् 1965 से प्रारम्भ की।

(2) इस योजना का तखमीना उदयपुर की जल वितरण योजना के लिये बनाया गया

(सिंचाई मंत्री)

था इसके अनुसार उक्त योजना की लागत 40 लाख रुपये थी। जल वितरण के लिये देबास योजना पर कार्य स्वीकृति हो जाने के कारण अब इस योजना का सिंचाई के लिये सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है।

(3) जी नहीं, कारण उदयपुर के जल वितरण के लिये अन्य योजना पर कार्य चालू हो जाने के कारण इस योजना का सिंचाई के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

नगरपालिकाओं के चुनाव

471. श्री **मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर-सु.): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव कहां कहां कब कब हो रहे हैं? और जिला श्री गंगानगर में कब होंगे?

उत्तर

राजस्थान की समस्त नगरपालिकाएं जिनमें गंगानगर जिले की नगरपालिकाएं भी सम्मिलित हैं के चुनाव दिसम्बर, 1969 तक सम्पन्न करा दिये जावेंगे।

हनुमानगढ़ फोरेस्ट

472. श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) हनुमानगढ़ फोरेस्ट में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं और उन पर वार्षिक व्यय कितना है? फोरेस्ट कितना एकड़ में है?

(2) क्या इस जंगलात से कुछ आमदनी होती है? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी आमदनी होती है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फोरेस्ट में इस वर्ष गायें चराने की स्वीकृति दी हुई है? यदि हां, तो कुल कितनी गायें इस जंगलात में हैं?

(4) क्या यह सही है कि इस जंगलात में गायों की बड़ी तादाद में मृत्यु हुई है? यदि हां, तो आज तक कुल कितनी गायें यहां पर मर चुकी हैं?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ वन क्षेत्र में, जिसमें राजस्थान नहर क्षेत्र भी सम्मिलित है, कुल 85 विभागीय कर्मचारी लगे हुए हैं। इन कर्मचारियों पर 1.50 लाख रुपये का वार्षिक व्यय होता है।

हनुमानगढ़ में फोरेस्ट (प्लान्टेशन एरिया) कुल 7869-750 एकड़ में है।

(2) ये क्षेत्र वन विभाग ने मुख्यतया वृक्षारोपण तथा भू-संरक्षण का कार्य सम्पन्न करने हेतु अपने अधीन लिये हैं तथा इन क्षेत्रों में अभी वे कार्य जारी हैं। अतः ये वन क्षेत्र अन्य वन क्षेत्रों की भांति आमदनी देने की स्थिति में अभी नहीं हैं। वैसे छोटी पैदावार आदि को बेचने से प्रति वर्ष करीब 500/- रु. की आमदनी होती है। गत वर्ष कुल आमदनी 914.50 रु. की हुई थी।

(3) जी हां। 5245 गायों को इस क्षेत्र में चरने की इजाजत दी गई है।

(4) जी हां। 300 गायों की मृत्यु हुई। बीमारी के कारण।

Page No 44

रेंज मंडाना लाडपुरा के आदिवासियों को लकडी बेचने की सुविधायें

473. श्री **बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रेंज मंडाना-लाडपुरा के क्षेत्र में आदिवासी भील आदि रहते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बोरावास डोल्या-तथा भंदरगढ आदि की तरफ जगल में सूखी लकडी पर्याप्त मात्रा में है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ये आदिवासी भूमिहीन होने के कारण लकडी बेचकर अपना उदर पालन करते हैं ?

(4) क्या सरकार इनको लकडी गाडी द्वारा लाकर बेचने की आज्ञा दे सकती है ?

(5) यदि नहीं तो क्यों ? देना चाहती है तो कौनसी तारीख से ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, सर बोझ द्वारा लकडी बेच कर उदर पालन करते हैं।

(4) वनों की सुरक्षा की दृष्टि से बैल गाडी द्वारा लकडी बेचने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है।

(5) वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है।

वनों की कटाई

474. श्री **गंगा सहाय** (कठूमर सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार वनों की कटाई अपने ही विभाग द्वारा करा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि वन श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा वनों की कटाई का कार्य न कराये जाने के कारण श्रमिकों में बेरोजगार बढेगा ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ द्वारा अलवर में सामुहिक डिपो चलाया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि डिपो का माल (बांस, लकडी आदि) का बिक्री सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो सरकार (बांस, लकडी आदि) वन उपज को डिपो को न देकर ठेकेदारों को क्यों नीलाम करती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि वन विभाग भी इस प्रकार के डिपो खोल सकता है ? यदि हां, तो ऐसे डिपो क्यों नहीं खोले जाते ?

उत्तर

(1) जी हां। लकडी व कोयले का कार्य विभागीय तौर पर कराया जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। विभागीय तौर पर काटे गये कूपों की पैदावार की नीलामी सरकारी

(वन मंत्री)

कर्मचारियों द्वारा की जाती है। सरकार के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए पैदावार जंगल नीलाम की जाती है जिसमें ठेकेदार एवं सहकारी संघ सभी बोली दे सकते हैं।

(4) यदि विभागीय तौर पर काटे गये कूपों की पैदावार की उचित कीमत नीलाम द्वारा प्राप्त नहीं होगी तो विभागीय डिपो खोले जा सकते हैं।

बड़े नगरों में महिलाओं के अस्पतालों में प्रसव के केसेज

475. श्री **प्रोमवेत भाटी** (सरदारपुरा-जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के समस्त प्रथम व द्वितीय श्रेणी के बड़े नगरों में महिलाओं के अस्पतालों में 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक प्रसव सम्बन्धी कितने केस दाखिल किये गये जिनमें कितनी नोरमल डिलिवरी हुई तथा कितनी डिलिवरी एब्नोरमल हुई ? भिन्न-भिन्न अस्पतालों की सूची बतायें।

(2) नोरमल डिलिवरी में महिलाओं की कितनी संख्या में मृत्यु हुई तथा एब्नोरमल डिलिवरी में महिलाओं की कितनी मृत्यु हुई तथा इनके क्या कारण रहे ?

(3) क्या इन अस्पतालों में प्रसव पीडित महिलाओं को आवश्यकतानुसार रक्त देने की कोई व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न के भाग एक की सूची में अंकित है।

(3) प्रसव पीडित महिलाओं को रक्त देने की सुविधा केवल निम्न स्थानों पर उपलब्ध है:—

अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

कोटा जिले के प्राईमरी हैल्थ सेंटर में रिक्त स्थान

479. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले के किस प्राईमरी हैल्थ सेंटर व कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरीज में डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स, नर्सों व दाई आदि की जगह खाली पडी है और वह कितने समय से खाली पडी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक करदी जायेगी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) राज्य में डाक्टरों की अत्यधिक कमी होने के कारण रिक्त स्थानों पर डाक्टर्स की नियुक्ति असम्भव रही है, ज्यों ही डाक्टर उपलब्ध होगा, प्राथमिकता के आधार पर लगाना सम्भव हो सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

Page No 46

पुजारियों को उत्तराधिकारी का प्रमाण-पत्र

477. श्री **हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मंदिरों के पुजारियों को उत्तराधिकारी का प्रमाण-पत्र संचालक देवस्थान उदयपुर से लेना पड़ता है और उक्त प्रमाण-पत्र के बिना उनको अपनी डोली की जागीर का मुआवजा व अन्य सहायता नहीं मिलती ? यदि हां, तो क्यों ? क्या भूतपूर्व जागीरदारों को ऐसा प्रमाण-पत्र सम्बन्धित सब-डिवीजनल अधिकारियों द्वारा ही दिया जाता है ? यदि हां, तो फिर इनको क्यों नहीं दिया जाता ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की व्यवस्था से पुजारियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड रहा है और इसी वजह से अब तक बहुत से पुजारी वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो इसकी उचित व्यवस्था किस प्रकार से कब तक करने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या यह सरकार यह उचित नहीं समझती थी कि इस प्रकार का अधिकार सम्बन्धित तहसीलदार को ही दे दिया जाना चाहिये ताकि समय पर आसानी से यह प्रमाण-पत्र मिल सके ?

उत्तर

(1) मंदिरों के पुजारियों के उत्तराधिकार का प्रमाण-पत्र संबंधित उप-जिलाधीश अथवा तहसीलदार से आने पर ही आयुक्त देवस्थान के द्वारा भुगतान आज्ञाएं जारी की जाती हैं।

(2) इस व्यवस्था से पुजारियों को कोई कठिनाई नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

आउट डोर रोगियों को दवाइयां

478. श्री **केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) साधारणतया राजकीय चिकित्सालयों में आउटडोर रोगी को कौन 2 सी दवाइयां, इन्जेक्शन, टिन्चर, पट्टियां आदि मिलनी चाहिये ?

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सभी आउटडोर रोगियों को कौन 2 सी दवाइयां विभाग की ओर से उपलब्ध की जाती हैं ? और कौन 2सी नहीं मिल रही हैं, और क्यों ? क्या एक्स-रे भी निःशुल्क करते हैं ?

(3) जिला अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बून्दी, कोटा, बीकानेर, टौंक, अलवर, भरतपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाडा, चित्तौड, सवाई माधोपुर, बाडमेर, पाली, सिरोही, झालावाड व सीकर के जिला चिकित्सालय के आउटडोर से कौन 2 सी दवाइयां उपलब्ध जनता को कराई जा रही हैं और कौन 2 सी नहीं ?

(4) इन्डोर रोगी को सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कौन सी दवाइयां दी जा रही हैं बमुकाबले कौन 2 सी दवाइयां दी जानी चाहिये थीं ? पूरी दवाइयां नहीं देने का क्या कारण है ?

(5) जिला केन्द्रों के चिकित्सालयों में अलग अलग इन्डोर के रोगियों को कौन कौनसी

Page No 47

(श्री केसरी सिंह हांडा)

सही दवाइयां दी जानी चाहिये और मौजूदा कौन कौनसी दी जारही है ?

(6 जिले के कौन 2 से चिकित्सालयों में आक्सीजन व खून दिये जाने की व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) चिकित्सालयों में आउटडोर रोगियों को निःशुल्क दवाइयों की सूची संलग्न है।

(2) साधारणतया सवाई मानसिह अस्पताल में आउटडोर रोगियों को जरूरी समझी जाने वाली दवाइयां विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं ? उसकी सूची संलग्न है धनराशि के अभाव में इससे अधिक उपलब्ध नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार धना अभाव के कारण आउटडोर के रोगियों का आमतौर पर एक्सरे फिल्मस नहीं लिया जाता है लेकिन स्क्रीन आदि की पूर्ण व्यवस्था है तथा बहुत जरूरी केसेज में एक्सरे की यूनिट हैड की सिफारिश पर निःशुल्क किया जाता है।

(3) जिला चिकित्सालयों के आउटडोर रोगियों को दिये जाने वाली दवाइयोंकी सूची प्रश्न के भाग (1) में संलग्न की जा चुकी है ज साधारणतया उपलब्ध होती है इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार की दवाइयां भी इमरजेन्सी में या गरीब रोगी जो बाजार से दवाइयां नहीं खरीद कर सकें सम्बन्धित अधिकारी के आदेश पर चिकित्सालय से दी जाती हैं।

(4) साधारणतया इन्डोर रोगियों को सवाई मानसिह चिकित्सालय में दी जाने वाली दवाइयों की सूची संलग्न है। ऐसी कोई निर्धारित तालिका नहीं है कि जिनके अनुसार दवाइयां दी जावें फिर भी रोगी की स्थिति को देखते हुए दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। पर्याप्त धनराशि के अभाव के कारण मंहगी दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं।

(5) सरकार द्वारा कोई निर्धारित तालिका नहीं है।

(6) जिला स्तर के प्रत्येक अस्पताल में आक्सीजन देने की व्यवस्था है खून दिये जाने की व्यवस्था केवल अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेज दी गई)

गंगापुर में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

479. श्री **रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गंगापुर में जो डिस्पेन्सरी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कायम होने से पूर्व थी उसका क्या हुआ ? क्या यह सही है कि वजीरपुर में जो कम्पाउन्डर कार्य करता है वह प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के चार कम्पाउन्डरों में से ही है ? क्या यह सत्य है कि गंगापुर की डिस्पेन्सरी के बजट को किसी दूसरे स्थान पर खर्च किया जा रहा है ? इस समय उसका बजट कितना है और कितना खर्च कहां कहां हुआ है ?

उत्तर

गंगापुर में जो डिस्पेन्सरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने से पूर्व थी उसको वजीरपुर स्थानान्तरण कर दिया गया। वजीरपुर

Page No 48

(स्वाथ्य मंत्री)

में जो कम्पाउन्डर कार्य करता है वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चार कम्पाउन्डर्स में से ही है। वजीरपुर डिस्पेन्सरी के स्टाफ का वेतन भत्ता आदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर के बजट से ही खर्च हो रहा है। औषधियों के वितरण में वजीरपुर को 2,500) रुपया दिया जाता हैं। गंगापुर के बजट से औषधियां नहीं दी जाती हैं। वजीरपुर डिस्पेन्सरी के पदों की स्वीकृति के संबन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मेडिकल आफिसर्स का स्थानान्तरण

480. श्री **देवीलाल बुरासिया** (केकडी सु): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बहुत से ऐसे मेडिकल आफिसर (डाक्टर) हैं जिनका 10-15 वर्ष से स्थानान्तरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो ऐसे कितने डाक्टर और लेडी डाक्टर हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनका एक ही जगह पर रहने का क्या कारण है तथा स्थानान्तरण क्यों नहीं हुआ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) इनका एक ही जगह पर रहने का कारण कुछ तो विभिन्न स्पेशिलिटियों में काम कर रहे हैं तथा कुछ एक के स्थानान्तरण किये भी गये थे लेकिन स्थानीय मांग पर, प्रशासनिक कारणों से या स्वयं की प्रार्थना पर स्थानान्तरण आदेश रद्द किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

आबू पर्वत पर बिजली की व्यवस्था का ठेके

481. श्री **बाल सिंह सोढा** (जैसलमेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आबू पर्वत पर बिजली की व्यवस्था का ठेका एक ठेकेदार को दे रखा है और इस वर्ष अगस्त में खत्म हो रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार भविष्य में आबू पर्वत को बिजली चम्बल से देने की योजना बना रही है? अगर हां, तो सिरोही जिले में कितने गांवों को इस बिजली से लाभ मिलेगा? सूची सदन की मेज पर रखें और कब तक यह कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा?

(3) कितने के. जी. की यह लाइन होगी व कितनी लम्बी होगी और किन 2 गांवों से लाइन गुजरेगी, आबू पर्वत के लिए बिजली का स्टेशन किस जगह बनेगा?

उत्तर

(1) जी हां। इसकी समाप्ति 30 अक्टूबर, 1969 को हो रही है?

(2) व (3) यह मामला विचाराधीन है। पूरी जानकारी योजना बनने पर दी जा सकेगी।

पंचायत समिति शाहबाद में बिजली की व्यवस्था

482. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की शाहबाद पंचायत समिति आदिवासी क्षेत्र है ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में अभी तक बिजली नहीं गई है ?

(3) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में बिजली लेने का निर्णय किया है ? यदि हां तो बिजली कब तक पहुँचाई जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। अब तक की गई स्वीकृत योजना में यह क्षेत्र विद्युतिकरण हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है।

बालोतरा विद्युत् घर

483. श्रीमती **मदन कौर** (पचपदरा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बालोतरा विद्युत् घर को विद्युत् बोर्ड ने नगरपालिका बालोतरा से कब लिया ?

(2) कितना रुपया इसके बदले नगरपालिका को देना तय किया गया ? कितनी रकम का भुगतान किया गया ? और कितनी अब देना शेष है ?

उत्तर

(1) 7 मई 1964 को।

(2) 70,619.58 पैसे देना तय किया था और पूरी रकम का भुगतान कर दिया गया है।

डीडवाना को बिजली की सप्लाई

484. श्री **लाभ चन्द वैद** (सुजानगढ): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि डीडवाना को रतनगढ ग्रिड स्टेशन से हटाकर सीकर की ओर से जोडा जाकर बिजली सप्लाई की योजना है ? अगर हां, तो यह कब तक पूरी हो जायगी ?

उत्तर

डीडवाना से सीकर 33 के.वी. (डबल सरकिट) लाइन के निर्माण की योजना चालू वर्ष में स्वीकृत है। इसके निर्माण का कार्य चालू है और जल्दी से जल्दी पूर्ण होने की सम्भावना है। डीडवाना को रतनगढ की लाइन से हटाने की कोई योजना नहीं है।

केकड़ी में विद्युत् डिस-कनेक्शन के मामले

485. श्री **देवीलाल बुरासिया** (केकडी-सु.): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वह सही है कि केकडी विद्युत् कर्मचारियों द्वारा आये दिन कन्जूमरों को विद्युत् कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दिये जाते हैं ?

(2) दि. 1-1-67 से अब तक केकडी और सरवाड के कितने विद्युत् कनेक्शन डिस कनेक्ट किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि विद्युत् कनेक्शन वापिस कनेक्ट कराने के लिये आवेदन-पत्र नसीराबाद देने पडते हैं ?

(4) क्या विद्युत् विभाग द्वारा एक असिस्टेन्ट इंजीनियर विद्युत् का दफ्तर केकडी खोलने का विचार है ? अगर हां, तो आफि

Page No 50

(श्री देवीलाल बुरासिया)
कब तक कायम कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) दिनांक 1-1-67 से फरवरी 1969 तक कुल 160 विद्युत् सम्बन्ध विच्छेद किये गये ।

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

जवाई बांध का कमांड एरिया में नियमित रूप से बिजली का प्रबन्ध

486. श्री **फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध के कमाण्ड एरिया में कृषि कार्य हेतु लोगों द्वारा बार-बार शिकायतें की जाने पर भी लम्बे असें से विद्युत् नियमित व आवश्यकता अनुसार देने का प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया है ?

(2) फालना-देसूरी वाया सादडी बिजली लाइन की योजनानसार सादडी तक बिजली कब तक पहुंच जायगी ?

(3) क्या पाली जिले में सुमेरपुर फालना, रानी, बाली आदि स्थानों पर जहां जहां बैंक हैं वहां वहां बिजली के बिलों का भुगतान बैंकों में करने का प्रबन्ध करने में सरकार को कोई आपत्ति, कठिनाई या हानि है ? यदि नहीं, तो बिजली के बिलों को बैंकों में जमा कराने का प्रबन्ध कब तक किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जवाई बांध के कमाण्ड एरिया में बिजली की सप्लाई में कभी-कभी बाधाएं आती हैं इसका मुख्य कारण यह है कि फालना विद्युत् गृह के इंजनों की मरम्मत का जब कोई जरूरी कार्य करना होता है तो कुछ समय के लिए बिजली की सप्लाई स्टेगरिंग करके अलग 2 फीडर पर बन्द की जाती है । इसके अलावा कभी 2 ट्रांसफारमर के फ्यूज उड जाने व लाइन पर खराबी होने से भी कुछ समय के लिए बिजली बन्द हो जाती है ।

(2) देसूरी किसी भी स्वीकृत योजना में नहीं थी ? अतः निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि देसूरी तक बिजली की लाइन कब तक पहुंच जावेगी ।

(3) जी हां । बैंक अत्यधिक चार्जेज मांगते हैं ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत् क्षमता का वितरण

487. श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाडमेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं; तथा वार्षिक योजना सन् 66-67 एवं 67-68 एवं 68-69 में विद्युत् क्षमता (प्रतिस्थापित एवं दृढ) जिलेवार कितनी रही ? अलग अलग आंकडे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

विभिन्न विद्युत् गृहों की जिलेवार 1967-68 तक की क्षमता व दृढ क्षमता की सूची (अ) संलग्न है । भाखरा नांगल चम्बल आदि वृहद् योजनाओं से प्राप्त विद्युत् की मात्रा सूची 'ब' में दिखाई गई है । 1968-69 के आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

Page No 51

रैगर सुधार कार्यकारिणी पं. केकड़ी द्वारा अनुदान की मांग

488. श्री देवीलाल बुरासिया (केकडीसु-.): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय रैगर सुधार कार्यकारिणी पंचायत केकडी की ओर से 2 अगस्त सन् 1962 ई. को समाज कल्याण विभाग में 769 फार्म मय नक्शों के मकान निर्माण के लिये अनुदान लेने हेतु प्राप्त हुए थे ?

(2) यदि हां, तो अब तक उन फार्मों पर क्या कार्यवाही हुई ? और अब उनमें क्या प्रगति है और वे फार्म कहां पर हैं ?

उत्तर

(1) विभागीय रिकार्ड के अनुसार अगस्त सन् 1962 को रेगर सुधार कार्यकारिणी पंचायत केकडी के द्वारा मकान सहायता हेतु फार्म प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

अजमेर जिले में आदिवासियों हेतु छात्रावास

489. श्री देवीलाल बुरासिया (केकडी-सु.): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में अनुसूचित, पिछडी व आदिवासी छात्रावास कहां 2 पर चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त छात्रावास खोलने के क्या क्या आधार हैं ?

(3) क्या सरकार एक छात्रावास केकडी नगर में भी खोलने का विचार रखती है अगर हा, तो कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रावास निम्न स्थानों पर चल रहे हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

<u>राजकीय छात्रावास</u>

(1) अनु. जन जाति छात्रावास मसूदा ।

(2) अनु. जन जाति छात्रावास, विजय नगर ।

(3) अनु. जाति छात्रावास, अजमेर ।

(4) अनु. जाति छात्रावास, गंगवाना ।

(5) विमुक्त जाति छात्रावास, अजमेर ।

(6) घुमन्तु जाति छात्रावास, ब्यावर ।

<u>अनुदानित छात्रावास</u>

(1) हरिजन छात्रावास, पीसांगन (अनु. जाति)

(2) दयानन्द अनाथालय, अजमेर (अनु. जाति)

(3) महिला शिक्षा सदन, हटुण्डी (अनु. जाति)

(4) श्री लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास, भिनाय (अनु. जाति)

(5) बाधा छात्रावास, अजमेर (विमुक्त जाति)

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) छात्रावास खोलने के आधार शैक्षणिक सुविधा अनुसूचित जाति व जन जाति की जन संख्या तथा स्थानीय मांग व उपलब्ध बजट प्रावधान हैं।

(3) केकडी में छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मांग आने पर तथा उपयुक्त भवन प्राप्त होने पर इस विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

परिवार नियोजन के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति

490.श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में परिवार नियोजन के द्वारा लूप, नसबन्दी आदि का क्या लक्ष्य सन् 65-66 व 66-67 में रखा गया था और उसमें कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई ?

(2) क्या यह सच है कि सन् 67-68 में भी जितना लक्ष्य रखा था, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकी ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था ?

(3) क्या यह भी सच है कि लूप, आपरेशन व नसबन्दी के बाद कई औरतें और मर्दों को काफी परेशान होना पड़ता है और बाद में जांच आदि की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण गांवों में वातावरण खराब हो जाता है ?

(4) क्या यह भी सच है कि मुस्लिम धम अनुयाइयों पर परिवार नियोजन लागू नहीं है ? यदि हां, तो इस राष्ट्रीय समस्या में भी भेदभाव क्यों ?

(5) परिवार नियोजन स्कीम पर हर साल गाडियों की खरीद, पैट्रोल, आफिसर व कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, प्रचार, दवाइयों, औजार आदि पर कुल कितना रुपया खर्च होता है ? गत पांच वर्ष के आंकडे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में लूप, नसबन्दी आदि के सन् 1965-66 व 1966-67 में निम्न लिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये एवं प्राप्तियां हुईं:—

	विवरण	1965–66 लक्ष्य	1965–66 प्राप्तियां	1966–67 लक्ष्य	1966–67 प्राप्तियां
	1	2	3	4	5
1.	लूप प्रविष्टि	निर्धारित नहीं किये गये	10344	134815	15577
2.	नसबन्दी	यथा	7479	40581	8212
3.	गर्भ निरोधक उपकरणों का विवरण:				
	कन्डोम्स	निर्धारित नहीं किय गय	177961	957566 (व्यक्ति)	179897 (नग)

(परिवार नियोजन मंत्री)

1	2	3	4	5
झाग वाली गोलियां	यथा	374717		140964 (नग)
जैली।क्रीम	निर्धारित नहीं किये गये	10039	23439 (व्यक्ति)	7340 (नग)
डाय फ्राम	यथा	2732		1951 (नग)

(2) जी हां। लक्ष्य पूर्ण नहीं होने के मुख्य कारण ग्रामीण जनता में शिक्षा का अभाव, प्रशिक्षित स्टाफ का उपलब्ध न होना, वाहनों की कमी, प्रचार यन्त्र व सामग्री का अभाव एवं जनता का रूढिवादी दृष्टिकोण इत्यादि हैं।

(3) नसबन्दी कराने के पश्चात् मर्दों को साधारणतया किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है किन्तु लूप के पश्चात् कुछ महिलाओं को साधारण तकलीफ जैसे कमर में दर्द इत्यादि होना पाया गया है। नसबन्दी व लूप प्रविष्टि के बाद नियमानुसार सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा पुनः जांच की जाती है तथा आवश्यक उपचार कर दिया जाता है। अन्यथा लूप प्रविष्टि से महिलाओं को कोई विशेष कष्ट नहीं होता और न ही इसके कारण ग्रामीण जनता में वातावरण खराब होता है। लेकिन अज्ञानता के कारण, जिसके लिये निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, लूप लगवाने के साथ 2 अभाग्यवश यदि कोई अन्य बीमारी होती है तो महिलायें उसे लूप का ही कारण समझती है, इससे जो अफवाएं फैलती हैं उससे वातावरण जरूर खराब होता है लेकिन उस भ्रम व खराबी के वातावरण को हटाने के लिये हमारी टीमों द्वारा व लेडी डाक्टरों तथा फालोअप टीमों द्वारा समझा कर भ्रम का निवारण कर दिया जाता है।

(4) जी नहीं।

(5) परिवार नियोजन की योजना पर हर साल ऑफिसर, कमचारियों के वेतन भत्ते व गाडियों की खरीद, पैट्रोल, प्रचार, दवाइयों, औजार आदि पर जो खर्चा पिछले पांच वर्षों में हुआ उसकी सूची संलग्न तालिका में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(5-3-69 व 20-3-69)

वृद्धावस्था पेन्शन

36. **श्री गंगासहाय** (कठूमर–सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वृद्धावस्था पेन्शन देने के लिये स्कीम राजस्थान में कब से चालू की गई ?

(2) अब तक कितने लोगों को पेन्शन दी गई ? इन पेन्शन प्राप्त करने वालों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? जिलेवार सूचीर सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वृद्धावस्था पेन्शन योजना सन् 1964 से प्रारम्भ की गई।

(2) अब तक राजस्थान में 5,964 लोगों को पेन्शन दी गई है। जिन जिलों से ऐसी सूचना उपलब्ध हुई है उनके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के 189 लोगों को पेन्शनें दी गई हैं। जिलेवार वृद्धावस्था पेन्शन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

Page No 54

स्थगित प्रश्न

(20–3–69)

अजमेर जिले में रिटायर्ड व्यक्तियों के पैन्शन के मामले

276. श्री **देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में 58 साला से 55 साल रिटायरमेन्ट आयु होने से दिनांक 30–6–67, 30–9–67 व 31–12–67 तक कितने कर्मचारी रिटायर हुए?

(2) इनमें से कितने के पेन्शन केस तय हो गये?

(3) कितनों के पेन्शन केस बन कर पेन्शन पेपर चल रहे हैं?

(4) कितने पैन्शन केस अभी तक नहीं बन पाये हैं और क्यों?

उत्तर

क्रम.	नाम।कार्यालय विभाग	अजमेर जिले में 58 से 55 साल रिटायरमेंट आयु होने के फलस्वरूप रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या।	इनमें से कितनों के पेन्शन केस तय हो गये।	कितनों के पेन्शन केस बनकर पेन्शन पेपर चल रहे हैं।	कितने पेन्शन केश अब तक नहीं बन पाये हैं और क्यों?
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य लेखाधिकारी	2	1	1	..
2.	परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण	1	..	1	..
3.	जागीर आयुक्त	2	..	1	..
4.	निदेशक संस्कृत शिक्षा	1	1	..	..
5.	कर आयुक्त	1	..	1	..
6.	अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त	1	..	1	..
7.	श्रम आयुक्त	कोई नहीं			
8.	मुख्य अधीक्षक	कोई नहीं			
9.	निदेशक राज्य बीमा	कोई नहीं			
10.	प्राधानाचार्य एवं नियंत्रक	कोई नहीं			
11.	निदेशक नागरिक सुरक्षा	कोई नहीं			
12.	राजस्थान नहर परियोजना	कोई नहीं			
13.	निदेशक मूल्यांकन संगठन	कोई नहीं			
14.	निदेशक जिला गजेटियर्स	कोई नहीं			
15.	निदेशक नियोजन सेवा निदेशालय	कोई नहीं			

Page No 55

(वित्तमंत्री)

1	2	3	4	5	6
16.	जज इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल	कोई नहीं			
17.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	कोई नहीं			
18.	राजस्थान नहर मंडल	कोई नहीं			
19.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	कोई नहीं			
20.	मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तु विधिक सलाहकार	कोई नहीं			
21.	परिवहन 1	कोई नहीं			
22.	पर्यटन	कोई नहीं			
23.	संचालक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई	कोई नहीं			
24.	महानिरीक्षक आरक्षी भ्रष्टाचार निरोधक	कोई नहीं			
25.	राजकीय उपक्रम	कोई नहीं			
26.	निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकव निदेशालय	कोई नहीं			
27.	पुरातत्वएवं संग्रहालय	कोई नहीं			
28.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	कोई नहीं			
29.	राजस्थान सैनिक मंडल	कोई नहीं			

स्थगित प्रश्न

(22–3–69)

पंचायत समिति आहोर द्वारा दिया गया ऋण एवं उसकी वसूली

336. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम भैंसवाडा व चान्द्राई पंचायत समिति आहोर जिला जालोर में किन-किन व्यक्तियों में पंचायत समिति का ऋण कब-कब से बकाया है? सूची मय ब्याज के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त ऋण लेने वालों की जमानतें किन-किन व्यक्तियों ने किस-किस की ओर से किस किस ऋण में दीं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त वसूली के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा इतने लम्बे समय तक वसूली न होने का क्या कारण है ?

उत्तर

स्थगित किया गया।

स्थगित प्रश्न

(22–3–69)

बाडमेर जिले में कुदरतन आग लगने के कारण दी गई आर्थिक सहायता

348. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाडमेर) :क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाडमेर जिले में पिछले पांच सालों में कुदरतन आग लगने के कारण किन किन लोगों ने सहायता लेने बाबत कब–कब दरख्वास्तें राज्य के अधिकारियों को प्रस्तुत कीं ? उनकी सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 56

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

(2) उक्त प्रभावित व्यक्तियों ने क्या क्या नुकसान के बारे में क्लेम किया और राज्य अधिकारियों ने क्या नुकसान आंका एवं उन्ह कब क्या सहायता मिली? प्रत्येक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि ऐसे नुकसान से प्रभावित लोगों को समय पर पर्याप्त सहायता देने के लिये सरकार द्वारा उपयुक्त धन राशि जिलों में नहीं रखी जाती है? अगर हां, तो अब सरकार इस बारे में क्या निर्णय ले रही है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(24–3–69)

घास का प्रबन्ध

364. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के विभिन्न गांवों में घास का प्रबन्ध करने हेतु कितना घास कहां कहां से किस किस कीमत पर खरीदा गया और उस घास का वितरण किस प्रकार किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(24–3–69)

पंचायत कोष की रकम के दुरुपयोग के मामले

368. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1963 की धारा 17 (4) के परन्तुक क अन्तर्गत अब तक कुल कितन व्यक्तियों के विरुद्ध फाइन्डिंग्स रिकार्ड की गई हैं?

(2) सरकारी अनुदान अथवा पंचायत कोष की कुल कितनी रकम का दुरुपयोग किया जाने के आरोप इन व्यक्तियों पर थे?

(3) क्या रकम इनसे वापिस वसूल की गई ?

(4) क्या इन व्यक्तियों का सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में अदालत में चालान किया गया?

उत्तर

(1) कुल 200 सरपंच, उप सरपंच तथा पंचों के विरुद्ध फाइन्डिंग्स दी गई हैं।

(2) 2,39,095.57 रुपये के दुरुपयोग के आरोप थे।

(3) 35,066.74 रुपये वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की जा रही है।

(4) 18 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय म चालान प्रस्तुत किया गया।

स्थगित प्रश्न

(25–3–69)

रिटायर्ड मुलाजिमों को पेन्शन

385. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकडी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर में 1–7–67 को कितने मुलाजिम रिटायर हुए?

(श्री देवीलाल बुरासियां)

(2) इनमें से कितनों को पेन्शन मिल चुकी है?

(3) कितनों को प्रोवीजनल (एन्टि-सिपेटरी) पेन्शन दी गई है?

(4) कितनों को आदेश नं. एफ. 1 (42) एफ.डी. (Exp. Rules) 67/11, दिनांक 13 जून, 1967 के होते हुए भी एन्टि-सिपेटरी पेन्शन नहीं दी गई? और क्यों?

(स्थगित किया गया।)

स्थगित प्रश्न

(25–3–69)

बारां नगर के बाढग्रस्त बेघरबार परिवारों को सहायता

393. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां नगर में सन् 1957 जुलाई माह में जो भयंकर बाढ आई थी उसमें कितने परिवार बेघरबार हुए तथा कितने नर-नारियों की मृत्यु हुई?

(2) क्या सरकार ने बाढ सहायतार्थ फण्ड खोला था? यदि हां, तो उस फण्ड में सरकारी व गैर सरकारी सहायता के द्वारा कुल कितना रुपया इकट्ठा हुआ और उसमें से कितना खर्च हुआ और बाकी कितना शेष बचा? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि बाढ पीडितों को गृह निर्माण आदि कार्यों के लिये ऋण दिया गया था? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिन गरीब परिवारों को ऋण दिया गया उनसे तो ऋण की वसूली करली गई लेकिन अभी तक श्री लालबहादुर सक्सेना, श्री चन्द्र प्रकाश वैद्य, श्री भंवरलाल पीपल आदि से ऋण की रकम वसूल नहीं की गई है? यदि हां, तो इनमें कितना कितना रुपया बाकी है और किन कारणों से वसूल नहीं किया गया?

उत्तर

(1) बारां नगर में सन् 1957 के जुलाई माह में जो बाढ आई थी, उसमें बारां व आस-पास के गांवों के 391 परिवारों पर बाढ का प्रभाव पडा। किसी नर-नारी की मृत्यु की सूचना नहीं है।

(2) जी हां। सरकार ने बाढ सहायतार्थ फण्ड खोला था। जनता से प्राप्त धन राशि तथा सरकार द्वारा दिये गये अनुदान की राशि व खर्चे का विवरण निम्न प्रकार था:—

जनता से प्राप्त ..	1,517.81 पैसे
अनुदान से प्राप्त ..	16,000.00 पैसे
योग ..	17,517.81 पैसे
खर्चः—	15,519.27 पैसे
बचतः—	1,998.54 पैसे

(3) जी हां। बाढ पीडितों को सन् 1957-58 में 45 हजार एवं सन् 1958-59 में 6 हजार 250 रु. ऋण दिया गया था।

(4) जी नहीं। जिन 258 व्यक्तियों को ऋण दिया गया था उनमें से 251 व्यक्तियों

Page No 58

(अकाल सहायता मंत्री)

से वसूल कर लिया गया है। श्री लाल बहादुर सक्सेना, श्री चन्द्र प्रकाश वैद्य से वसूली हो चुकी है। केवल श्री भंवरलाल पीपल से रकम वसूल नहीं हुई है। शेष और 6 व्यक्तियों, जिनसे रकम वसूल नहीं हुई है, उनकी अचल सम्पत्ति से वसूली की कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि चल सम्पत्ति से वसूली नहीं हो सकी थी।

श्री **उपाध्यक्ष** : विधायी कार्य।

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन तथा निरसन) विधेयक, 1969

वि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन तथा निरसन) विधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष**: संशोधन भी है साथ में।

श्री **मथुरादास माथुर**: वह तो अमेंडमेंट मूव हों तो हों। मैं इसे विचार के लिए प्रस्तुत कर चुका हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री वृद्धिचन्द जैन ! एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु।

श्री **वृद्धिचन्द जैन** : मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री शिवनाथ सिंह !

श्री मूलचन्द डागा !

श्री **शिवनाथ सिंह**: उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में (विराम) अच्छा नहीं।

(श्री शिवनाथ सिंह व श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किय)

श्री **उपाध्यक्षः** श्री रघुनाथ विश्नोई।

(श्री रघुनाथ विश्नोई ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री **मथुरादास माथुर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को क्लाज बाई क्लाज लिया जाय उसके पहले जो कुछ भी इस बिल के सिलसिले में राज्य सरकार कन्सेशन देना चाहती है और उसके मुताबिक इस बिल के क्लाजेज के ऊपर अमेंडमेंट व तरमीम पेश करना चाहती है वह बिल के क्लाजेज के साथ में तरमीम पेश करेगी, मगर मैं यह उपयुक्त समझता हूं कि जो कुछ भी कन्सेशन हम लोग देना चाहते हैं, राज्य सरकार देना चाहती है उसकी घोषणा इस सदन में कर दी जाय ताकि माननीय सदस्यों को इसकी पूरी तफसील मालूम हो जाय। जब बिल को क्लाज बाई क्लाज अपन तय करेंगे उस वक्त वह अमेंडमेंट भी मूव कर दिये जायेंगे।

आपकी आज्ञा है?

श्री **उपाध्यक्ष** : अनुमति प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बजट भाषण के वक्त भी, और इस बिल के अन्दर क्लाज 3 में कहा है, क्लाज 18 के पार्ट 4 में यह कहा है कि ओइल केक्स, सरसों व तारमीरा मिला कर, इनके ऊपर टैक्स लगेगा। अब मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि ओईल केक्स–यह सभी इस शिड्यूल में से निकाल दिये जायं। इसमें मन्शा राज्य सरकार की यह है कि चाहे ओइल केक्स, जो राजस्थान में कैटल फीड के लिए काम में आते हैं चाहे आइल केक्स किसी के हों, सरसों, तारमीरा, दीगर चीजों के, मूंगफली के, जो ओइल केक्स कैटल फीड के काम में आते हैं, जो राजस्थान में ओईल केक्स कैटल फीड के काम में आते हैं–उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं रखा जाय। और जो ओईल केक्स कैटल फीड के लिए राजस्थान के बाहर, हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में भेजे जाते हैं उनके ऊपर सिर्फ एक पर्सेन्ट इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स लगाया जाय। आप भली भांति जानते हैं कि जो एक्सपोर्ट के काम में आयें उनके ऊपर कोई टैक्स लगता नहीं है इसलिए मेरे संशोधन प्रस्ताव का यह नतीजा निकलता है:

Oil cakes, used for cattle feed in Rajasthan, will be exempted from tax. On Oil cakes sent outside Rajasthan or exported outside within India there will be one percent inter state sales tax.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल में भी और बजट भाषण में इस बात की घोषणा की थी कि भारत सरकार ने खांडसारी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगायी है उसमें खांडसारी की कुछ किस्म के ऊपर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है और कुछ खांडसारी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। मैंने उस खांडसारी पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी जिन पर भारत सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई गई है। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि उस खांडसारी, जिस पर टक्स लगाया जाता है और उस खांडसारी, जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है में डिस्टिंक्शन करना बडा मश्किल हो जायगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि खांडसारी के ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल में भी और बजट भाषण में भी कहा था कि मिठाई के ऊपर हम कर लगायेंगे दो पर्सेन्ट। अब राज्य सरकार ने पुन: इस पर विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि मिठाई के ऊपर अब कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात की घोषणा की थी कि मोटर स्प्रिट को, जिस पर राजस्थान सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन एक्ट के मुताबिक टक्स लगता था, अब राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के दायरे में ले लिया जाय। क्योंकि मोटर स्प्रिट और पेट्रोल के ऊपर भारत सरकार का इस घोषणा के पहले टैक्स लग चुका था और घोषणा के पहले सेन्टर का टैक्स प्रपोजल आ चुका था इसलिए जरूरी है कि स्थिति को साफ कर दिया जाय। इस पर दुबारा टैक्स नहीं लगेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल में यह प्रोविजन किया था कि हर एक डीलर को इस बात का अकाउन्ट रखना पडेगा कीमत का और क्वान्टिटी आफ गुड्स का

(श्री मथुरादास माथुर)

"Quantity of goods received, sold, manufactured or otherwise disposed by them"

उसका हिसाब कीमत का और क्वान्टिटी का रखना पड़ेगा। व्यापारियों के रिप्रेजेन्टेशन पर कि यह सब हिसाब उनके लिये रखना असंभव है, इस पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार कर के यह फैसला किया है कि सर्टेन टाइप आफ डीजल्स को मेन्टेनेन्स आफ अकाउन्ट्स शोइंग क्वान्टिटी आॅफ गुड्स और दी वेल्यू आॅफ गुड्स हैल्ड इन स्टाक उनको एकाउन्ट रखने से एग्जेम्प्ट किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट पेश करते समय मैंने बताया था कि उस वक्त तक सिर्फ बन्धेज की ओढनी 15) तक की ही कर से माफ थी और उस समय मैंने बन्धेज की बजाय एक सूती ओढनियों को 15) तक की कीमत की हों तो कर से माफ किया था। अब मैं सूती की जगह सब प्रकार की ओढनियां, लूगडियां और साडियां जो 15) तक की कीमत की हों उनको कर से माफ करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले ओपियम पर हमारे राजस्थान में परचेज टक्स 10 परसेंट लगता था। इसके सिलसिले में भारत सरकार से काफी खतोकितावत हुई। अब भारत सरकार ने यह कर देना मन्जूर कर लिया है। ओपियम पर मध्य प्रदेश में 7 परसेन्ट टैक्स लगता है और पहले भारत सरकार न इसको मंजूर नहीं किया था तो ओपियम प्रोड्यूसर्स पर यह टैक्स लग जाता था। अब भारत सरकार ने देना मंजूर कर लिया है। हमारे यहां 10 परसेंट टक्स लगता और मध्य प्रदेश में 7 परसट है। इसलिये उसको घटा कर 10 परसेंट से 7 परसेंट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने असली और नकली जवाहरात पर 5 से 7 परसेंट टैक्स किया था, उसमें जो जवाहरात सैंथेटिक जैम्स एण्ड स्टोन्स हैं, जिनकी कटिंग की जयपुर में बहुत बड़ी इन्डस्ट्री है। नकली जवाहरात दो तरह के होते हैं एक तो Synthetic और दूसरे plastic और glass के बने हुए मैंने इन सब पर 7 परसेंट टैक्स लगाया था। जयपुर में चूंकि सिन्थेटिक जेम्स का कटिंग होता है और इसकी इन्डस्ट्री है इसलिये सिन्थेटिक जेम्स पर टैक्स 7 परसेंट की बजाय 5 परसेंट करने की घोषणा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राजस्थान के अन्दर कोई भी ओइल मिल है या जो तेल बनाते हैं, वह अगर राजस्थान के अन्दर से आइल सीड खरीदता है तो उस पर 3 परसेन्ट टैक्स लगता है और तेल बाहर भेजता है तो 1 परसेन्ट टैक्स लगता है। कोई मिल बाहर से ओइल सीड्स मंगाती है, जैसे भरतपुर आदि में ओइल मिल्स हैं वे बाहर से ओइल सीड्स मंगाती हैं तो वहां वे उस राज्य का टैक्स या 3 परसेन्ट inter state का टैक्स oilseed पर देती हैं उस से अगर oil निकाल कर बाहर भेजती हैं तो उसको रियायत नहीं मिलती है और 3 परसेन्ट टैक्स देती है। इस तरह से उन पर 6 परसेन्ट टैक्स हो जाता था इसलिये वे कन्साइनमैन्ट बेसिस पर बाहर भेजती हैं और हमें कोई टैक्स नहीं मिलता। इसलिये मैंने तै किया है कि राजस्थान के बाहर से क्रश के लिये oilseed लाया जाय और उस पर उस स्टेट का या

Page No 61

(श्री मथुरादास माथुर)

inter State sales tax दे दिया गया हो तो जो oil produce हो उस पर भी 1% inter State sales tax लगेगा।

रेवेन्यू बोर्ड में रेफरेन्स के लिये मियाद 4 महीने हुआ करती थी, उसको बढा कर 180 दिन करता हूं।

एक और तरमीम मैं पेश करूंगा, जिसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। हमारे यहां सरचार्ज 75 पर एनंम के ऊपर ही सरचार्ज लिया जायगा।

इन घोषणाओं के साथ साथ जो मुख्तलिफ धाराएं आयेंगी उन पर अमेन्डमेंट पेश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति प्रदान की गई।

खण्ड 2

श्री शिवनाथ सिंह : खण्ड 2 पर मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : अमेन्डमेन्ट नहीं है पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

जिस व्यापारी का 20 हजार का टर्न ओवर था उसको रिटर्न नहीं देना पडता था अब 30 हजार तक कर दिया है, इसमें मुझे एतराज नहीं पर व्यापारी को अनड्यू फायदा देना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। 20 हजार का जिसका टर्न ओवर होगा वह लोगों से टैक्स लेगा और राज्य के खजाने में वह पैसा नहीं जायेगा, ऐसी हालत में उसे टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है। या तो ऐसा प्रावधान कीजिये कि वह टैक्स नहीं ले। अगर वह टैक्स वसूल करता है तो राज्य के खजाने में वह टैक्स जमा होना चाहिये। इसलिये इसके वास्ते कोई रास्ता निकाले जिससे जो जनता से व्यापारी टैक्स लेता है वह राज्य के खजाने में आये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना): माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है 30 हजार तक एग्जेम्प्ट किया है वह सेल्स टैक्स वसूल नहीं कर सकता और अगर वसूल करता है तो वह अपने पास रख नहीं सकता, उसे सरकार में जमा करना पडता है। ऐसा प्रावधान है। यह आपकी जानकारी में गलत है। 20 हजार से 30 हजार किया है इससे व्यापारी वसूल शुदा सेल्स टैक्स की रकम अपने पास रखेगा यह आपकी भावना बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टैक्सेशन लाज

Page No 62

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

अमेन्डमेन्ट बिल, 1969 के अन्दर मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। इससे पूर्व कि मैं इन संशोधनों के सम्बन्ध में निवेदन करूं, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह राजस्थान सेल्स टैक्स 1954 में बना और 54 से हर साल बाद कोई वर्ष ऐसा नहीं निकला जिसमें इस एक्ट में कोई तरमीम नहीं हुई हो, कोई संशोधन नहीं हुआ हो। कुछ तरमीमें तो ऐसी हैं जो, वित्त मन्त्री महोदय द्वारा बजट भाषण में यह कहा गया था कि सेल्स टैक्स ऐसा विभाग है जो वित्त मंत्री के हाथ में कामधेनु है, इसलिए हर साल सेल्स टैक्स को लेकर के, उसमें वृद्धि की गई और उसके फलस्वरूप इस कानून में संशोधन आये विभाग में जो जो कठिनाइयां अनुभव की गई, वह भी हर साल किसी न किसी संशोधन के रूप में प्रस्तुत की जाती रही हैं। इन सारे संशोधनों के बाद आज सेल्स टैक्स एक्ट इतना जटिल, इतना दुरूह और इतना कठिन हो गया है कि शायद कानून बनाने वालों की निगाह में जो एक मूल सिद्धान्त है कि करारोपण के नियम बिल्कुल सीधे और स्पष्ट होने चाहिये, उस परिभाषा से यह कानून बाहर चला गया है।

प्रारम्भ से जहां से सेल्स टैक्स के प्रावधान शुरू होते हैं, उससे लगा कर जहां तक रूल मेकिंग पावर है मुझे कोई प्रावधान ऐसा नहीं मिला जो समझने में सीधा हो, वह साधारण व्यापारी के लिये तो समझने में इतना दुरूह है कि मैं यह कहूं कि ऐसा चक्रव्यूह है कि जिसमें फंस कर वह निकल ही नहीं पाये।

इसके साथ साथ इतने अधिक प्रोफार्मा और नोर्म्स हैं कि जिनको शायद व्यापारी व्यापार नहीं करे और बैठे बैठे कागज भरता रहे तो उसकी जिन्दगी बीत जाय और व्यापार में एक पैसा न कमाये। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स जो इतना दुरूह हो गया है कि उसमें समय के साथ संशोधन की बडी आवश्यकता है, इसलिये ऐसी कमेटी कायम करें कि जिससे इस एक्ट में नये संशोधन आकर यह इतना सरल हो जाय कि साधारण आदमी भी इसको समझ सकें। प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स के अधीन सम्भव जितने संशोधनों के द्वारा मैं इसको सरल कर सकता हूं वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्लाज 4 के अन्दर सब-सेक्शन 1 है उसमें मैंने कुछ संशोधन दिया है वह यह है :—

In this clause after the words and comma "Tax Act," and before the words "the following," expression as under may be inserted.

"In sub-section (1) the words 'of goods for sale within the State or in the course of inter-state trade or commerce' shall be deleted and"

मेरा निवेदन यह है कि इसमें से यह शब्द "of goods for sale within the State or in the course of inter-state trade or commerce" हटा देने चाहिये। इसका आधार यह है कि कन्सेशनल रेट सेक्शन 5 के तहत दी गई है मेन्युफेक्चर्ड गुड्स पर यह इन्डस्ट्री को बढावा देने के लिये दी गयी है। जब ये शब्द सामने आते हैं कि गुड्स मन्यूफेक्चर हो गया वह गुड्स स्टेट में या स्टेट के बाहर बिके अनावश्यक है। लेकिन यह संभावना हो सकती है तो एक आदमी मैन्युफेक्चर करे और दो साल के लिय पड़ा रखे। इन्टर स्टेट

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

पर बिका नहीं । तो यह कहना कि यह गुड्स फोर सेल है तो इन्डस्ट्री को बल देना चाहते हैं कन्सेशन रेट देकर वह बेकार हो जाता है। इससे परे भी एक कल्पना यह हो सकती है कि उसमें से कुछ माल वह अपने रिश्तेदारों को दे दे उस पर फिर टैक्स लिया जाय यह इन शब्दों के रहते हो सकता है. इसलिये उद्योगों को बढावा नहीं मिलता । ये शब्द रिडेन्डन्ट हैं और इनको निकाल देना चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने तरमीम रखी है उसको मैं मानने में असमर्थ हूं। उसका एक कारण है। कोई गुड्स मेन्युफेक्चर करता है, रॉमेटेरियल के लिये कन्सेशन देते हैं, 1 परसेन्ट चार्ज करते हैं । फिनिश्ड गुड्स पर तो सेल्स टैक्स दे । या तो वह राजस्थान में बेचे या इन्टरस्टेट में लेजाकर बेचें । यह क्लाज तो रखना आवश्यक है । कोई रामैटिरियल पर कन्सेशन लेकर गुड्स मैन्युफेक्चर करके बिना टैक्स चुकाये माल बाहर भेज दे यह उचित नहीं । मेरा मतलब यह है कि मैं उन लोगों को कन्सेशन देना चाहता हूं जो रामेटिरियल इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ इन्डस्ट्री वह मेन्युफेक्चर करे और फिनिश्ड गुड्स राजस्थान में बेचे तो टैक्स लेंगे और इन्टर स्टेट भेजेगा तो सेल्स टैक्स लेंगे । कन्साइनमेन्ट बेसिस पर भेजेंगे तो उससे मेरी सहानुभूति नहीं है । मुझे ऐसा लगता है कि कन्साइनमेन्ट बेसिस पर भजेंगे इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्लाज 5 पर मेरा अमेन्डमेन्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप इसको विथड्रा करेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह आवश्यक संशोधन था । असेसिंग अथोरिटी को अगर इसमें य शब्द "for such period as may be specified therein or" कायम रहें तो तरह-तरह से तंग करने का अधिकार है । यदि माननीय मंत्री महोदय के पास कोई आधार है तो मैं इसको विथड्रा करने की इजाजत लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री यशवन्तसिंह नाहर ने रखा है उसको वापिस विथड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इसको वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खंड 4 स्वीकार किया गया एवं बिल का अंगभूत हुआ ।

खंड 5

श्री नाहर ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : शायद कहीं न कहीं तो वित्त मंत्री मंजूर करें ।

श्री मथुरादास माथुर : मंजूर करने के लिये बैठा हूं अगर कोई बात हो तो ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : प्रोवीजनल सर्टिफिकेट का अमेन्डमेन्ट मूव किया है माननीय मंत्री महोदय ने । क्लाज 5

Page No 64

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

"In sub-section (4), for the expression "until a certificate under section 6 or section 6A is granted", the expression 'until such provisional certificate is endorsed under sub-section (4A)' shall be substituted".

यह जो अमेन्डमेन्ट सैल्स टैक्स में किया गया है उसके सम्बन्ध में मेरा ऐतराज नहीं है। आलरेडी जो ये शब्द हैं "for such period as may be specified therein or" उनको हटा देना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी,

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अगर मंजूर फरमा रहे हैं तो नहीं बोलूं। Sec. 6B reads :

"(4) A provisional certificate of registration granted under this section, shall be in force for such period as may be specified therein or until a certificate under section 6 or section 6A is granted and the provisions of sub-section (4) of section 6 shall, so far as may be, apply to any such provisional certificate.

इसमें आलरेडी शब्द थे। एन्डोर्समेन्ट नया ग्रान्ट होने का है। पुराने पर ही एन्डोर्स हो जाय यहां तक तो ठीक है। ये शब्द हटा देने चाहियें"

"for such period as may be specified therein or"

पहले जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ग्रान्ट होता है नया एन्डोर्समेन्ट न हो जाय तब हो। बीच में आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसकी मियाद उस वक्त हो जो एन्डोर्समेन्ट पर है। नहीं तो थर्ड टाइम अथोरिटी के पास जाना पडेगा। एन्डोर्समेन्ट नहीं करेंगे तब छः महीने बढायेंगे। ये शब्द "for such period as may be specified therein or"

हट जाते हैं तो उसको ओटोमेटिकली एन्डोर्समेन्ट के लिये नहीं जाना पडेगा। अर्थात् प्रोविजनल सर्टिफिकेट सीमित अवधि के लिए न होकर उस समय तक हो जब तक उस सर्टिफिकेट पर एन्डोर्स न हो।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन को वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर: कोई कारण तो बतायें।

श्री मथुरादास माथुर : यह जो आप सजेस्ट कर रहे हैं ...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : टेक्सिंग अथोरिटी के पास इस सीमा तक न जाने दीजिये केवल सर्टिफिकेट लेने के लिये टेक्सिंग अथोरिटी के पीछे पडा रहे ?

श्री मथुरादास माथुर : बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, टेक्सिंग अथोरिटी के पास जाना पडेगा यह दलील दी जाती है . . .

इससे लीकेज बहुत हो जायगा। इसलिए मुझे खेद है कि क्योंकि इसके कारण लीकेज होता है, मैं इसको मानने में असमर्थ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : तो विथड्रा करने के लिए तो कहें।

श्री मथुरादास माथुर: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपनी तरमीम को विथ्ड्रा करें ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मेरा निवेदन है कि मुझे अच्छा तो नहीं लगता । मैं चाहता था कि मंत्री महोदय इतने छोटे से संशोधन को मान लें और इस पर सोचें । मैं तब तक विथ्ड्रा करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि संशोधन को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खंड 5 स्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड 6, 7 व 8 विधेयक का अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खंड 6, 7 व 8 स्वीकार किये गये ।

खंड 9-श्री यशवत सिंह नाहर ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर: मेरा बहुत छोटा सा संशोधन है और मेरे खयाल से विभाग के लिये खुद लाभदायक है । मंत्री महोदय यदि स्वीकार कर लें तो बोलने की जरूरत नहीं रहेगी । इसमें यह है कि जब स्टे हो जाता है तो रीएसेस्मेंट की वर्षों तक अपील पड़ी रहती है । इसमें दूसरा लिखा है at too low a rate" भगवान जाने क्या है। इसलिए मैंने सजेस्शन दिया है कि इसमें "at too lower a rate" किया जाय । इससे बहुत साफ हो जायगा 5 परसेंट के बजाय 4 परसेंट ।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरा भी साथ है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : दूसरा मेरा संशोधन है, इसमें रीएसेस के लिए 8 वर्ष की मियाद है और इसमें एक संशोधन आपने पहले कर दिया है । जब जब अपील और रिवीजिन पेंडिग हो उसमें तीन साल की मियाद है । मैं असेसी की सुविधा की दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं । रीएसेस्मेंट के लिए 8 साल लंबा अर्सा है । इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि जब तक अपील या रिवीजन पेंडिंग रहे तो असेस्मेंट या रीएसेस्मेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काम्पलीकेशन हो जायगा । उधर अपील चल रही है और इधर आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं । इसलिए मैंने निवेदन किया है:

"Provided further that no assessment or reasseessment proceeding shall be commenced during the pendency of appeal or revision.

यह केवल सुविधा की दृष्टि से है ।

श्री मथुरादास माथुर: दो तरमीम माननीय सदस्य ने रखी हैं । एक तो अंग्रेजी भाषा के संबंध में रखी है । आपने लिखा है कि "at a lower rate" यूज किया जाय बजाय "at too low a rate" इसलिये मेरा और

(श्री मथुरादास माथुर)
माननीय सदस्य का पर्पज फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है। इसको भले रहने दिया जाय।

दूसरी बात माननीय सदस्य की है कि एसेसमेंट और रीएसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स चालू न की जायं जब तक अपील या रिवीजन पेंडिंग है। यह क्लाज है उसके लिए जो एसेसमेंट को एस्केप कर गया, उसकी असेसमेंट करूंगा ही। जो एसेसमेंट हो गया उसकी अपील और रिवीजन चल रही है। मगर जो असेसमेंट एस्केप होगा उसका असेसमेंट मुझे करने का अधिकार है वरना राज्य की आमदनी कम हो जायगी। इसका रिवीजन और अपील से संबंध नहीं है। आपकी धारणा है कि मैं उसे दुबारा असेसमेंट कर रहा हूं, यह सही नहीं है। इसलिए यह तरमीम मैं मानने में असमर्थ हूं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर: मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उस संबंध में थोडा सा मैं निवेदन कर दूं। मैं रीएसेसमेंट प्रोसीडिंग्स रोकने की बात कह रहा हूं। रीएसेसमेंट जो एवाइड किया गया है या ईवेडेड टैक्स है, उस संबंध में आप रीएसेस कर रहे हैं तो मेरा निवेदन यह है कि पहला जो स्टेज है जब रीएसेसमेंट अपील है उसके बाद आपको पूरा अधिकार है जब आप चाहें कर दें लेकिन जब अपील पेंडिंग है या रिवीजन पेंडिंग है ऐसी हालत में जब आप रीएसेसमेंट करते हैं, नया असेसमेंट और होगा तो मेरा निवेदन यह है कि अपील या रिवीजन के पेंडिंग होने पर एक नया असेसमेंट होगा तो फिर अपील होगी और फिर दूसरी अपील होगी।

मेरा निवेदन यह है कि अगर पता लगे कि इसमें असेसमेंट एस्केप हुआ है, तो ज्यों ही स्टे हुआ है, कोई प्रोवीजन है, अगर आप **एक्सेप्ट** करते हैं तो अपील और **रिवीजन** को स्टे कर दिया जायगा। इन दोनों अवस्थाओं में जो पसंद हो वह करें, अगर यह नहीं एग्री करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं किसी असेसी का असेसमेंट हो गया उस बात के लिये अपील का रिवीजन पेण्डिग है। असेसमेंट एस्केप होगया तो जैसी हालत में इन मुद्दों पर असेसमेन्ट करके कर वसूल करूं या असेसी को सन्तोष हो इस बात को देखू। उसकी अपील में जाने से कोई इफेक्ट पडता है लेकिन सेटिसफाइड नहीं हुआ तो मान लूंगा मेरा काम खत्म होगया। मेटर जो डिस्प्यूटेड है उसको ओपन नहीं कर रहा हूं। टैक्स टाइम पर वसूल नहीं होता है, डीलर टैक्स अवोइड कर रहा है तो केवल रिवीजन से फैसला नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कर समय पर प्राप्त हों और जल्दी से जल्दी मिले इसलिए जो व्यवस्था है, वही उपयुक्त है। कर वसूली में डिले नहीं होना चाहिए। मुझे खेद है कि मैं आपकी तरमीम स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री यशवन्त सिंह नाहर: उपाध्यक्ष महोदय मुझे अपना संशोधन विथ्ड्रा करने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि श्री नाहर को संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(आज्ञा प्रदान की गई)

Page No 67

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 9 विधेयक का हिस्सा बने ।

(स्वीकृत)

खंड 9 विधेयक का अंग हुआ।

खण्ड 10

श्री **उपाध्यक्ष** : यशवन्त सिंह नाहर ।

श्री **यशवन्त सिंह नाहर** : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 10 में मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है:—

The present clause may be numbered as sub-clause (1) and following sub-clause (2) may be added thereafter.

"(2) Sub-section (6) of section 13 of the Sales Tax Act shall be deleted.

दुर्भाग्य से वह दो क्लाजेज के लिये मांग की थी। एक ही क्लाज के लिए वह स्वीकृत होकर आया है । इससे तो मेरा संशोधन अधूरा रह जाता है इसलिए मैं विथ्ड्रा करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या श्री नाहर को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई ।)

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 विधयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड 10 विधेयक के अंग के रूप में स्वीकार किया गया ।

खंड 11

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड 11 विधेयक का अंग स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 वित्त मंत्री ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : खण्ड 12 में मेरी तरमीम है वह इस प्रकार है :

For the full-stop at the end of the clause substitute a comma and after the comma so substituted, add the following, namely:—

"and for the existing words 'one hundred and twenty' the words 'one hundred and eighty' be substituted."

इसके बारे में मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं । इसे स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 12 में जो संशोधन माननीय मंत्री ने रखा है, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 12 को संशोधित रूप से स्वीकार

(श्री उपाध्यक्ष)
किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया । खण्ड 13 श्री नाहर ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (वनेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 13 के सम्बन्ध में मेरा अमेन्डमेण्ट इस प्रकार है :

Clause 13

(i) For part (b) of the clause the following shall be substituted.

"(b) for clause (c), the following clause shall be substituted: namely.—

'(c) has without reasonable cause failed to furnish within the time allowed, the prescribed returns or in case a return is furnished without paying tax due on basis of such return.'

(ii) After part (b) of the clause, the following part (bb) may be inserted:

"(bb) clause (e) shall be deleted and for clause (i) the following clause (i) shall be substituted."

'(i) has deleberately furnished inaccurate particulars in any return furnished by him, to fraudulently evade or avoid payment of tax.'

इसका पार्ट बी. जो है इसके सबन्ध में जिन लोगों का काम पडा है वे जानते हैं, सेक्शन 16 ऐसी तलवार है जो बिना समझे प्रयोग की जाय तो गरदन कट जाने का भय रहता है । इसलिए कम से कम इतनी सुविधा तो होनी चाहिये ताकि इसमें कम से कम कठिनाई हो । मैं निवेदन करना चाहता हूँ सेक्शन 16 इस प्रकार है :—

"(1) If any person—

(c) has without reasonable cause failed to furnish within the time allowed, the prescribed return or statistics or other information required to be furnished by or under the Act; or

"(i) fraudulently evades or avoids the paymet of tax or conceals his liability to tax, or"

इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ, प्रोवीजन आलरेडी है रिटर्न फाइल करें और जो टैक्स अमाउण्ट है वह उसके साथ प्रस्तुत करें, अर्थात् टैक्स न दे, तब तक वह रिटर्न दण्ड देना अनुचित होगा ।

"(e) has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein;"

इन दो के सम्बन्ध में मेरे अमेन्डमेन्ट हैं ।

दूसरा अमेण्डमेन्ट मेरा है जिसमें बताया गया है । चालान नहीं भरा और रिटर्न्स भर दिये ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं । रिटर्न प्रोपर तभी होंगे जब कि उसके साथ ट्रेजरी चालान होगा । इसमें से एक की भी कमी है तो वह ओफेन्स में आ जायगा । ऐसी हालत में उस पर दो-दो चार-चार पेनेल्टियां थोप

Page No 69

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

दी जाती हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसे रिटर्न्स को फाईल करने की रेमेडी हो उसमें एक ही सजा होनी चाहिये ।

7AA में पहले ही पनेल्टी प्रोवाइड कर रखी है । वैसी हालत में दुबारा यह नहीं होनी चाहिये । इसीलिये मैंने अमेण्डमेण्ट पेश कर दिया है इसमें मैंने दोनों को नया रूप देने की कोशिश की है ।

"(c) has without reasonable cause failed to furnish within the time allowed, the prescribed returns or in case a return is furnished without paying tax due on basis of such return,

ताकि दोनों का एक ओफेन्स बने और एक ही सजा हो । इस तरह इनको एक कर दिया जाय ।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ क्लाज (e) 16 में

"has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein, or"

मेरा निवेदन यह है कि क्लाज में इन्टेन्शन का जहां सवाल आया है वहां क्लाज (e) का प्रश्न है :

"(e) has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein, or"

तो मेरा निवेदन यह है कि केवल इनआकरेंस इसलिए हुआ कि टैक्स को इवेड करना चाहता है टेक्स को इवेड करने के लिए नहीं है । पर कहीं भूल से रह गया है, ओमिट हो गया है तो वह पेनेलाइज नहीं होना चाहिए । इसमें भी अलग अलग सैक्शन की सजाएं हैं तो मेरा निवेदन यह है कि दोनों को एक कर दिया जाव ।

"(i) has deliberately furnished inaccurate particulars in any return furnished by him, to fraudulently evade or avoid payment of tax."

ताकि इससे डवल सजा नहीं होगी और किसी भी गलत काम करने वाले को, डेलीबरेटली करने वाले को सजा मिल सकेगी । और इन्नोसेन्ट और ओनेस्ट हमेशा बचा रहेगा । आपके इसमें ओनेस्ट भी आ जावेगा ।

"(e) has concealed any particulars from any return furnished by him······

That concealment may be unintentional and that may be dishonest also.

तो मेरा निवेदन यह है कि दोनों को एक कर दिया जावे । जोड दिया जावे और इसके बाद केवल यह हो जावेगा कि जहां डेलीबरेटली हो कन्सीलमेंट वहीं सजा हो । इसलिए दोनों को एक कर लिया जावे ताकि ओनेस्ट को सुविधा मिले और पेनेल्टी संभावना कम से कम हो ।

Page No 70

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा उसे मैंने गौर से सुना है और मैं उनकी तकलीफ को समझता हूं। मेरा नम्र निवेदन है कि जो पेनल्टी क्लाज रखा जाता है वह उन ईमानदार व्यापारियों के लिए नहीं है जो फर्ज समझ कर टैक्स समय पर चुका देते हैं। पर जो जानबूझ कर अवोइड करे डिले करते हैं, कन्सील करते हैं उनके लिए पेनल्टी है। अगर कोई व्यापारी टाईम पर रिटर्न पेश करे और अगर टाईम पर पैसा दे दे तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फिर अगर देरी करने का कोई माकूल कारण हो तो पेनल्टी नहीं लगती पर माकूल वजह नहीं हो तो पेनल्टी कुदरतन लगेगी।

अब इसके बाद में समय पर रिटर्न पेश नहीं करें तो रोंग रिटर्न पेश करें, रिटर्न के साथ रकम जमा नहीं करावें तो पेनल्टी लगेगी। आइडिया यह है कि सेल्स टैक्स से कि कन्जूमर टैक्स पे करता है व्यापारी को देता है। वह दूसरों का पैसा इकट्ठा करता है व्यापारी, और उससे अपना धन्धा बढाता है, अपने धन्धे में काम में ले लेता है। अब उससे हम इन्टरेस्ट तो ले नहीं सकते, वह रकम साल साल भर अपने पास रखता है तो इसलिए पेनल क्लाज रखना जरूरी हो जाता है। वह तो कस्टोडियन है। तो उस रकम को अपने धन्धे में काम लेकर बैठ जावे और रुपया सरकार को न दे तो मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं और इस बारे में एक भी दलील को नहीं मान सकता अगर इसे भी मानने लग जाऊंगा तो फिर समय पर वसूली नहीं होगी। कन्सील मेन्ट करने वाले को प्रोत्साहन मिलेगा। कन्सीलमेंट करने वाला ओनेस्ट कैसे कहा जा सकता है। वह तो डिसओनेस्ट ही होगा।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : निवेदन यह है कि आपका आर्गूमेंट यह है कि हमारा डिपार्टमेंट तो करता नहीं है। जो ओनेस्ट है वह जमा करावेगा वह कन्सील नहीं करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा टैक्स्ट आपके सामने है। इससे पता लगता है कि आपका विभाग क्या सोचता है। हर जगह अविश्वास करके चलता है। किसी को ईमानदार नहीं मानता। हर आदमी के बारे में निश्चित धारणा ले कर चलता है और इसलिए इतने सारे प्रोविजन्स जगह जगह डाले हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर दूं कि पेनल्टी का परसेन्टज दो तीन परसेन्ट का ही है। 97 परसेन्ट तो ईमानदार लोग हैं। तीन परसेन्ट पर पेनल्टी लगा कर वसूल किया जावे तो क्या है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि कन्सीलमेंट करने वाला हमेशा डिसओनेस्ट होगा यह आज मैंने नई बात सुनी है। जब यह कहते हैं तो यह तो अधिकारियों पर छोड दिया गया है कि जांच कर लें। सब को कन्सीलमेंट करने वालों को डिसओनेस्ट मान लेना तो सही नहीं है।

So it should be :

"(i) has deliberately furnished inaccurate particulars in any return furnished by him, to fraudulently evade or avoid payment of tax."

कन्सीलमेंट डिसओनेस्ट के सिवाय हो नहीं सकता यह कह कर तो आपने

Page No 71

(श्री यशवन्तसिह नाहर)
अफसरों के हाथ में एक बहुत वडा हथियार दे दिया ह।

श्री मथुरादास माथुर : बाई मिस्टेक हो यह अलग चीज है। कन्सीलमेंट का अर्थ है छिपाता है। इसका कोई न कोई परपज होना चाहिए। बाई मिस्टेक कोई आ जावे यह अलग चीज है, पर कन्सील करेगा, छिपावेगा तो साफ है कि उसकी बोनाफाइडी ठीक नहीं है।

श्री यशवन्त सिह नाहर : आपने अभी फरमा दिया कि कन्सीलमेंट होगा तो टैक्स को इवेड करने का ही होगा। फिर क्लाज (e) और (i) को दोनों को अलग अलग क्यों रख रहे हैं टैक्स इवेड करता है और उसका एक्शन है कन्सीलमेंट का और अनएक्यूरेट परटीक्यूलर्स सप्लाई करके टैक्स इवेड करना चाहता है तो दोनोंकी एक पेनल्टी होनी चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन को स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

यह प्रश्न है कि खण्ड विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

खण्ड 13 स्वीकार किया गया।

खण्ड 14 — वित्त मंत्री जी।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

At the end of the clause, add the following namely—

'and to sub-section (1) as so amended the following further proviso shall be added namely.—

'Provided further that the State Government may, subject to such rules as may be made in this behalf exempt, by notification published in the official gazette any class of dealers from the operation of this section in so far as it relates to the maintenance of accounts showing quantity of goods or the value of goods held in stock,

यह मेरी तरमीम स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 को संशोधन के साथ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड 14 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

<u>खण्ड 15, 16, 17।</u>

प्रश्न यह है कि खण्ड 15, 16, 17 विधयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 15, 16, 17, विधेयक के अंग रूप में स्वीकार किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 18

वित्त मंत्री जी ।

श्री मथुरादास माथुर: 18 का जो संशोधन है वह मन्जूर कर लिया है। वह इस प्रकार होगा :

(1) For part (4), substitute the following part, namely:—

"(4) against serial number 9, in column 2, for the existing entry, the expression 'Cattle feeds excluding gowar, cotton seeds and oilcakes' shall be substituted.

(2) In part (5)—(a) for the word 'entries' substitute the word 'entry' and

(b) delete the expression 'and 14'; and

(3) in part (6), delete item (a).

श्री यशवन्त सिंह नाहर :मेरा इसमें इनकोरपोरेट हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने संशोधन को वापिस लेते हैं ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर: मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाहर ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेन की उनको अनुमति दी जाये।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री यशवन्त सिंह नाहर: मैं विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विथड्रा हुआ। (वित्त मंत्री से) अपना संशोधन आप पढ दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर:

(1) For part (4), substitute the following part, namely:—

"(4) against serial numbei 9 in column 2, for the existing entry, the expression 'cattle feeds excluding gowar, cotton seeds and oil-cakes shall be substituted.

(2) in part (5)—(a) for the word "entries, substitute the word 'entry and (b) delete the expression "and 14 and,

(3) (in part (6) delete item (a)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है कि खण्ड 18 में वह स्वीकार किया जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 18 संशोधन सहित विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 18 मय संशोधन के स्वीकार किया गया। खण्ड 19। वित्त मंत्री जी।

श्री मथुरादास माथुर:

In clause 19, I move—

1. At the beginning of the clause, insert the expression "on and from the 8th day of March 1969"

(श्री मथुरादास माथुर)

2. After the first proviso, add the following further proviso, namely—

"Provided further that the aggregate amount of the proceeds of sale of motor spirit subject to tax under the repealed Act shall, for the purposes of computing taxable turnover under the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Rajasthan Act 29 of 1954) be deemed to have been subjected to tax under that Act."

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन वित्त मंत्री जी ने रखा है खण्ड 19 में उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 मय संशोधन के विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया। खण्ड 20। वित्त मंत्री जी।

श्री मथुरादास माथुर :

In clause 20, I move—

In part (a), in sub-section (1) proposed to be substituted, in items (a) and (b) under the heading "Amount of land revenue" for the figures "50" substitute the figures "75".

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 20 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 20 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 में प्रस्तावित नाम आदि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन तथा निरसन) विधेयक, 1969 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

मुख्य मंत्रीजी।

सदन की वित्तीय समितियों के निर्वाचन का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाडिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिये निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :--

(1) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 1969-70 के लिये 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय"।

(2) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1969-70 के लिये 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय"।

(3) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-बी (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1969-70 के लिये 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय"।

श्री **उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि (1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 1969-70 के लिये 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय। (2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति 1969-70 के लिये 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1969-70 के लिये 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-बी (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1969-70 के लिये 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकार किये गये।

राजस्व मंत्री जी।

राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1969

श्री **राम किशोर व्यास** (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाय।

(विराम)

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री केसरी सिंह हाडा!

(अनुपस्थित)

Page No 75

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथ सिंह ।

श्री शिव नाथ सिंह (गुढा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे थोडा सा निवेदन करना है । मेरा प्रस्ताव यह है कि इस बिल को, राजस्थान वाणिज्यिक फसल उप-कर विधेयक, 1969 को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल ऐसा है जो राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता को प्रभावित करता है । इसमें जो सस लगाया गया है ऐसा कोई भी काश्तकार नहीं है जिस पर इस बिल का असर नहीं पडेगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। जनता की भावना क्या है, यह जानना चाहिये । इस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार के पास जो भी इर्रिगेटेड लैन्ड होगी चाहे वह कैसी भी हो उस पर सैस लिया जायगा वे कामर्शियल क्राप्स बोयेंगे तो सैस लिया जायगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो काश्तकार हैं कितनी मेहनत से कुआ खोदता है। पहले काश्तकार कुआ खोदता था तो उससे 20 साल तक चाही का लगान नहीं लिया जाता था लेकिन अब तो जिसने पिछले साल कुआ खोदा सरकार से कुछ नहीं लिया तो उससे भी सैस वसूल किया जाता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार को और हमारे मंत्री जी को कि इस पर ध्यान दें जैसा लैन्ड रेवेन्यू एक्ट में है बीस साल में उससे सिंचित होने वाली जमीन को इर्रिगेटेड नहीं माना जाय इससे भावना बढी है लोग-बाग अपने साधनों से सिंचाई करने में लगे हुए हैं और पैदावार बढाने की कोशिश करते हैं, इस तरह का प्रावधान इसमें रखा जाय इसलिये इर्रिगेटेड लैण्ड की जो डेफिनेशन रखी है उसमें सुधार किया जाय और जैसी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में है उसको रखा जाय । दूसरे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सैस का रखा है उसकी लिस्ट तैयार की जाय और तहसीलदार को उसका हक दिया जाय पटवारी से काश्तकार परेशान है । काश्तकार के सेफगार्ड का इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा है । पटवारी काश्तकार से नाराज होगा तो उसकी एक बीघा जमीन को भी 15 बीघा बता देगा और पटवारी नाराज नहीं होगा तो उसकी 15 बीघा जमीन को भी एक बीघा बता कर सैस की कार्यवाही करेगा ।

इसलिए उसको सेफ गार्ड करें जिसमें कि पटवारी की मनमानी न चले । पटवारी तहसीलदार को रिपोर्ट देगा और वह एक तरह से पब्लिक नोटिस जारी करेगा । यह हम सब जानते हैं कि किस तरह से जारी होंगे । अलाटमेंट को ही ले लीजिये । पब्लिक नोटिस का प्रावधान है परन्तु कौनसा पालन होता है । इसलिए यह जरूरी होना चाहिए । तहसीलदार के पास एक प्रिलीमनरी लिस्ट जाये उन काश्तकारों की जिनको पटवारी ने दर्ज किया है। और उनको तहसीलदार रजिस्टर्ड नोटिस दे। उनको सूचना होने के बाद में फैसला होना चाहिए । आपने फाइनल अपील का एक एस. डी. ओ. के पास रखा है और एस. डी. ओ. का फैसला फाइनल है । इसलिए किसान को सेफगार्ड करना आवश्यक है । वह जितनी काश्त करे उतनी ही उसको टैक्स देना पडे उससे अधिक का नहीं।

(श्री शिवनाथ सिंह)

इस प्रकार का आपने यहां बिल पेश किया है। आपने जो टैक्स लगाया है उससे काश्तकार पर अधिक भार पड़ गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कम से कम तीन एकड़ इर्रिगेटेड लैंड पर यदि कोई भी काश्तकार कार्मशियल काश्त करता है तो उसको छूट होनी चाहिए। ये क्राप्स ऐसी हैं जो हर काश्तकार के लिए आवश्यक हो गई हैं और जितने भी छोटे-मोटे काश्तकार हैं वे इन कार्मशियल क्राप्स को बोते हैं। इनके बिना काश्तकार अपना आर्थिक स्तर नहीं सुधार सकते। अपने जीवन यापन के लिए स्टेन्डर्ड को बढ़ाने के लिए कार्मशियल क्राप्स की तरफ उन्होंने अब ध्यान दिया है। फिर भी सरकार को एक तरह से टैक्स बढ़ाना है तो वे इस बात का ध्यान रखे कि तीन एकड़ इर्रिगेटेड लैंड की छूट होनी चाहिए। इस तरह का प्रावधान इस बिल में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो छोटे-मोटे तीन-चार सुझाव मैंने दिये हैं उनको आप स्वीकार करेंगे जिससे काश्तकार को इस टैक्स से जो भार पड़ने वाला है, उससे सहूलियत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा।

श्री **मूलचन्द** डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव था। वह यह था कि पटवारी जो असेसमेंट करता है, उसके बजाय आप जो टैक्स लगाना चाहते हैं, उसको लगान में बढ़ा देना चाहिए। अभी तक हम लोगों का पटवारी में विश्वास पैदा नहीं हुआ है। पटवारी भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे कि विश्वास पैदा किया जा सके। डेलिगेटेड लेजिस्लेशन उसको देते हैं और एक्ट में भी लिखा है "रूलस में बी प्रेस्क्राइब्ड"। आप यह कहते हैं कि इसके नियम बनाये जायेंगे और इन नियमों के अन्तर्गत असेसमेंट के जो तरीके होंगे, उसके लिए आप पटवारी को पावर डेलिगेट करेंगे या नहीं? आप कहते हैं नियम बनेंगे परन्तु एक्ट में नियमों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है और यह स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण सारी मर्जी, इच्छा पटवारी की होगी और इससे काश्तकारों को नुकसान पहुंचेगा। आपने कहा है कि जो नियम बनेंगे, उसके अनुसार तहसीलदार नोटिस निकालेगा। कैश क्राप्स के मामले में कितनी दिक्कत, परेशानी काश्तकार को होगी यह आप महसूस नहीं करते हैं। आपने वित्त मंत्रीजी हलवाइयों को टैक्स देने से माफ करने का एलान किया है और यह कहा है कि हलवाइयों को हिसाब रखने में, आंकड़े रखने में दिक्कत पेश होगी। इसी प्रकार जो काश्तकार हैं, फसलें बोते हैं। वे कुछ समझते नहीं हैं। इससे उनको दिक्कत और परेशानी होगी। मैं समझता हूं आपने इसमें जो लिखा है वह सही नहीं है। इस क्लाज पर, राजस्व मंत्री साहब आप क्या नियम बनाना चाहते हैं, कौनसे रूलस डेलिगेट करना चाहते हैं, कौनसा लेजिस्लेशन बनाना चाहते हैं जिसके अनुसार नियम बनेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह ठीक होगा कि लगान में बढ़ोतरी हो जायें और पटवारी को अधिकार न दिये जाय तो काश्तकार को लाभ होगा। इससे काश्तकार को ज्यादा सुविधा होगी। बनिस्बत इसके कि वो नोटिफिकेशन हो और उस पर आब्जेक्शन फाइल करें, गवाहियां लावें। एक फसल खराब हो गई और

Page No 77

(श्री मूलचन्द डागा)

पटवारी लिख देता है कि आपके दो एकड़ में इतना जीरा पैदा हुआ है। यह नहीं लिखा कि दो एकड़ में इस प्रकार से फसल को नुकसान हो गया है। ऐसी राय में क्या पटवारी की राय मानी जायगी या आप एक्सपर्ट की राय को मानेंगे। काश्तकार का नुकसान हुआ, आमदनी नहीं हुई उस हालत में पटवारी असेसमेंट कर देता है। पटवारी द्वारा असेसमेंट करने पर क्या उम्मीद की जा सकती है। पटवारी क्या हर जगह असेसमेंट करना है? वह इसमें कितना समय देगा। क्या वह हर खेत पर जायगा, नाप तोल करेगा। मैं समझता हूं इसके अन्दर हमारे छोटे काश्तकारों को तकलीफ होगी, परेशानी होगी। आप या तो ज्यादा बड़ी जमीन को छूट दे दें एक एकड़ जमीन के बजाय, नहीं तो इससे काश्तकार को तकलीफ बढ़ेगी और हमें आने वाले समय में अमेंडमेंट करना पड़ेगा इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह अमेंडमेंट आज ही कर देना चाहिए।

श्री **उपाध्यक्ष**: श्री मुकुट बिहारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढदार

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई

(अनुपस्थित)

राजस्व मंत्री।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह संशोधन दिया गया है कि इस विधेयक को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय। इसमें यह दलील दी गई है कि इसमें कुछ बातें इस तरह की हैं कि जो पब्लिक से बहुत ताल्लुक रखती हैं, उन पर विचार नहीं किया गया है इसलिए इसको जनमत के लिए प्रसारित कर राय ली जाये। इस प्रकार की भी दलीलें दी गई कि इरिगेटेड लैंड में जो छूट दी गई है, वह कम है और इसके अन्दर जो नोटिस देने का प्रावधान रखा गया है, वह ठीक नहीं है। इसके बजाय हासिल बढ़ा दिया जाय। कार्मशियल क्राप्स को एक्जम्प्ट कर देते हैं तो गवर्नमेंट को काफी क्षति होती है। किसी तरह से काश्त होती है, उसे पानी मिलता है, इरिगेटेड होती है, इसलिए इसको रखा है। इस प्रकार का जो डिवीजन कार्मशियल क्राप्स पर लगाया है वह और दूसरी स्टेट्स में भी हर जगह है और वहां की इन्फार्मेशन मंगाई जा रही है कि वे किस आधार पर बनाये हैं। यह भी कहा गया कि तहसीलदारों को फाइनलाइजेशन का अधिकार दिया गया है इससे पटवारियों द्वारा किसानों को काफी दिक्कत हो सकती है। पटवारी के बारे में रूल्स होंगे। डिफरेंट स्टेटस में जो रूल्स हैं उनको मंगवाये हैं और कम से कम अधिकार उन्हें दिये जायेंगे ताकि जनता को कम से कम तकलीफ होगी। इस तरह से रूल का प्राविजन करेंगे कि काश्तकारों को सुविधा रहेगी। असेसमेंट तहसीलदार पार्टी कन्सर्न्ड को नोटिस देकर करेगा। हीयरिंग का मौका देगा और उसको सुनकर के फैसला करेगा ताकि कोई शिकायत का मौका न रहे। काश्तकार उस पर अपील कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। रिविजन भी फाइल कर सकता है। इस तरह से उसके लिए काफी सहूलियत बरती गई है कि इस मामले में किसी को शिकायत

(श्री रामकिशोर व्यास)

की गुंजाइश न रहे। अगर रहती है तो वह रफा की जा सकती है। रूल्स के द्वारा उनके अधिकार को मीनीमाइज किया जा सकता है ताकि काश्तकारों को कम से कम तकलीफ हो इस बेसिस पर हम रूल्स बनायेंगे। इसलिए इस बिल को जनमत के लिए प्रसारित नहीं कर सकते फिर यह टैक्सेशन बिल है। यह मुझे स्वीकार नहीं है। आशा है आप अपने संशोधन वापिस लेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने फर्माया कि हमने इतनी सहूलियत दी है, तहसीलदार सुनवाई करेगा मैं निवेदन करता हूं कि वह यही है कि अगर तहसीलदार से सुनवाई कराना वाजिब समझते हैं तो आप लाजमी कर दें कि पब्लिक रिकवरी एक्ट के अन्दर में नोटिस दिया जाय और उसके बाद में सुनवाई की जाय...

श्री उपाध्यक्ष: इस पर दुबारा वाद-विवाद नहीं होगा। आप वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह: राजस्व मंत्री जी नहीं मानते हैं तो मुझे विथड्रा करने की इजाजत दे दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा: मैं वापिस ले लूंगा लेकिन मेरा निवेदन यह है कि पावर प्रेस्क्राइब करते समय, रूल्स बनाते समय इसका ध्यान रखें, क्योंकि राजस्व मंत्री जी स्पष्टीकरण नहीं करते हैं कि प्रेस्क्राइब करते समय पावर क्या देना चाहते हैं तहसीलदार को। क्या पावर प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं, यह बतायें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय शिवनाथ सिंह और माननीय मूलचन्द डागा ने राजस्थान वाणिज्यिक फसल उप-कर विधेयक 1969 को एक माह, छः माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की इजाजत दे दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री शिवनाथ सिंह: मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्डशः विचार। खण्ड (2) श्री केसरी सिंह हाडा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 राजस्व मंत्री जी।

श्री रामकिशोर व्यास: (राजस्व मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 में संशोधन है वह इस प्रकार है:—

उपखण्ड (1) में, शब्द 'अधीन' और समस्त भूमियों' के बीच में शब्द 'दो एकड

Page No 79

(श्री रामकिशोर व्यास)

से अधिक क्षेत्रफल की अन्तर्निविष्ट किया जाय। मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं, मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि गये वक्त जब वित्त मंत्री जी ने जनरल बजट के मौके पर वाद-विवाद का जवाब दिया था उस वक्त कुछ बातें संशोधन के बारे में कही थीं, यह कहा था कि अनइरिगेटेड लैण्ड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जायगा। दूसरी बात कही थी कि एक एकड का इरिगेटेड लैण्ड है उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जायगा, वह एक्जेम्पटेड होगा। आज फरदर माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एक एकड के बजाय दो एकड भूमि एक्जेम्प्टेड रहेगी...

श्री **मूलचन्द डागा** : क्या ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : एक एकड के बजाय दो एकड भूमि एक्जेम्प्टेड रहेगी आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए।

खण्ड 3 में मेरा संशोधन है, वह पढ देता हूं:—

(क) उपखण्ड (1) में शब्द "अधीन" और "समस्त भूमियों" के बीच में शब्द "दो एकड से अधिक क्षेत्रफल की" जोड दिया जाय।

(ख) और उपखण्ड (1) के अन्त में विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोडे जायें, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा वाणिज्यिक फसलों के अधीन वाली असिंचित भूमियों को उक्त उपकर के उद्ग्रहण से छूट दे सकेगी:—

परन्तु यह और कि मिश्रित फसलों की दशा में, वाणिज्यिक फसलों के अधीन वाले ऐसे क्षेत्र जिस पर उपकर उद्गृहीत किया जायगा, की गणना करने के प्रयोजन के लिये उस भूमि के केवल एक चौथाई भाग का ही विचार किया जायगा।"

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3, मय संशोधन के, विधेयक का अंग बने ?

श्री **शिवनाथ सिंह** : एक थोडा इसमें रह गया।

खण्ड 1 में अनइरिगेटड लैण्ड है वह भी डिलीट होगा।

श्री **रामकिशोर व्यास** : वह बोल दिया।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 मय संशोधन के, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 व 5 विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

Page No 80

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 4 व 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 6। श्री केसरीसिंह हाडा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 इस विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8। राजस्व मंत्री।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें खाली हैडिंग के अन्दर परिवर्तन है। पहले लम्बा हैडिंग था, उसको कुछ छोटा कर दिया है।

विद्यमान खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

8. "**उप कर का संग्रहण वसूली, निलम्बन अथवा परिहार** :—उपकर की रकम के संग्रहण या वसूली के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध और उप कर की रकम के परिहार या निलम्बन के लिये राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3 सन् 1955) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भू-राजस्व के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो संशोधन श्री राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8, मय संशोधन के, इस विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 8 मय संशोधन प्रस्ताव के स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9, 10 और 11 विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड 9, 10 और 11 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि इस विधेयक के साथ जो शिड्यूल है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

शिड्यूल स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्राक्कथन, नाम आदि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

प्राक्कथन, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री **रामकिशोर व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान

(श्री रामकिशोर व्यास)
वाणिज्यिक फसल उप-कर विधेयक, 1969, यथा संशोधित, पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यथा-संशोधित विधेयक को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

यथा संशोधित विधेयक पारित किया गया ।

श्री गृह मंत्री जी ।

बेरी आयोग के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री **दामोदर लाल व्यास** (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग के प्रतिवेदन को लेकर माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने जो रुख अपनाया है उसके लिये सरकार को अत्यन्त दुःख है । माननीय मुख्य मंत्री जी एवं मैंने कई बार सदन में निवेदन किया है कि सरकार नियमानुसार इस प्रतिवेदन पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही कर रही है । सरकार स्वयं यह चाहती है कि इस प्रतिवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय लिये जावें । इसके लिये ही दिनांक 21-3-69 को सरकार ने एक-सदस्यीय वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की थी । इस समिति के दो सदस्य एडवोकेट जनरल व लॉ सेक्रेटरी इस समिति में पूरा समय देने में असमर्थ हैं । अतः राज्य सरकार ने उनके स्थान पर दो और सदस्य नियुक्त किये हैं । यह आदेश इस प्रकार है:—

"The Governor is pleased to appoint a Committee consisting of the following to study the record and report of the Commission of Enquiry on police firing in Jaipur presided by Honble Mr. Justice Beri and advise appropriate action to the Government within two months.—

1 Shri R.D. Mathur Chairman.
2. Shri Z. S. Jhala Member.
3. Shri S.L. Khurana Member.

This supersedes the Government order of even number dated the 21st March, 1969.

इस समिति को अपने सुझाव दो महीने में राज्य सरकार को देने हैं । उनके सुझावों पर विचार कर राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र अपना निर्णय लेगी ।

मैं सदन के माननीय विरोधी सदस्यों से फिर से विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार की कानूनी विवशता पर ध्यान रख कर अपना सहयोग राज्य सरकार को प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री जी ।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1969

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री ।

श्री **बरकतुल्ला खां** (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (अनुपस्थित)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (अनुपस्थित)।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1969 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी)।" मैं एक बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप जो सरकारी सचेतक के लिए प्रावधान कर रहे हैं मिनिस्टर आफ स्टेट का यह बहुत कम है। सरकारी सचेतक का काम जो है पूरी जिम्मेदारी का है। यह मालूम होना चाहिए कि सरकारी सचेतक का काम केवल प्रभावपूर्ण उपस्थिति कायम रखने का ही नहीं है। उसकी बहुत जिम्मेदारी है। अगर सदस्यों की अभिरुचि सदन के प्रति कम हो जाय तो उसको लाने का काम चीफ व्हिप का होता है। इसके लिए जो स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस रखा है मैं यह चाहता हूं कि स्टेट्स मिनिस्टर से बढाकर इसको फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर का करना चाहिए। आजकल के टाइम में सरकारी सचेतक का काम बहुत बढ गया है। आजकल असेम्बलियों में इस प्रकार की बातें होती हैं घटनाएं होती हैं कि अगर सरकारी सचेतक होशियार, दक्ष और कुशल होता है तो दूसरे विरोधी दल की भावनाओं को समझकर, उनकी कद्र करके उनको समय समय पर समझाता है। सरकारी मेम्बर अनेक मेम्बरों की भावनाओं, उनकी अभिरुचि का अध्ययन करता है और यह बताया करता है कि किस समय किस विषय पर किस सदस्य को बोलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सरकारी सचेतक का काम आज बहुत जिम्मेवारी का काम हो गया है और जो सरकारी सचेतक काम करता है उसके लिए आपने जो इमाल्यूमेंट्स रखे हैं वे मेरी समझ में कम हैं। उसको फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर को जो सुविधाएं मिलती हैं वे मिलनी चाहिए ताकि सरकारी सचेतक कानून, विधि और न्याय की बातें बताकर मेम्बरों की रुचि जान सकें और विरोधी दलों की भावनाओं की कद्र कर सकें, और यह उसका काम है। लेकिन आपने जो उसके बाबत में कदम उठाये हैं सरकारी सचेतक जो आज हैं उनके विषय में नहीं कहता हूं, लेकिन वे कम हैं··

एक माननीय सदस्य : आपको बोलने की पूरी सहूलियत दी जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : कई बार सरकारी सचेतक हमारी सदस्यों की अभिरुचि को नहीं जानते हैं और हमारे पर कुठाराघात करते हैं लेकिन उनका यह अधिकार होता है। उनकी बडी भारी जिम्मेवारी है। मेरा

(श्री मूलचन्द डागा)

यह सोचना है कि यह जो पारित करा रहे हैं लॉ मिनिस्टर साहब, मैं समझता हूं कि इस पर दुबारा विचार हो। सरकारी सचेतक का काम आजकल के टाइम में बहुत बढ गया है, और बहुत जिम्मेवारी का काम है। इसका काम असेम्बली तक ही सीमित नहीं है। उनको असेम्बली के बाहर लाबीज में, असेम्बली के भवन में जगह जगह पर सरकारी सचेतक को जागरूक और सतर्क रहना पडता है। असेम्बली 12 घन्टे तक चलती है तो सरकारी सचेतक को बराबर 14 घन्टे तक 1 घन्टा पहले और 1 घन्टा बाद में सारी बातों को देखना पडता है। यह बहुत जिम्मेवारी का काम है और बहुत महत्व का काम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनकी तनख्वाह में बढोतरी होनी चाहिए।

श्री **बरकतल्ला खां** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं वह काबिले गौर हैं। और इसलिए काबिले गौर हैं कि वे हमारी पार्टी के सेक्रेटरी हैं और बडी जिम्मेवारी के साथ बोलते हैं। जिस तरीके से मुख्य सचेतक अपने बहुत जरूरी कामों को छोडकर भी सदन की सेवा करते हैं उसी तरीके से पार्टी के सेक्रेटरी भी सारे कामों को छोडकर इस काम में लग जाते हैं ताकि पार्टी जो है वह अच्छे तरीके से काम करे और जागरूक तरीके से जिन्दा रहे। आपने जो यह कहा तो मैं उनसे यह अर्ज करता हूं कि अंगुली पकडते पकडते पौंचा पकडा जाता है। कहावत है कि राव जोधाजी जोधपुर छोडकर चले गय और इधर उधर घूमते फिरे तो एक जाटनी के घर में पहुंचे और उससे कहा कि खीच घाल। उसने गरम गरम खीच डाला तो जल्दी में उन्होंने उसके बीच में हाथ डाल दिया तो हाथ जल गया। इस पर जाटनी ने कहा कि तू भी राव जोधाजी की तरह लगता है जो सीधे मन्डोर पर कब्जा करते हैं यह नहीं कि इधर-उधर आस पास के गांवों पर कब्जा करें और फिर मन्डोर पर हमला करें। जिस जल्दी से आप काम करना चाहते हैं कि अब तक तो स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस भी नहीं मिला और अगर मिले तो पूरे केबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस मिले तो यह रिडिक्यूलस एक्स्टेन्ट तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि इस पोजीशन के अन्दर मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) के जो इमाल्यूमेन्ट्स हैं उनको रिडिक्यूलस तरीके से पार्टी की तरफ से नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस तरह से करना चाहिए कि दूसरी जगह क्या परम्परा है। पार्लियामेन्ट के अन्दर यह मुमकिन था और यह हुआ कि वहां पर कभी मिनिस्टर आफ स्टेट का स्टेटस किया गया और कभी केबिनेट का और आजकल भी पार्लियामेन्ट में चीफ व्हिप को मिनिस्टर आफ स्टेट का स्टेटस है और केबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने कहा है, जिस जबान से कहा है और जिस प्रेम से कहा है उसका आदर करते हुए उसी तरीके पर आयन्दा चलकर गौर किया जायगा, लेकिन आज मैं असमर्थ हूं।

श्री **मूलचन्द डागा** : हमारे मुख्य सचेतक का काम खीच में हाथ डालने वाला नहीं है।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों क परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1969 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे·····

एक माननीय सदस्य : वे विथड्रा कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दी जाय कि मैं अपने प्रस्ताव को विथड्रा करूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं प्रस्ताव करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

(विराम)

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरहर्ता निवारण) विधेयक, 1969

विधि मंत्री जी।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो रिमूवल आफ डिस्क्वालिफिकेशन का बिल है आपकी आज्ञा से मैं आज लेना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

(विराम)

पंचायत मंत्री जी।

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1969

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा।

श्री **मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात चाहता था कि हमने पंचायतों के चुनाव के लिए और पंचायतों की अवधि काल जो कि हम बढाने जा रहे हैं उसमें आपने यह कभी सोचा होगा कि पंचायतों के अन्दर जो काम करने का तरीका होता है उनमें जो सदस्य वहां काम करते हैं उनको थोडी अवधि काल का काम करने का समय मिलता है तो ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि पांच साल की जो अवधि पंचायतों को दे देते हैं तो जो उत्तेजना हम गांवों में पैदा करना चाहते हैं, और गांवों में नई जागृति लाना चाहते हैं वह नहीं ला सकते हैं। उसके लिए अवधि तीन साल रहनी चाहिए। पांच साल की अवधि का जो प्रश्न है वह आपने इस आधार पर रक्खा होगा कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना है उसके आधार पर गांवों का भी चुनाव हो या हमारी असेम्बली, विधान सभा का जो समय होता है उसके आधार पर ही

(श्री मूलचन्द डागा)
उनका समय रखा जाय । मैं समझता हूं कि पंचायतों के अन्दर, गांवों के अन्दर तीन साल का समय बहुत होता है । तीन साल के समय में जो गांव के लोग हैं वे अपनी सभाओं में बैठकर जो योजनाएं बनाते हैं, जो काम करते हैं उन कामों के अन्दर मैं समझता हूं कि तीन साल समय ही बहुत काफी है । तीन साल के अन्दर जो आजकल ग्रामों में स्थिति चल रही है, जो हवाएं फैल रही हैं उसमें गांवों के अन्दर नवयुवक ग्रामीण पढ-लिख कर तैयार हो गये हैं । ऐसी हालत है ।

(1-10 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी, सभापति, पदासीन)

पांच साल की अवधि में भी समय पर चुनाव नहीं करा सकेंगे और चुनावों को समय पर कराने में आप असफल रहे हैं । इस कारण अवधि बढा दी है । मैं एक बात और कह दूं कि पांच साल की अवधि जो बढा रहे हैं तो जो आपका उद्देश्य है, जो आपकी भावना है कि गांवों के अन्दर जितने पढे-लिखे लोग हैं उनके अन्दर काम करने की शक्ति बढे, उनमें प्रेरणा बढे वह इससे नहीं होगी बल्कि वह कम होगी । पांच साल के अन्दर आदमी उतना सजग और जागरूक नहीं रहता है । तीन साल का जो पीरियड होता है, जो समय होता है वह काफी लम्बा होता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि तीन साल का ही समय रखा जाय और उसको ज्यादा नहीं बढाया जाय ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभानेत्री महोदया, पंचायत संशोधन विधेयक जो सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसमें इसकी अवधि तीन साल के बजाय पांच साल की बढाने का प्रस्ताव है । सभानेत्री महोदया, इसके बारे में पहले भी एक बार यह प्रस्ताव सदन के समक्ष आया था, और बाद में काफी बहस के बाद दिन भर और रात के एक-दो बजे तक इस पर बहस चली, उसके बाद में इस पर यही निर्णय लिया गया था कि 5 साल की अवधि नहीं रखकर तीन साल की अवधि रखी जाय । परन्तु फिर न मालूम किन्हीं कारणों से और समय मांगा जबकि राज्य सरकार को एक साल की अवधि बढाने का अधिकार दिया गया था वह अवधि भी खत्म कर दी गई और उसके बाद भी एक साल की अवधि और मांगी जा रही है । चार साल की अवधि वैसे ही करदी गई और अब इसकी अवधि तीन साल क बजाय पांच साल की की जा रही है । सभानेत्री महोदया, पंचायत समितियों का जिस रूप में पहले जो कानून पेश किया गया था और जो अवधि तीन साल की रखी गई थी यह कुछ मान्यताओं के आधार पर रखी गई थी कि गांव की पंचायत समितियों की अवधि और असेम्बली और पार्लियामेन्ट की अवधि में कुछ न कुछ अन्तर होना बहुत लाजिमी है, और इतना लम्बा समय पंचायतों का पांच साल तक रखना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि पंचायतों की जो अवधि तीन साल की थी वह उचित ही थी । पहले भी इस पर काफी विचार किया गया था कि इसकी अवधि पांच साल की कर दी जाय, परन्तु फिर सब तरफ से विचार-विमर्श करके यह निश्चय किया गया कि इसको तीन साल ही रखी जाय । फिर उसके बाद में विचार आया कि चार साल का रखें, परन्तु चार साल का राज्य सरकार ने नहीं माना और तीन साल की अवधि रखी थी । फिर न मालूम क्यों पंचायतों की पांच साल की अवधि रख रहे हैं । इस बारे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में पंचायत मंत्रीजी ही बता सकते हैं कि उनकी क्या मन्शा है और इतनी लम्बी अवधि की क्या आवश्यकता है। जब पंचायत राज का ढांचा बनाया गया था उसके विपरीत आज पंचायतों की स्थिति दिनों दिन बिगडती जा रही है। वहां पर हर तरह से पार्टी बाजी हो रही है। उसके अन्दर पहले निर्विरोध चुनाव होने की भावना थी वह नहीं रही। जब किसी तरीके से मेम्बर पंचायत का इलेक्ट हो गया तो फिर पांच साल तक बना रहेगा। तो जो पंचायतों का कानून बनाया गया था उसके यह विरुद्ध है। सभानेत्री महोदया, मेरा यह विचार है और मेरा इसमें ऐतराज है कि पांच साल की अवधि नहीं रखी जाय। अगर अवधि बढाई ही जाय तो ज्यादे से ज्यादा हर हालत में चार साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विधान सभा और संसद् की अवधि पांच साल की है। उसके बराबर में पंचायतों और पंचायत समितियां की जो अवधि पांच साल की करने जा रहे हैं यह कतई उचित प्रतीत नहीं होती है। इसमें कुछ न कुछ अन्तर होना चाहिए।

इस प्रकार से अवधि बढाना, यदि किसी कारण से अगर इलेक्शन नहीं हो तो कोई बात नहीं है। एक साल तो राज्य सरकार को वैसे ही मयाद बढाने के पावर दे रखे हैं। इस अवधि को पांच साल की करदी जाय अगर किसी कारण से इलेक्शन नहीं हो सकें तो एक साल और बढा दिया जाय, तो कोई अन्तर नहीं है। लेकिन जब मूल कानून के अन्दर तीन साल का रखा गया है उसके बाद में दो साल की अवधि बढाना बिल्कुल उचित नहीं है। इस बारे में मेरा यह विचार है कि इस विषय का अध्ययन करने के लिए, ज्यादा राय लेने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में प्रस्तुत करके इस बारे में और विचार किया जाय। अवधि पांच साल की जो की जा रही है यह बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होता है। ज्यादे से ज्यादा बढायें तो चार साल की की जा सकती है। कुछ लोगों की यह राय जरूर हो सकती है। परन्तु इतना लम्बा पीरियड पंचायतों का रखना यह मेरे विचार से उचित नहीं है। मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजी और राज्य सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि इतनी लम्बी अवधि पंचायतों की नहीं रखी जाय। अगर रख देंगे तो पंचायतों की कार्य करने की जो लगन है वह नहीं रहेगी। वह थोडे पीरियड के अन्दर ही रहेगी। पांच साल का रूटीन बन जायगा तो जो मन्शा है पंचायती राज की वह उसको सक्सेसफुल बनाने की वह नहीं रहेगी।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): सभानेत्री महोदया, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की अवधि पांच साल की रखी गई है वह बहुत ज्यादा रखी गई है। तीन साल की अवधि जो अब तक रखी गई है वह ठीक रहती है। पांच साल के अरसे में हम यह देखते हैं कि इतना लम्बा टाइम हो जाता है तो उसमें लोगों का जो जोश होता है वह कम हो जाता है, इन्ट्रेस्ट कम हो जाता है। हम देखते हैं कि तीन साल के टाइम में भी कितनी पंचायत समितियों और जिला परिषदों में कितनी गडबडियां होती हैं, कितनी अनियमिततताएं होती हैं, कितने घोटाले होते हैं, कितने गबन होते हैं कि उनको सरकार हल नहीं कर पाती है। जब पांच साल का टाइम उनको दे दिया जायगा तो गबन की शिकायतें और ज्यादा बढ़ जायेंगी, घोटाले पंचायत समितियों में ज्यादा होंगे और अनियमिततताएं ज्यादा

(श्री किशनलाल वर्मा)

बढेगी। आज भी हम देखते हैं कि सरकार उनको कन्ट्रोल नहीं कर पाती है, उनके ऊपर तरीके से विचार नहीं कर पाती है। पांच साल का उनको टाइम दे दिया जायगा तो पंचायत समितियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त रूप में है वह बहुत ज्यादा बढ जायगा। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पांच साल की अवधि करना आवश्यक नहीं है। अवधि तीन साल तक नहीं रखी जाय। वह पंचायत राज्य की मन्शा ठीक हो सकती है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी अवधि तीन साल की रखी जाय और पांच साल की नहीं रखी जाय।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों की राय है, अभी तक जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं उनकी मन्शा है कि तीन साल के बजाय पांच साल करना उचित नहीं है। यह है भी सही। राज्य सरकार को वैसे भी दो साल की अवधि बढाने का अधिकार है। आज तक पंचायतों के बारे में जो काम हो रहा है उसमें आज तक ऐसा अवसर नहीं आया है कि चुनाव निश्चित अवधि में कराया हो। तीन साल से पांच साल कानून के द्वारा करना चाहती है तो राज्य सरकार को दो साल तक बढाने का अधिकार तो वैसे ही है और इस तरह से पंचायतों का कार्यकाल पांच साल का हो जाता है जब कि पार्लियामेन्ट का कार्यकाल 5 साल का है और पार्लियामेन्ट का कार्यकाल नहीं बढता है। असेम्बली का कार्यकाल पांच साल का होता है तो पंचायतों और पंचायत समितियों का कार्यकाल पांच साल का करते हैं तो उचित नहीं है। आज तक हमारी राज्य सरकार कभी भी चुनाव जो निश्चित अवधि में होने चाहिये थे, वे नहीं करा सकी है। आगे वह पांच साल बढाना चाहते हैं तो आयन्दा गारन्टी नहीं दे सकते ह कि पांच साल से आगे जो राज्य सरकार को मियाद बढाने का अधिकार है उसका उपयोग नहीं करेगी। वह करेगी इसलिये सात साल तक एक पंचायत काम करे तो पंचायत का रूप क्या रहेगा? आप खुद चाहते हैं कि नया खून आता रहे और नये काम होते रहें, लेकिन इससे वह नहीं होगा और जो चुनावों के समय में वैमनस्य हो जाता है वह सात साल तक कायम रहता है।

(1.20 म. प.)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

तीन साल से पांच साल बढाने का उसमें अगर आप करेंगे तो म्युनिसिपैलिटी को ले लें तो पांच साल का समय किसी का नहीं होता है। आप असेम्बली और पार्लियामेन्ट से अधिक समय पंचायतों को देना चाहते ह तो यह उचित नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि अवधि पांच साल के बजाय तीन साल की ही रखें। राज्य सरकार को दो साल बढाने का अधिकार पहले ही है उसका उपयोग करती रही है, समय समय पर, जब भी आवश्यकता पडी है। इसलिये इस मियाद को तीन साल का ही रखें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1969 के बारे म मैंने जनतम जानने हेतु परिचालित किये

Page No 88

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जाने का संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मैं अपने विचार सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

ग्राम पंचायत एक ऐसी संस्था है जिसके जरिये लोकतन्त्र को अपन सुदृढ कर सकते हैं, लोकतन्त्र की नींव मजबूत कर सकते ह और इसके लिये हम जो भी कदम उठायें, हमें बहुत सोच समझ कर कदम बढाना चाहिये। अब जो हम निणय लेने जा रहे हैं, राज्य सरकार जो निर्णय लेने जा रही है, 3 साल से 5 साल का पंचायतों का पीरियड बनाना चाहती है, मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं। 3 साल का पीरियड था उसमें दो साल का एक्स्टेन्शन हो जाता था वह भी पंचायतों के बारे में वजन मालूम पडता था, जबकि 3 साल से एक्स्टेन्ड कर देते थे, आर्डिनन्स के जरिये टू ईयर्स तो उससे लोगों पर इतना वजन पडता था कि जनता उसे कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। आज इस प्रकार का निर्णय लें और जनता की राय नहीं लें, यह सोचना हमारा गलत कदम है। हम जनमत के आधार पर शक्ति बनाना चाहते हैं, ताकत बनाना चाहते हैं, जनमत के आधार पर पंचायतों को सुदृढ करना चाहते हैं पर यह जो इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं इसमें जनमत की राय नहीं लेते हैं, जनमत की अवहेलना करते हैं। जनमत के बारे में मैं कहता हूं कि जनमत कभी भी इसके पक्ष में नहीं है कि पंचायतों का 3 वर्ष से 5 वर्ष का पीरियड किया जाय। जनता तो यह चाहती है कि 3 साल के पीरियड में दो साल का एक्स्टेन्शन देते थे तो उसको भी जनता पसन्द नहीं करती थी। तीन साल के अर्से में ग्राम पंचायतें चाहें तो काफी प्रगति कर सकती हैं। ज्यादा पीरियड बढा देने से पंचायतों में संघर्ष हो जाता है और फिर वे 7 साल तक कन्टीन्यू रहे तो वहां कतई शान्ति नहीं हो सकेगी और प्रजातन्त्र को बडा धक्का लगेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट इस बारे में सोचे, कन्सिडरेशन करे, दो साल अवधि बढाने की सोची है, अकाल की स्थिति हो, भयंकर परिस्थिति हो तो इसको हम काम में ले सकते हैं पर जब चाहा तभी इस अधिकार को हाथ में नहीं लेना चाहिये। दो साल का एक्स्टेन्शन करने का अधिकार काम में लिया है तो कभी स्वार्थ की दृष्टि से किया कभी गवर्नमेन्ट ने और दृष्टिकोण से किया, जो कि कारण इतने सही नहीं होते और उसको लेकर समय बढा देते हैं।

तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट इस कानून को जनमत जानने हेतु परिचालित करे और फिर सही कदम उठा लिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष अपने विचार रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थी सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री कल्याणमल !

(अनुपस्थित)

श्री मुकुट बिहारी लाल !

(अनुपस्थित)

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ) : मैं इसके सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा।

Page No 89

(श्री सांवरमल बासोतिया)

जो अभी पंचायतों, पंचायत समितियों के चुनावों को लेकर संशोधन आया है, उस सम्बन्ध में मेरी भी यह मान्यता है कि जो 3 साल से 5 साल का और एक्सटेन्शन से 7 साल का पीरियड करने जा रहे हैं, वह अनुचित है। 3 साल का पीरियड पहले है उससे ऐसा वातावरण गांवों में हो जाता है कि लोग ऊब जाते हैं और चाहते हैं कि चुनाव शीघ्र हों तो सही आदमियों के चुनाव करके पंचायतों और पंचायत समितियों में भेजें। इसलिये हाउस में जो वातावरण बन रहा है, उससे ऐसा लगता है कि फोर दी टाइम बींग इस विधेयक का पोस्टपोन करके पूरी जनता की राय हांसिल कर के इस पर विचार किया जावे और 5 साल की बजाय 3 साल का ही पीरियड रखा जावे।

श्री **उपाध्यक्ष** : पंचायत मंत्री !

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विधेयक मैंने सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है उसे जनमत जानने हेतु परिचालित करने का सुझाव दिया है। मैं इन दोनों ही माननीय सदस्यों के सुझाव और सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह सुझाव दिया है कि इस बिल को एक सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय, इन तीनों माननीय सदस्यों के सुझावों को मानने में मैं असमर्थ हूं। इसका कारण यह है कि जो राज्य सरकार ने एक इकोनोमिक कमेटी अध्ययन करने और राजस्थान में कहां तक इकोनोमी कर सके, उसके लिये सुझाव देने के लिये, मुकर्रर की थी उस कमेटी का सुझाव था कि पंचायतों का टर्म तीन साल से 5 साल का बढाना चाहिये। इनकी तीन साल की टर्म होती है तो अवधि कम होने से काफी खर्चा होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर बिल्कुल चुनाव नहीं करावें तो और भी खर्चा नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये, उपाध्यक्ष जी, इस सदन के माननीय सदस्यों की जब अवधि का काल 5 साल का है, तो पंचायती राज की संस्थाओं की तरफ से यह सुझाव आया कि हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव हैं, लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों का पीरियड 5 साल है तो हमारा पीरियड भी 5 साल किया जाना चाहिये। ताकि हम जम कर काम कर सकें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : तब तो जनमत जानने के लिये परिचालित करना और भी आवश्यक हो जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : डिस्टर्ब मत कीजिये, मुझे पहले सुन लीजिये। उन संस्थाओं की क्या राय है, वह मैंने रखी। बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जनमत की राज्य सरकार अवहेलना करती है। जनमत जानने के कई तरीके होते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रस्ताव है वे जनमत हैं। राजस्थान के एक करोड और कुछ लाख व्यक्ति जिनको राइट आफ फ्रेन्चाइज है, वे इसके लिये पर्टीक्यूलर क्या राय रखते हैं इसके लिये रेफरेन्डम कराया जाय पर ऐसे मामले पर रेफरेन्डम कराना सम्भव नहीं है। इसलिये पंचायती राज संस्थाओं के जो जनता के रिप्रेजेन्टेटिव हैं जो जनता का

(श्री परसराम मदेरणा)

रिप्रेजेन्ट करते हैं, उन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं कि 5 साल की अवधि की जाय। तो यह कहना कि जनमत की राज्य सरकार अवहेलना कर रही है, यह उचित नहीं है।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने 2 साल के एक्स्टेन्शन की बात कही, वे एक अच्छे वकील हैं, पहले मैं भी ऐसा समझता था पर आज यह बात कही तो ऐसा लगा कि उन्होंने कानून का अध्ययन नहीं किया है। पंचायत लाज में, पंचायत एक्ट में, पंचायत समिति, जिला परिषद् एक्ट में, इनमें कहीं दो साल के एक्स्टेन्शन का प्रावधान नहीं है। उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य को और बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में गलतफहमी है। एक साल एक्स्टेन्ड करने का राज्य सरकार को अधिकार था और राज्य सरकार एक ही साल के लिय एक्स्टेन्ड करती रही है, दो साल एक्स्टेन्ड करन के पॉवर राज्य सरकार के पास नहीं हैं, इस प्रकार के अधिकार न तो पहले दिये गये हैं और न अब ही दिये गये हैं। सिर्फ एक साल के एक्सटेन्शन के पॉवर पंचायत एक्ट की धारा 7 और पंचायत समिति, जिला परिषद् एक्ट की धारा 14 और 46 में जो प्रोविजन्स हैं; उनमें एक साल एक्स्टेन्शन करने के पावर्स हैं। वह प्रोविजो ज्यों का त्यों अवेयेन्स में रखा है, उसको एक्सटेन्ड नहीं करना चाहते।

एक बात नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि यह पीरियड 5 साल का नहीं बढ़ाना चाहिये। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह 5वां साल चल रहा है। जो आर्डिनेन्स से एक्सटेन्ड किया था उसको इन्वोक कर चुके हैं, चार साल से ऊपर का पीरियड निकल चुका है। और 4 साल के निकले हुए पीरियड में आप कहते हैं कि एक साल के एक्स्टेन्शन को यूज करें, यही करना चाहते हैं क्योंकि हमें एक्सटेन्शन के जरिये अलग नोटीफिकेशन निकालना पड़ेगा और टर्म्स के लिये अलग निकालना पड़ेगा। इसलिये वह नोटीफिकेशन का टर्म अगर इन्वोक कर चुके हैं तो एक्सटन्शन की सरकार के पास जो पॉवर्स हैं, नोटीफिकेशन से पांचवें साल में प्रवेश होने के बाद काम में नहीं ले सकते। इसलिये फेट एकम्पली हो गया है। राज्य सरकार की मजबूरी हो गई है। पाली और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने प्रश्न काल में पूछा था चुनाव कब कराए जायेंगे और मुझे पता था कि यह बात आयेगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 साल की अवधि जिन पंचायतों की जनवरी 1970 में समाप्त हो रही है और पंचायतों और जिला परिषदों की अवधि जो फरवरी 1970 में समाप्त हो रही है इसलिये इलेक्शन पहले करवाने पड़ते हैं ताकि कुछ फोरमेलिटीज आब्जर्व की जा सकें, कोओप्शन की और दूसरी, इसलिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 साल की अवधि जो पंचायतों की जनवरी 1970 में खत्म होने जा रही है इसलिये पंचायतों के चुनाव दिसम्बर 1969 में करवायें जायेंगे और उसी प्रकार पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव उसके बाद में जो समय रहता है, उसी तरह से करवायेंगे। मैं समझता हूं, मेरे विचार सदन में रखने के बाद गुन्जाइश नहीं रहती कि राज्य सरकार इस पर पुनः विचार कर सके, इस लिये माननीय सदस्यों से

Page No 91

(श्री परसराम मदेरणा)
निवेदन है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुझे अपने प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दीजाय ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मुझ अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री वृद्धिचन्द्र जैन व श्री रघुनाथ विश्नोई को अपने प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं अपना प्रस्ताव विथड्रा करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं अपना प्रस्ताव विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विधेयक के बारे में जो अध्यादेश था, उस पर संकल्प प्रस्तुत किया गया था परन्तु प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं थे इसलिए इन संकल्पों को प्रस्तुत किया हुआ नहीं माना गया। प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री केसरीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथ सिंह ।

(अनुपस्थित)

खंड 2 के विषय में संशोधन प्रस्ताव है। श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन इस प्रकार हैं।

1: वर्तमान खण्ड को उप-खंड (1) किया जाकर इसके पश्चात् उप-खण्ड (2) इस प्रकार जोड़ा जाए:—

"(2) Proviso to sub-section (i) of section 14 of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959 shall be omitted''

(ii) In the proviso to sub-section (i) of section 7 of the Rajasthan Panchayat Act, 1953 the words "one year" in the last line, be substituted by the words "six months".

खंड 2:—वर्तमान खण्ड को उप-खण्ड (1) किया जाकर उसके पश्चात् उप-खंड (2) इस प्रकार जोड़ा जाए:—

"(2) Proviso to sub-section (i) of section 7 of the Rajasthan Panchayat Act, 1953 shall be omitted"

खंड 3:-वर्तमान खंड को उप-खंड (1) किया जाकर उसके पश्चात् उप-खंड (2) इस प्रकार जोड़ा जाए:—

"(2) Proviso to sub-section (i) of section 14 of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila-Parishads Act, 1959 shall be omitted".

मैं तीनों संशोधनों पर एक साथ बोलना पसंद

(श्री पी. के. चौधरी)

करूंगा। पंचायत एक्ट में जो सैक्शन 14, 46 व 7 हैं, तीनों का एक ही मतलब है। सरकार ने जो 5 साल का निर्णय लिया है, सरकार कहती है कि इकोनोमी की वजह से कर रही है, मैं समझता हूं, इकोनोमी मेन रीजन नहीं है। मेरे दिमाग में उसूलन 5 साल में चुनाव होने चाहिये। इस समय तीन साल में चुनाव का प्रोवीजन है। हमने देखा है कि कभी भी आज तक पंचायतों के चुनाव तीन साल में नहीं हुए। साल डेढ साल का एक्सटेन्शन होता है। तीन साल में चुनाव हो नहीं पाते। एक साल तो चुनाव की लडाई में जाता है। इसलिए मेरा संशोधन है। प्रोवीजो है, उसमें सरकार को अधिकार दिया गया है:

"Provided that the State Government may by notification in the official Gazette, extend from time to time, the said term by period not exceeding one year in the aggregate.'

हमने जब 5 साल की मियाद कर दी है उसके बाद यह जो अधिकार है राज्य सरकार को, वह नहीं रहना चाहिए क्योंकि आज तक दुनिया में किसी भी इलेक्टेड बोर्ड का 5 साल से ज्यादा किसी का समय नहीं और जब 5 साल आपने कर दिया तो जैसे पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनावों के लिए तारीख फिक्स हो जाती है उसी प्रकार इनकी भी तारीख फिक्स होजानी चाहिए चुनावों के लिए। बारबार हमने कहा है कि पंचायतों के चुनावों में काफी गडबडी होती है उसका अलग से इंतजाम होना चाहिए। समय बढता रहता है तो अपोजीशन से इधर बात होती है कि सरकार पोलिटिकल मोटिव से पंचायतों का समय बढा दिया करती है। मैं समझता हूं डेमोक्रेसी का तकाजा है जब 5 साल का समय फिक्स हो जाय तो एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा बहस में नहीं पडना चाहता। प्रोप्राइटी चाहती है, समाज का तकाजा है, डेमोक्रेसी का तकाजा है कि 5 साल खत्म होने के बाद कोई भी इलेक्टेड बोडी नहीं रहनी चाहिये। इसलिए मंत्री महोदय मेरा अमेंडमेंट स्वीकार करेंगे, उसको मन में नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जाय और हम चुनाव नहीं करा सकें तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दें या 5 साल देने का मतलब यह नहीं कि 5 साल से पहले नहीं करा सकते, उससे पहले भी चुनाव करा सकते हैं। एसेम्बली का पहले भीकरा सकते हैं लेकिन 5 साल से आगे नहीं जा सकते। यह है नियम। पंचायतों के लिए भी हम बराबर उस ढांचे को लें, 5 साल के बाद एक दिन भी आगे नहीं बढाना चाहिए। इसलिए सवाल मेंमैंने पूछा था और मंत्री महोदय ने सरकार का निर्णय बताया था कि 5 साल के आगे चुनाव नहीं बढायेंगे। तो इस बात को सोचना चाहिए, इकोनोमी का सवाल नहीं है लेकिन इसके पोलिटिकल इम्प्लीकेशन्स हैं, लोगों का डेमोक्रेटिक संस्थाओं पर भरोसे का सवाल है और जो सरकार को अधिकार दिया है जिसके लिए आरोप लगाते है कि पोलिटिकल रीजन्स से पंचायतों के चुनाव का समय अक्स्टेंड करते हैं, यह ओपोच्युनिटी उनको नहीं देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं तीनों अमेंडमेंट पेश करता हूं कि सैक्शन 7, 14 व 46 में सरकार को एक्सटेन्शन की जो पावर है वह नहीं रहनी चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा: फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायत एक्ट की धारा 7 और पंचायत समिति व जिला परिषद् एक्ट की धारा 14 व 46 में संशोधन चाहा है। वह चाहते हैं कि इन धाराओं में जो प्रोवीजो है उसको डिलीट कर दिया जाय। उनका मतलब यह है कि जो राज्य सरकार के पास में एक साल के एक्सटेन्शन की पॉवर है, वह अधिकार जो लेजिस्लेचर ने सरकार को दिया है वह सरकार के पास नहीं रहना चाहिए जैसे कि 5 साल का जो कार्यकाल होता है उस कार्यकाल में ही चुनाव कराना चाहिए और 5 साल के कार्यकाल में चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है जिस निर्णय से मैंने इस सदन को 5-7 मिनट पहिले अवगत कराया था। एडमिनिस्ट्रेटर्स वाली एनोलोजी पंचायत राज संस्थाओं पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी संख्या साढे सात हजार से ऊपर है और गांव गांव में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना संभव नहीं। राजस्थान म्युनिसिपलिटीज एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है। नगरपालिकाओं की संख्या 200 से कम है और क्योंकि नगरपालिकायें बडे बडे कस्बों में हैं, और वहां राज्य सरकार के उच्च अधिकारी भी रहते हैं और वे नगरपालिका के पूरे काम को देखते हैं। ऐसे हालात हो सकते हैं, ऐसी हालत राज्य सरकार के सामने परिस्थितियां खडी कर दें। आज आप इस एनालोजी को लाते हैं, इस एनोलोजी में लेजिस्लेचर का लेजिस्लेट करने के पॉवर्स हैं लेकिन संविधान बनाने वालों ने इस बात को सोचा है कि राज्यपाल को किसी समय के लिए लेजिस्लेटिव पॉवर्स रहनी चाहिए जब असेम्बली सेशन में न हो, ऐसे हालात हो सकते हैं जो वारण्ट करती हैं कि राज्यपाल की पॉवर लेजिस्लेटिव पॉवर रहे और उसके बाद सदन के सामने वह अध्यादेश बिल के रूप में आता है तो वह अध्यादेश रिजेक्ट करने का अधिकार सदन को है। जैसे कान्स्टीट्यूशनल मोशन यहां पर आया था लेकिन उसको मूव करने वाले नहीं थे इसलिए उसकी चर्चा नहीं हो सकी लेकिन जब कभी अध्यादेश बिल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो अध्यादेश इटसेल्फ रिजेक्ट करने के लिए एक मोशन मूव किया जाता है सदस्यों द्वारा। तो राज्यपाल एक व्यक्ति है उनके अन्दर पावर्स आप देते हैं, ऐसे हालात हो सकते हैं इण्टर सैशन पीरियड में इसलिए उनके पास वे पॉवर्स रहे।

इस प्रकार के पॉवर्स भी लेजिस्लेट करने के लिये हैं। प्रेसिडेण्ट आफ इण्डिया में भी है। राज्य सरकार के फैसला लेने की बात है। राज्य सरकार इसलिये अधिकार अपने पास रखना चाहती है कि इस प्रकार के हालात पैदा हो जायं तो इनको काम में ले सके। अकाल चल रहा है। मैं नहीं समझता कि इस साल अकाल पडेगा। मान लीजिये कि अकाल की स्थिति ऐसी ही चली गयी जैसी एस्ट्रोलोजर्स की भविष्यवाणी पढी है कि संवत् 26 का साल कैसा होगा। मैं उसको नहीं मानता। लेकिन राजस्थान की जनता अकाल की चपेट में है और एक एक पखवाडा निकालना मुश्किल हो रहा है। यों का यों साल चला गया तो बडी भीषण स्थिति जनता के लिये पैदा हो जावेगी और खास तौर से ग्रामीण जनता के लिये। इसलिये ये अधिकार है वे रहने चाहिए जिनका यूज ज्युडिशियली होना चाहिये

(श्री परसराम मदेरणा)

आबिट्रेरी नहीं। केप्रिशियसली भी नहीं। जनमत की भावना को ध्यान में रखना चाहिये। राज्य सरकार एज राइट इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहती लेकिन प्रोविजन इसलिये रखना चाहती है कि सरकमस्टान्सेज ऐसे पैदा हो जायं इसलिये उनको विज्यु-लाइज करके चलना चाहिये, जैसे वार भी हो सकती है, फैमीन की हालत इस प्रकार की पैदा हो जाय। इसलिये राज्य सरकार के पास एक साल के पीरियड के लिये अधिकार होने चाहिए। एक साल का भी टोटल एक्सीडिंग नहीं है। एक महीना, दो महीना, चार महीना इस प्रकार हो सकता है। एक एक महीना करके बारह दफा कर सकते हैं। जो हालात पैदा होते हैं उनको देखते हुए माननीय सदस्य ने पंचायत एक्ट की धाराओं में संशोधन रखा है उसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन पॉवर्स को आरबिट्रेरीली काम में नहीं लाया जावेगा। राजस्थान सरकार भी जनमत पर टिकी हुई है। पंचायती राज्य संस्थायें क्या सोचती हैं और क्या परिस्थितियां हैं उसको देख कर राज्य सरकार प्रोविजन रखना चाहती है। हम तो पांच साल के अन्दर ही चुनाव कराने जा रहे हैं। माननीय सदस्य जो फुलेरा से आए हैं उन्होंने अमेण्डमेण्ट रखा है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसको वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री **पी. के. चौधरी** : एक बात और निवेदन कर दूं। आप भी कहते हैं कि पांच साल से पहले चुनाव करायेंगे तो यह रिडेन्डेन्ट पड़ता है। विधान सभा के सदस्य हैं हम भी सोचते हैं, इन्टलीजेंन्स पर लोग भी सोचते हैं। आप जो सरकमस्टान्सेज बता रहे हैं उसके लिये आपका इनहरेण्ट राइट है। जन मानस में तो यह हो जायगा कि अब पांच साल से अधिक पीरियड नहीं बढेगा। मेरा निवेदन है कि आप संशोधन को एक्सेप्ट कर लें। आपको राइट है। आर्डिनेन्स निकाल कर कभी भी कर सकते हैं। असेम्बली बिल एप्रूव इट। आप इसको मान लें।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय सदस्य से इस पर दुबारा विचार करने के लिये निवेदन करूंगा। आर्डिनेन्स एक्सटेन्शन का नहीं होगा किन्तु टर्म का होगा। फिर अवधि पांच साल से छः साल की हो जायगी। एक्सटेन्शन का अधिकार एक साल के लिये रखा गया है। आर्डिनेन्स की बात करेंगे तो फिर 6 साल की अवधि हो जावेगी। 6 साल की अवधि डेमोक्रेसी में किसी भी संस्था के लिये नहीं है। न लेजिस्लेचर में और न पार्लियामेंट में। आर्डिनेन्स निकालने के बजाय यह अच्छा होगा कि राज्य सरकार यह अधिकार अपने पास रखे।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड 3

श्री केसरीसिंह हाडा।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसकोस्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज 3 विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लाज 3 स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड 4

श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड 5

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना नाम इत्यादि स्वीकार किया जांय।

(स्वीकृत)

प्रस्तावना नाम इत्यादि स्वीकार किये गये।

(विराम)

माननीय मन्त्री।

Page No 96

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1969 को पारित किया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 1.49 म. प. दिनांक 2-4-69 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 608 की सूची)

सूची चालू सहायता कार्यों की

क्रमांक	नाम सहायता कार्य	श्रमिक संख्या
1.	सुबड़ी ऐनीकट	25
2.	निकरनी ऐनीकट	44
3.	केलथडा ऐनीकट	43
4.	माना नं. 1 तालाब	107
5.	रूपणी केनीकट	49
6.	माण्डवा ऐनीकट	57
7.	कणकवास तालाब	50
8.	कोटडा स्वरूपगंज रोड	554
9.	कोटडा माइद रोड	532
10.	जसवन्तगढ से कोटडा रोड	886
11.	कोटडा सोम सडक	483

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 617 की सूची

राज्य के नियोजन कार्यालय के चालू रजिस्टर पर दिनांक 31-12-1968 को उपलब्ध प्रार्थियों का शिक्षण योग्यता के आधार पर वर्गीकरण

सूची "अ"

नियोजन का नाम	मिडिल पास व कुल	अनपढ़ अ.ज.जा.	मैट्रिक पास कुल	मैट्रिक पास अ.ज.जा.	हा. सै. कुल	हा. सै. अ.ज.जा.	बी. ए. कुल	बी. ए. अ.ज.जा.	एम. ए. कुल	एम. ए. अ.ज.जा.	योग	अ.ज.जा.
अजमेर	5327	6	2436	5	2051	7	415	—	129	—	10358	18
अलवर	2319	112	2164	58	1275	28	233	6	21	—	6012	204
बांसवाडा	335	91	318	59	164	28	16	—	2	—	836	178
भरतपुर	2462	7	1893	13	951	4	200	1	38	—	5544	25
भीलवाडा	1844	25	768	6	481	4	88	1	17	—	3198	36
बीकानेर	2451	3	1453	1	661	—	180	—	63	—	4808	4
चित्तौडगढ़	650	15	523	6	529	6	95	4	17	—	1814	31
जयपुर	6176	202	5750	119	2005	—	941	9	210	4	15082	334
झुंझुनू	1388	34	1081	6	393	2	161	1	24	1	3047	44
जोधपुर	4090	33	1347	5	929	4	369	1	88	—	6823	43
कोटा	3970	85	2594	53	1417	34	376	6	60	—	8417	178
नागौर	702	—	662	—	673	—	26	—	2	—	2065	—

पाली	1449	17	544	9	407	5	66	1	9	—	2475	32
सवाईमाधोपुर	1811	63	1613	93	1210	77	126	7	14	—	4774	240
सीकर	771	10	822	17	396	—	76	—	12	—	2077	27
सिरोही	912	88	596	19	135	2	57	3	4	—	1704	112
श्री गंगानगर	1744	—	839	—	663	—	62	—	15	—	3330	—
उदयपुर	3800	222	1328	61	902	36	27	1	39	1	6342	321
योग	42202	1013	26731	530	15242	237	3767	41	764	6	88706	1827

सूची 'ब'

जिला नियोजन कार्यालय बांसवाडा द्वारा 1968 में 35 आदिवासियों को निम्न व्यवसायों में काम दिलाया गया :––

1.	प्राईमरी स्कूल अध्यापक	24
2.	प्रयोग शाला सहायक	1
3.	कनिष्ठ लिपिक	3
4.	पौध संरक्षण मुकदम	2
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3
6.	लांगरी (कुक)	2

––––––––

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 621 की सूची)

नाम जिला		सफल ट्यूब-वेल्स की सं.	असफल ट्यूब-वेल्स की सं.	कार्य प्रगति पर	योग
1.	जैसलमेर ..	9	4	–	13
2.	बीकानेर ..	6	..	4	10
3.	जोधपुर ..	10	1	4	15
4.	नागौर ..	4	1	3	8
5.	बाडमेर ..	4	2	9	15
6.	जालौर ..	1	..	..	1
		34	8	20	62

Page No 102

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 637 की सूची)

पंचायत रटलाई द्वारा 1967 में भूमि विक्रय की गई उसका विवरण

क्र. सं.	दिनांक विक्रय	प्लाट नम्बर	नीलाम की राशि	भूमि खरीददार का नाम
			रु.	
1	30-7-67	7	281-00	श्री हजारी लाल
2	,,	5	225-00	श्री द्वारका लाल भंवरलाल
3	,,	9	300-00	श्री धनराज कम्पाउन्डर
4	,,	4	425-00	श्री रमजान
5	,,	6	230-00	श्री सीतराम झुमकी

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 499 की सूची)

सूची 'अ' (रुपये लाखों में)

खर्चा जो प्रोजेक्टों पर मद 99 कैपीटल 100 कैपीटल (प्लान वर्क्स) में किया गया

खाते के मद	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
ईस्ट	4-15	5-93	6-95	5-66	4-23
अलवर	2-63	4-51	56-75	54-18	21-89
भरतपुर	3-50	1-38	3-18	1-34	0-69
अजमेर	14-27	5-26	10-95	10-68	5-68
बून्दी	21-92	10-65	9-24	9-21	11-86
जवाई	19-99	15-64	24-45	19-42	24-28
उदयपुर	23-81	13-53	18-95	8-28	15-23
कांकरोली	4-83	5-71	7-14	4-70	5-47
भीलवाडा	7-42	6-77	7-18	15-81	6-98
चित्तौडगढ़	44-03	39-59	38-35	46-21	27-64
बांसवाडा	2-21	1-64	3-64	19-44	3-13
योग ..	149-15	110-61	186-78	194-93	127-08

Page No 104

सूची 'ब' (रुपये लाखों में)

खर्चा जो ई. एण्ड आई. एण्ड एम. एण्ड आर. मद 43 एवं 44 में किया गया

हैड आफ अकाउन्ट्स	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
ईस्ट	3-52	3-92	3-91	4-72	8-33
अलवर	5-10	2-80	3-14	3-45	3-80
भरतपुर	2-03	3-42	5-26	5-20	5-07
अजमेर	6-49	7-02	9-89	7-72	5-88
बून्दी	4-64	5-27	6-27	7-13	7-28
जवाई	2-25	2-68	3-20	3-84	4-35
उदयपुर	3-91	4-20	4-67	3-18	3-54
कांकरोली	1-07	1-27	1-70	2-35	3-57
भीलवाडा	3-98	3-94	3-73	4-39	4-24
चित्तौड़गढ	1-13	1-24	1-44	1-44	1-84
बांसवाडा	..	..	..	0-76	1-80
योग ..	34-12	35-76	45-21	44-18	49-70

Page No 105

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 524 की सूची)

अलवर जिले में अस्वीकृत बस्तियों की सूची जहां कनवशन दिये गये

सूची (अ)

क्र. सं.	नाम	तहसील
1.	भैरों	मण्डावर
2.	करमपुर	मण्डावर
3.	दादेरा	किशनगढ
4.	कुलतानपुरा	किशनगढ
5.	किरवाडी	किशनगढ
6.	पुण्डरा	किशनगढ
7.	कामला	रामगढ
8.	खोहार वाडी	अलवर
9.	केशरपुरा	"
10.	सोढानपुरा	"
11.	गोलेटा	"
12.	बल्लाना	"
13.	मुल्ला का वास	"
14.	रूपवास	"
15.	वल्लावोडा	"
16.	शिकारी का वास	"
17.	उलहारी	"
18.	टिनटोडा	"
19.	मांकेरा	"
20.	इतीपुरा	"
21.	जाजोर	"
22.	बान्नाका	"
23.	ईसापुर	किशनगढ
24.	रायपुरमेवान	किशनगढ
25.	टांका-हेडी	किशनगढ

उन ग्रामों की सूची जिनमें सिक्यूरिटी ली गई हैं।

सूची (ब)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	उपभोक्ताओं की संख्या जिनसे सिक्यूरिटी लेली गई ह		
			कृषि	उद्योग	घरेलू
1.	माचडी ..	.. अलवर	1	..	..
2.	पिलवा ..	.. अलवर	2	..	..
3.	बाखेडो ..	.. अलवर	..	1	..
4.	वगर राजपूत	.. अलवर	2	..	..
5.	जयसिंहपुरा	..	2	..	..
6.	विचराज ..	.. बैहरोड	1	..	..
7.	रूपवास ..	.. अलवर	1	..	3
8.	बलदेवपुरा	.. अलवर	2	..	..
9.	रामनगर ..	.. किशनगढ	3	..	..
10.	भैरोज ..	.. मण्डावर	6	..	..
11.	पीलोदपुर ..	.. भैरोर	4	..	..
12.	चोबारा ..	.. भैरोर	5	..	..
13.	कतखेडा ..	.. भैरोर	5	..	..
14.	पैंतपुर ..	.. अलवर	1	..	..
15.	मनाका ..	.. अलवर	1	..	..

परिशिष्ट 7

(अ ता. प्र. सं. 453 की सूची)

जिला जालौर एवं सिरोही के मोटर मालिकों जिनमें पैसेन्जर टैक्स की रकम बकाया है उनकी सूची।

वर्ष 1966-67

1.	मैसर्स यासीन खां अहमद खां जालौर	रु. 741-96
2.	मैसर्स लादूराम तगाराम, जालौर	रु. 842-37
3.	मैसर्स हाकमल पामन दास जालौर	रु. 117-65
		रु. 1,701-98

वर्ष 1967-68

1.	मैसर्स यासीन खां अमद खां, जालौर	रु. 2,638-00
2.	मैसर्स गुजरात राजस्थान ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, रानीवाडा	रु. 2,247-32
3.	मैसर्स लाल खां अहमद खां, जालौर	रु. 650-00
4.	मैसर्स भारत सिंह गैहलोत, सुमेरपुर	रु. 942-67
5.	मैसर्स पन्ने खां बन्ने खां, सिरोही	रु. 323-96
6.	मैसर्स गुलाम रसूल तारा चन्द, रानीवाडा	रु. 4,000-00
7.	मैसर्स दाऊद खां करीम खां, सिवाना	रु. 437-86
8.	मैसर्स जुगराज खुशालजी, जालौर	रु. 570-30
		रु. 11,810-11
	योग 66-67 और 67-68 ..	रु. 13,512-09

परिशिष्ट 8

(अ. ता. प्र. सं. 456 की सूची)

Progressive figures of Small Savings Securities-Districtwise.

April, 67 to March, 68 (Figures in 1000)

S. No.	Name of district	P. C's Gross	P. C's Net	D. D. C's Gross	D. D. C's Net	A. C's Gross	A. C's Net	P. O. S. B. Gross	P. O. S. B. Net	C. T. D. Gross	C. T. D. Net	Total Gross	Total Net
1.	Ajmer	1372	266	125	(-) 61	—	(-) 9	14,283	121	738	259	16,518	1726
2.	Alwar	474	148	24	1	—	—	5,091	(-)46	238	144	5,827	247
3.	Barmer	401	267	—	—	—	—	807	107	84	66	1,092	440
4.	Banswara	255	201	—	—	—	—	449	162	46	22	750	385
5.	Bhilwara	378	103	—	—	—	—	1,535	640	183	95	2,096	838
6.	Bikaner	667	309	—	(-) 40	—	(-) 40	2,427	765	211	97	3,305	1092
7.	Bharatpur	212	(-)186	—	(-) 2	—	(-)	3,716	(-)610	227	120	4,155	(—)678
8.	Bundi	241	216	60	60	—	(-) 1	997	269	145	118	1,443	662
9.	Chittor	507	480	—	—	—	—	2,020	830	93	72	2,620	1382
10.	Churu	412	351	—	(-) 1	—	—	1,297	494	90	48	1,799	892
11.	Dungarpur	29	—	—	—	—	—	348	34	54	5	431	39
12.	Jaipur	5975	4893	—	(-) 216	—	(-) 24	10,696	441	883	502	17,554	5596
13.	Jalore	274	250	—	—	—	—	303	86	70	40	647	376
14.	Jhalawar	352	198	—	—	—	—	820	448	89	66	1,270	712
15.	Jaisalmer	27	2	—	—	—	—	81	(-) 5[illegible]	75	50	183	35

16.	Jhunjhunu	6989	3967	59	59	—	—	2,604	63	318	232	9,970	5121
17.	Jodhpur	1169	5	—	(–) 140	—	(–) 5	4,123	59	471	307	5,763	516
18.	Kota	715	153	—	(–) 18	—	(–) 18	4,102	65	608	371	5,432	923
19.	Nagour	518	417	—	—	—	—	1,347	428	175	97	2,040	942
20.	Pali	210	90	—	(–) 2	—	(–) 2	1,982	656	189	120	2,381	862
21.	S. Madhopur	859	665	—	—	—	—	1,861	224	201	144	2,921	1023
22.	Sikar	333	185	—	(–) 2	—	—	2,088	786	89	43	2,510	1012
23.	Sirohi	111	36	—	(–) 55	—	—	1,055	220	108	69	1,274	70
24.	S. Ganganagar	1159	644	—	—	—	—	3,383	936	311	167	4,853	1747
25.	Tonk	234	171	—	—	—	—	1,250	757	96	91	1,580	1019
26.	Udaipur	1786	1142	85	27	—	(–) 2	4,550	657	406	163	6,827	1987
		25659	14963	353	(–) 390	—	(–) 101	73,031	1006	6198	3508	1,05,241	28966

परिशिष्ट 9

अ. ता. प्र. सं. 457 की सूची

राजस्थान विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2961अ. ता. दिनांक 31-1-69 से सम्बन्धित तालिका

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष जिसमें ऋण जारी किया गया	ऋण की राशि	ऋण की अवधि	वित्तीय वर्ष 1967-68 के अन्त तक सूद के रूप में दी गई राशि।
1.	1956-57	3,14,18,600	12 वर्ष	1,41,99,669
2.	1958-59	2,79,87,600	12 वर्ष	1,11,48,849
3.	1959-60	3,84,19,300	12 वर्ष	1,30,36,081
4.	1960-61	5,09,25,000	9 वर्ष	1,5178,644
5.	1961-62	4,49,19,800	11 वर्ष	1,19,74,630
6.	1962-63	4,94,73,500	12 वर्ष	1,20,31,551
7.	1964-65	5,24,27,700	12 वर्ष	86,67,082
8.	1965-66	5,14,35,800	12 वर्ष	6639,326
9.	1966-67	5,03,73,400	12 वर्ष	37,60,052
10.	1967-68	4,09,89,600	12 वर्ष	7,90,865
11.	1968-69	5,38,30,000	12 वर्ष	—
	योग:-	49,22,00,300		9,74,26,749

नोट:—सन् 1963-64 में राजस्थान सरकार ने स्वतंत्र रूप से कोई सार्वजनिक ऋण नहीं लिया किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के लिए लिये गये मिश्रित (Combined) ऋण में से राजस्थान सरकार को 5.00 करोड़ रुपये अपने हिस्से के ऋण के रूप में मिले थे। यह राशि उपरोक्त विवरण में दी गई राशियों के अतिरिक्त है।

परिशिष्ट—10

(अ. तां. प्र. सं. 461 की सूची)

नक्शा जो कि खाद बीज की रकम सरपंच ग्राम पंचायत के नाम बकाया है कार्यालय पंचायत समिति डग।

क्रमांक	नाम सरपंच	नाम ग्राम पंचायत	खाद की रकम	बीज की रकम	योग	कब से बकाया है
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री भगवानसिंह	कुन्डडा	1756-00	2268-21	4024-21	सन् 60-61 से दिया गया-
2.	श्री प्रह्लादसिंह	पाडलिया	3134-26	4912-35	8046-61	
3.	श्री उदयसिंह	कोटिया	355-89	1485-48	1841-37	
4.	श्री चन्दर सिंह	वरडिया	—	—	—	
5.	श्री राज मल	गंगधर	—	—	—	
6.	श्री इन्दर सिंह	तलावली	3848-66	3494-12	7345-78	
7.	श्री शंकरनाथ	कयासरा	1233-08	481-33	1714-41	
8.	श्री भंवरलाल	हरवावदा	895-00	—	895-00	
9.	श्री चन्दर सिंह	लहारिया	1877-24	937-20	2814-44	
10.	श्री महेन्दरपाल-सिंह	पाराविवली	3083-65	939-71	4023-36	
11.	श्री भंवरसिंह	रावनगुराडी	1549-50	766-57	2316-07	
12.	श्री घूरालाल	उहेडा	1036-60	1734-34	2770-94	
13.	श्री कालूसिंह	गुराडियाकला	224-25	1546-85	1771-10	
14.	श्री अर्जुनसिंह	पुनारी	2255-55	934-15	3189-70	
15.	श्री नग सिंह	कछ वारा	8671-88	2257-42	10929-30	
16.	रणजीतसिंह भूत-पूर्व	रामपुरा	29-68	25568-82	2598-50	
17.	श्री मोहनलाल भूतपूर्व	रामपुरा	654-50	50-69	705-46	
18.	श्री नन्द सिंह	रामपुरा	134-30	17-00	151-30	
19.	श्री नाथूलाल	केलूखेडा	746-39	345-80	1092-19	
20.	श्री सूरज सिंह	देवगढ	1103-25	496-55	1599-81	
21.	श्री ग्राम पंचायत द्वारा लच्छा चमार	देवगढ	449-50	—	449-50	
22.	श्री घूलसिंहपंच	देव गढ	184-25	—	184-25	
23.	श्री नाथूलाल भूतपूर्व	भडका	658-00	—	658-00	
24.	श्री हीरालाल	पुछाडिया	1470-00	1533-11	3003-11	
25.	श्री भवानीसिंह	पंच तिसाई	108-00	507-75	615-75	

1	2	3	4	5	6	7
26.	श्री बाबूलाल	डोडी	1622-03	718-08	2350-11	
27.	श्री सरदारसिंह	जगीकापुरा	3651-18	2002-07	5653-27	
28.	श्री जुझारसिंह	रतायरा	1874-50	2128-43	4002-93	
29.	श्री बाबू लाल	रतायरा	1882-50	4228-05	6110-55	
30.	श्री बाबूलाल	रोकाना	1419-71	1957-88	3377-59	
31.	श्री गंगाराम भूतपूर्व	रोकाना	3573-44	2755-34	62287-78	सन् 60-61 से दिया गया
32.	श्री मांगीलाल	डोवडा	1429-26	4410-56	5839-83	
33.	श्री भगवानदास भूतपूर्व	डग	1215-00	4177-44	5392-44	
34.	श्री नारायणसिंह	तिसाई	1251-25	625-24	1876-49	
35.	श्री होती लाल भूतपूर्व	माटखेडी	—	105-00	105-00	
36.	श्री पंचम उर्फ पुशालाल भूतपूर्व	यरखा	—	3848-84	3848-84	
37.	श्री शिवलाल	धतुरिया	—	5-13	5-13	
38.	श्री मांगीलाल	कुमतिया	—	212-25	212-45	
39.	श्री वना विजय भूतपूर्व	घमरता	—	454-09	454-09	
40.	श्री मन्नालाल भूतपूर्व	देवगढ	—	577-50	577-50	
41.	श्री रामसिंह भूतपूर्व	तिसाई	—	2006-29	2006-29	
42.	श्री हरीसिंह गुराडिया	करमा	—	1434-00	1434-00	
43.	श्री किशनलाल	पनारिया	13031-79	3510-35	16542-14	
44.	श्री भूरालाल	आवर	753-50	2606-32	3359-82	
45.	श्री रानसिंह	करावन	74-00	—	74-00	
46.	श्री नाथूसिंह	विस्तुन्या	1085-40	—	1085-40	
47.	श्री रामसिंह भूतपूर्व	सिंहपुर	643-00	211-92	2854-92	
48.	श्री किशनलाल भूतपूर्व	सिडहगढ	506-00	1077-50	1583-50	
49.	गोबर्धनलाल	सलमगढ	3934-25	101-65	4035-90	
			73426-25	66431-67	139857-92	

Page No 113

परिशिष्ट–11

(अ.ता.प्र.सं. 462 की सूची)

स्वीकृति राशि पंपिंग सेट काश्तकारान वाईज सूची वर्ष 68-69

क्र. संख्या 1	नाम 2	निवास स्थान 3	राशि 4
1.	श्री रामस्वरूप पुत्र रामविलास	खण्डार	3800)
2.	श्री राधा मोहन शर्मा	विचपुरी	3500)
3.	श्री घनश्याम दास चेलाराम	बहरावडा खुर्द	3000)
4.	श्री बद्री लाल पुत्र देवाजी	नरवला	4500)
5.	श्री लेखराज पुत्र दुली चन्द	दौलतपुरा	3200)
6.	लड्डूलाल, बीरबल, गोपाल पुत्र नारायण	धर्मपुर	4200)
7.	श्री देवाराम पुत्र बजरंग लाल	दौलत पुरा	3500)
8.	सुलेमान खां पुत्र नूरखां पटेल	छाण	3500)
9.	मथुरालाल पुत्र हजारीलाल	बहरावडा खुर्द	3000)
10.	राम हेतला, राम नारायण, लड्डू पुत्र मोहर लाल	दौलतपुरा	3500)
11.	श्री देवा पुत्र अमरचन्द नानगा पुत्र बजरंग लाल	दौलतपुरा	3000)
12.	श्री छीतरदास पुत्र गोविन्द दास	बहरवडाखुर्द	3050)
13.	श्री कन्हैयालाल पुत्र हर नारायण गूजर	दौलत पुरा	3200)
14.	श्री चन्द्रा धोबी	सेवती	4200)
15.	श्री करण सिंह पुत्र नन्द सिंह	खिजरी	3500)
16.	श्री मांग्या वल्द पांचू बुरवा	रावरा	4200)
17.	श्री राम नारायण पुत्र भैरूं	गोडाविहारी	3300)
18.	श्री श्याम बक्स सिंह पुत्र चतरभुज सिंह	छाण	4000)
19.	श्रीलक्ष्मण, मूल्या, माच्या पि. करना व माओ वल्द सादान किना	खिजरी	3200)
20.	श्री सुरेन्दर मोहन पुत्र श्याम लाल	विचपुरी	3200)
21.	श्री रहीमुद्दीन पुत्र अमीरखां मुसलमान	छाण	3500)
22.	श्री राम कुमार पुत्र जगदेव गूजर	छाण	3500)
23.	श्री कल्याण पुत्र हर बक्स जाट	दौलत पुरा	3800)
24.	श्री प्रतापा पुत्र नारायण खटीक	बहरावडा खुर्द	3000)
25.	श्री नन्द किशोर पुत्र राम दयाल स्वर्णकार	मण्डावर	3500)
26.	हनुमान दास पुत्र नारायण दास	फलोदी क्वारी	2335)
		योग:	89885)

Page No 114

परिशिष्ट--12

(अ. ता. प्र. सं. 463 की सूची)

सूची राहत कार्यों की जो जिला सवाई माधोपुर में स्वीकृत किये गये

क. संख्या	नाम कार्य	अभिकरण जिसके द्वारा किये जावें
1.	तालाब बादरा आमनवास	राजस्व विभाग के अभिकरण से
2.	तालाब बरडाला नादोता	"
3.	तालाब रावसना-नादोती	"
4.	तालाब केमला नादोती	"
5.	तालाब मादोती	"
6.	तालाब नादोती	"
7.	तालाब साकारवि ग्राम लोहरा करोली	"
1.	मरम्मत बन्ध चोडा का कला	सिंचाई विभाग के अभिकरण से
2.	मरम्मत बन्ध खिजूरा	"
3.	मरम्मत बन्ध बहादुरपुर	"
1.	मवाला से चौथ का बरवाडा तक	सार्वजनिक निर्माण विभाग से
2.	माडोत से बोली	"
3.	दतवास से बीरदा, मित्रपुरा उदगांव घाटा	"
4.	मैनवाडी होती हुई रिप्लाई	"
5.	मच्छी पुरी से हुचोलाई होती नारायणपुर टटवोडी तक	"
5.	लिवाली बामन वास	"
6.	मोधीती सलानूद, गढखेडा रायसमा होती हुई गढनोल एव गढों से लाल सर तक	"
7.	धाम की चौकी से चदैली पुरा तक	"
8.	लोहरा से कर्णपुर	"

अकालग्रस्त गावों की सूची

जिला का नाम	तहसील	अकालगस्त ग्रामों की संख्या
सवाई माधोपुर	1. सवाई माधोपुर	34
	2. खण्डार	4
	3. गंगापुर	46
	4. बामनवास	47
	5. नादोती	82
	6. हिन्डौन	12
	7. करोली	92
	8. महुआ	44
	9. सपोटरा	30
	1 . ब ली	97
		योग: 488

परिशिष्ट–13

(अ. ता. प्र. सं. 475 की सूची)

राजस्थान के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के महिलाओं के अस्पतालों में दिनांक 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक प्रसव एवं रक्त सुविधा की सूची :—

क्र. सं.	महिला अस्पताल का नाम	नोरमल प्रसव		एबनोरमल प्रसव	
		केस	मृत्यु	केस	मृत्यु
(1)	पी. डी. मेटरनिटी होम, अजमेर	अप्राप्त	—	अप्राप्त	—
(2)	जनाना अस्पताल, अलवर	2607	8	—	—
(3)	,, ,, भरतपुर	1598	—	42	—
(4)	एस. के. एम. डब्लू. अस्पताल, धौलपुर	868	—	289	—
(5)	मेटरनिटी अस्पताल, भीलवाडा	474	—	20	—
(6)	पी. बी. एम. वूमन्स अस्पताल, बीकानेर	अप्राप्त	—	अप्राप्त	—
(7)	मेटरनिटी अस्पताल, बूंदी	785	—	34	—
(8)	जनाना अस्पताल, प्रतापगढ	233	2	—	—
(9)	एस. आर. पी. वूमन्स अस्पताल, रतनगढ	228	—	212	4
(10)	जनाना अस्पताल, जयपुर	4857	—	2550	27
(11)	एस. एच. के. वूमन अस्पताल, झालावाड	441	—	124	8
(12)	उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	3687	—	423	6
(13)	मेटरनिटी अस्पताल, कोटा	अप्राप्त	—	अप्राप्त	—
(14)	जनाना अस्पताल, सिरोही	222	—	79	2
(15)	जनाना अस्पताल, टोंक।	294	—	31	—
(16)	जनाना अस्पताल, उदयपुर	873	—	1040	21
(17)	जनाना अस्पताल, कोटपूतली	59	—	—	—
(18)	फिमेल अस्पताल, राजगढ (अलवर)	95	—	—	—
(19)	फिमेल अस्पताल, सादडी (पाली)	5	—	—	—
(20)	फीमेल अस्पताल, तखतगढ (पाली)	अप्राप्त	—	अप्राप्त	—
(21)	जनाना अस्पताल, नाथद्वारा	52	—	16	—

Page No 117

परिशिष्ट–14

(अ. ता. प्र. सं. 476 की सूची)

स्टेटमेन्ट

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	डाक्टर कब से नहीं है	ग्रेड कम्पाउन्डर कार्य करने की तारीख	कम्पाउन्डर कब से नहीं/नर्स है	ए.एन.एम. दाई
प्रा. स्व. केन्द्र बांमोरी कलां	22-6-60	24-8-65	कोई स्थान रिक्त नहीं है	कोई स्थान रिक्त नहीं है
प्रा. स्वा. केन्द्र पीपलदा	1-9-62	21-5-62	यथा	यथा
प्रा. स्वा. केन्द्र जंपला	1-6-65	25-12-67	यथा	यथा
प्रा. स्वा. केन्द्र आवां	10-4-65 डॉ. की नियुक्ति की जा चुकी है पर अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है।	19-10-66	यथा	यथा
प्रा. स्वा. केन्द्र मंडावरा	3-11-63	3-11-63		
प्रा. स्वा. केन्द्र मोडक	18-5-66	6-1-67	यथा	यथा

कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरी में कोई स्थान कंम्पाउन्डर, स्टाफ नर्स, नर्स दाई, ए. एन. एम. तथा दाई का स्थान रिक्त नहीं है।

परिशिष्ट–15

(अ. ता. प्र. सं. 480 की-सूची)

क्रमांक	डाक्टर का नाम	नियुक्ति का स्थान	दिनांक
1.	डा. एच. एस. बरोका	जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर	27-11-57
2.	(मिसेज) के. बरोका	,,	27-11-57
3.	डा. (मिसेज) सी.डी. कुटेरियो	पन्नाधाय मेटरनिटी होम, अजमेर	16-5-57
4.	डा. अर्जुन सहाय वर्मा	नेत्र विशेषज्ञ ए. के. अस्पताल, ब्यावर	10-12-58
5.	डा. आर. के. बंसल	-यथा-	11-8-58
6.	डा. एस. एन. शर्मा	-यथा- (पैथोलोजी)	4-9-56
7.	डा. (मिस) राजकुमारी	होस्पिटल केकडी	9-12-55
8.	डा. जे. एन. माथुर	जनरल अस्पताल, अलवर	1-6-56
9.	डा. बृजलाल शर्मा	(दवा सुंघानेवाला)-यथा-	1-5-53
10.	डा. सैला रानी माथुर	-यथा-	25-5-50
11.	डा. (मिसेज शशीकुमारी जैन (डी. जी.ओ.)	-यथा-	4-12-58
12.	डा. एन. एल. गुप्ता	जनरल अस्पताल, भरतपुर	11-6-59
13.	डा. (मिस) शान्ती माथुर	जनाना -यथा-	8-7-57
14.	डा. (मिस) ए. वी. चाकू	पी, बी. ए. म. वुमेन अस्पताल, बीकानेर	16-5-55
15.	डा. दिलीप सिंह	जनरल अस्पताल, धौलपुर (एक्स)	7-12-36
16.	डा. (मिस) धर्मावती	उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	24-2-43
17.	डा. (मिसेज) एस. गुप्ता	यथा-	14-7-55
18.	डा. (मिसेज) सरला प्रकाश	जनाना अस्पताल, जयपुर	1-11-47
19.	डा. (मिस) शान्ती बाई	फीमेल अस्पताल, कोटपूतली	12-4-46
20.	डा. ब्रह्म स्वरूप	डिस्पेन्सरी, शहपुरा	20-8-48
21.	डा. बी. एस. बंसल	एम. बी. एस. अस्पताल कोटा	2-4-58
22.	डा. गम्भीर सिंह	डिस्पेन्सरी, ईसरदा (स. माधोपुर)	1-8-56
23.	डा. जी. पी. बनर्जी	होस्पिटल, सिरोही	7-8-54
24.	डा. जी. एल. पारीक	डिस्पेन्सरी, भण्डार (सिरोही)	16-3-57
25.	डा. (मिसेज) एन. यू. अमलाडी	शिवगंज (सीकर)	1-8-51
26.	डा. जे एस. लीहानी	सिटी डिसपेन्सरी, सीकर	21-5-66
27.	डा. रघुवीर सिंह	जनरल अस्पताल, उदयपुर (एक्स-रे)	

परिशिष्ट--16

(अ. ता. प्र. सं. 1489 की सूची)

अजमेर जिले में राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की सूची

राजकीय छात्रावास	छात्र संख्या
(1) अनु. जन जाति छात्रावास, मसूदा	30
(2) अनु. जन जाति छात्रावास, विजयनगर	25
(3) अनु.जाति छात्रावास, अजमेर	60
(4) अनु. जाति छात्रावास, गंगवाना	40
(5) विमुक्त जाति छात्रावास, अजमेर	40
(6) घुमन्तु जाति छात्रावास, ब्यावर	30
अनुदानित छात्रावास	
(1) हरिजन छात्रावास, पीसांगन (अनु.जाति)	25
(2) दयानन्द अनाथालय, अजमेर (जन जाति)	25
(3) महिला शिक्षा सदन, हटून्डी (अनु.जाति)	50
(4) श्री लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास, भिनाय (अनु.जाति)	25
(5) बापा छात्रावास, अजमेर (विमुक्त जाति)	40

परिशिष्ट 17

(अ. ता. प्र. सं. 490 की सूची)

गत पांच वर्षों में परिवार नियोजन के विभिन्न मद में हुए खर्च का विवरण

क्रमांक	मद का नाम	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
1.	अधिकारियों का वेतन	46,110.00	57,888.00	52,330.16	1.41.812.05	6,62,150.14
2.	कर्मचारियों का वेतन	1,96,737.00	2,56,575.00	2,74,487.47	4,99,331.51	20,73,219.98
3.	भत्ते एवं मानदेय यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते	90,851.00	1,17,931.00	26,442.48 1,06,834.58	46,738.08 2,85,576.60	4,29,378.80 16,17,670.95
4.	अन्य प्रचार पैट्रोल, मोटर गाड़ियों, औजार, दवाइयों आदि का खर्चा	4,57.00.00	7,97,463.00	11,45,202.84	19,79,256.68	37,23,030.01
	कुल योग ..	7,90,698.00	12,29,457.00	16,05,297.46	29,52,714.92	85,05,449.86

Page No 121

परिशिष्ट 18

(अ. ता. प्र. सं. 36 की सूची)

राजस्थान में अब तक वृद्धावस्था पेन्शन जो स्वीकृत की गई, उसकी सूची

क्र.सं.	नाम जिला	कुल पेन्शनर की संख्या	अनुसूचित जाति	अनु. जन जाति	योग
(1)	जालोर	5	कोई नहीं	कोई नहीं	–
(2)	बीकानेर	214	1	7	8
(3)	झालावाड	122	–	–	–
(4)	अजमेर	572	–	–	–
(5)	जैसलमेर	89	5	3	7
(6)	उदयपुर	417	2	2	4
(7)	डूंगरपुर	30	5	1	6
(8)	सवाई माधोपुर	79	कोई नहीं	1	1
(9)	बून्दी	10	–	1	–
(10)	गंगानगर	43	कोई नहीं	4	4
(11)	पाली	77	3	13	16
(12)	भरतपुर	406	4	25	29
(13)	सीकर	304	कोई नहीं	7	7
(14)	नागौर	164	कोई नहीं	8	8
(15)	चूरू	116	8	26	34
(16)	चित्तौड़गढ़	59	कोई नहीं	4	4
(17)	टोंक	113	कोई नहीं	8	8
(18)	झुन्झुनू	78	कोई नहीं	6	6
(19)	कोटा	92	7	9	16
(20)	सिरोही	49	3	5	8
(21)	भीलवाडा	170	9	–	9
(22)	बांसवाडा	80	6	5	11
(23)	बाडमेर	53	कोई नहीं	3	3
(24)	अलवर	628	–	–	–
(25)	जोधपुर	800	–	–	–
(26)	जयपुर	1100	–	–	–
	योग ..	5964	52	137	189

Page No 122

परिशिष्ट 19

(अ. ता. प्र. सं. 364 की सूची)

सूची खरीदे गये घास की

क्रमांक	नाम जिला	खरीदे गये घास की मात्रा	दर जिस पर घास खरीदा गया.	घास का वितरण
1.	बून्दी	5216-90 क्वि.	8) रु. प्रति क्वि.	निष्क्रामक पशुओं को वितरित किया गया, एवं निष्क्रामक पशुओं को वितरण हेतु अजमेर भेजा गया।
2.	चित्तौड 1 साडास	588-00 क्वि.	19) रु. प्रति क्वि.	रानीवाडा भेजा गया।
	2 सूरजपोल	214-00 क्वि.	रु. 13.50	
3.	जालौर 1 सांचोर	340-06 क्वि.	रु. 20.00 पै.	निष्क्रामक पशुओं को वितरण हेतु सांचोर व रानीवाडा में उपयोग में लिया गया।
4.	कोटा	333-33 क्वि.	रु. 9.75	बाडमेर, जैसलमेर एवं अजमेर जिलों में भेजा गया।
		333-33 क्वि.	रु. 5.25	
		466-66 क्वि.	रु. 6.00	
		66-66 क्वि.	रु. 8.20	
		66-66 क्वि.	रु. 8.20	
		192-66 क्वि.	रु. 5.30	
		2841-39 क्वि.	रु. 18.19	
5.	पाली	750-00 क्वि.	रु. 8.00	निष्क्रामक पशुओं के लिये उपयोग में लिया गया।
		2000-00 क्वि.	रु. 0.00	
		1550-00 क्वि.	रु. 11.00	
		3666-00 क्वि.	रु. 12.00	
6.	उदयपुर	3975-00 क्वि.	रु. 21.00 पै.	निष्क्रामक पशुओं के लिये उपयोग में लिया गया।
7.	जयपुर 1 जयपुर 2 दौसा 3 बस्सी	20000-00 क्वि.	रु. 12 से 15 तक	बाडमेर, जैसलमेर एवं अजमेर जिले को भेजा गया।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1969)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	अंतिम से	6	उठाय	उठाये
5		5	म	में
8		8	अनपस्थित	अनुपस्थित
14		1	श्री र ुनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
17	शीर्ष		(उप मंत्री, अकाल सहायता)	(श्री गंगाराम चौधरी)
,,	अन्तिम से	13	लि ।	लिया
29	शीर्ष		(श्री अध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
34	अन्तिम से	7	चवल	चम्बल
39	,,	12	आमंत्रित	आमंत्रित
42		3	—	कट्टे
47	शीर्ष		(श्री बालसिंह सीढा)	(श्री बालसिंह सोढा)
,,	अन्तिम से	3	प्रतिवेद	प्रतिवेदन
70		1	म सरकार न	में सरकार ने
71	अन्तिम		ो	हो
129	अन्तिम से	9	का	के
130		5	"at too lower arate"	"at lower rate"
131		3	भले रहने	भले ही रहने
133		3	उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	अन्तिम से	2	अप ।	अपना
134		2	विधयक	विधेयक
135	शीर्षक		1 अप्रेलल	1 अप्रेल
138	अन्तिम से	2	पेनेल्टी संभावना	पेनल्टी की संभावना
139		5	पेनल्टी	पीनल
,,		17	तो	और
,,	अन्तिम से	9	पेनल	पीनल
,,	,,	3	इरो	इसे
144		1	श्री उपाध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष

ब

1	2		3	4
146	अन्तिम से	8	ि धियां	विधियां
147 व	अन्तिम		(2) इस सदन के सदस्यों	
148			द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों को संख्या में से जन लेखा समिति 1969-70 के लिये 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।	—
149		13	सस	सेस
152		15	काश्कार	काश्तकार
153		5	।कार	प्रकार
"		6	राय	स्थिति
154	शीर्षक		196	1969
"	अन्तिम से	6	सुाकर	सुनकर
"	"	5	मका	मौका
"	"	3	फइल	फाइल
155		11	उपायक्ष	उपाध्यक्ष
"	अन्तिम		।वर	पावर
162	अन्तिम से	11	विधेगक	विधेयक
168		8	पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा)	श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री)
169		8	साल समय	साल का समय
170		16	की की	की
175	शीर्ष		(श्री वृद्धि चन्द जैन)	(श्री वृद्धिचन्द जैन)
182	अन्तिम से	14	स	इस
183		14	इसालय	इसलिये
188		17	एसक्टेन्शन	एक्सटेन्शन
209		3	स्वीकृति	स्वीकृत
215	10 व 12		छत्रावास	छात्रावास